लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

2030 (ai) LSD—1.

विषय-सूची

अंक 4—शुक्रवार, 20 नवम्बर, 1964 / 29 कार्तिक, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
83	इस्पात संयंत्रों के लिये आंग्ल-अमरीकी सहायता	263—66
84	व्यापार बोर्ड	266—68
85	दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार	268–69
86	छोटी कार	269—71
87	अलौह धातु अयस्क	271—73
88	अखिल भारतीय रेलवे मैजिस्ट्रेट एसोसिएशन	273—75
89	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची	275—81
90	पांचवां इस्पात संयंत्र	282—85
91	सहायक उद्योगों का विकास	285–86
92	ट्विन डीजल रेल कार	286–87

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
93	बोकारो इस्पात परियोजना	288–89
94	साउदी अरब को सूती कपड़े का निर्यात	289–90
95	सूडान के साथ व्यापार	290
96	हथकरघा कपड़े का निर्यात	291–92
97	कोयले पर रायल्टी	292
98	कपड़ों पर किस्म नियंत्रण	292–93
99	नेपा अखबारी कागज के मूल्य	293
100	व्यापार करार	293–94
101	चितरंजन के रेलवे इंजन	294–95
102	योरोपीय साझा बाजार	295–96
103	ऊनी कपड़े के मूल्य	296
104	कोरबा में अल्युमीनियम का कारखाना	297–98
105	सैलम के अयस्क से इस्पात कारखाना	298

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 4 Friday, November 20, 1964/Kartika 29, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Question Nos.*	*Subject*	PAGES
83.	Anglo American Aid for Steel Plants	263—66
84.	Board of Trade	266—68
85.	Expansion of Durgapur Steel Works	268–69
86.	Small Car	269—71
87.	Non-ferrous Metal Ores	271—73
88.	All India Railway Magistrates Association	273—75
89.	Heavy Engineering Corporation Plant, Ranchi	275—81
90.	Fifth Steel Plant	282—85
91.	Development of Ancillary Industries	285–86
92.	Twin Diesel Rail Car Unit	286–87

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
93.	Bokaro Steel Project	288–89
94.	Export of Cotton Textiles to Saudi Arabia	289–90
95.	Trade with Sudan	290
96.	Export of Handloom Cloth	291–92
97.	Royalty on Coal	292
98.	Quality Control on Textile Products	292–93
99.	Price of NEPA Newsprint	293
100.	Trade Agreements	293–94
101.	Loco Engines at Chittaranjan	294–95
102.	E. C. M.	295–96
103.	Prices of Woollen Cloth	296
104.	Aluminium Plant at Korba	297–98
105.	Steel Plant with Salem Ore	298

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
177	जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति	298–99
178	केले का निर्यात	299
179	बख्तियारपुर पर रेलवे पुल	299
180	वस्त्रों और तैयार वस्तुओं संबंधी निगम	300
181	राजस्थान में तांबे के निक्षेप	300
182	दरीबा, राजस्थान में तांबे के निक्षेप	300
183	बाल्यापट्टम रेल-सड़क पुल	301
184	केरल में रेयन पल्प फैक्टरी	301
185	अफ्रीकी देशों में उद्योगों का स्थापित किया जाना	301–02
186	विद्युतिकृत स्टेशन	302
187	सस्ते रेडियो का बनाया जाना	302
188	उड़ीसा में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग	303
189	जीपों का निर्माण	303
190	मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की यात्रा का समय	304
191	व्यापार संतुलन	304–05
192	सरकारी क्षेत्र के उद्योग	305–06
193	पंजाब में ट्रैक्टर का कारखाना	306
194	वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी	306–07
195	नेपा पेपर मिल्स	307
196	तीसरी श्रेणी की वातानुकूलित डिलक्स गाड़ियां	308
197	ऊनी होज़री धागे का वितरण	308
198	गाड़ी में स्त्री का शव	309
199	रेलवे समय सारणी समिति	309
200	रेलवे बुक स्टाल	309–10
201	विदेशी सहयोग से उद्योग	310
202	हिन्दी टाइपराइटर	310–11
203	द्वितीय ढलाई-गढ़ाई कारखाना	311
204	निपटान तथा सम्भरण महानिदेशालय	311
205	घटिया किस्म का कोयला	312
206	सेना के लिए जूते	312
207	गारो पहाड़ियों में जिपसम के निक्षेप	312–13
208	आसाम के लिए औद्योगिक बस्तियां	313
209	363 डाउन आगरा पैसेंजर गाड़ी	313–14
210	नई रेल गाड़ियां	314
211	कोयला उत्पादन के लिये विदेशी सहायता	314
212	रेलवे स्टेशनों का विस्तार	315
213	अरकोणम रेलवे नवन्तरण यार्ड-दुर्घटना	315

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
177.	Zonal Railway Users Consultative Committee	298–99
178.	Export of Bananas	299
179.	Railway Bridge at Bakhtiarpur	299
180.	Garments and made up Articles Corporation	300
181.	Copper Deposit in Rajasthan	300
182.	Copper Deposit at Dariba (Rajasthan)	300
183.	Baliapattam Rail-Road Bridge	301
184.	Rayon Pulp Factory in Kerala	301
185.	Setting up of Industries in African Countries	301–02
186.	Electrified Stations	302
187.	Manufacture of Cheap Radios	302
188.	Small Scale Handloom Industries in Orissa	303
189.	Manufacture of Jeeps	303
190.	Running Time of Mail/Express Trains	304
191.	Balance of Trade	304–05
192.	Public Sector Industries	305–06
193.	Tractor Factory in Punjab	306
194.	International Food Show at Washington	306–07
195.	NEPA Paper Mills	307
196.	Third Class Air-Conditioned De-Luxe Trains	308
197.	Distribution of Woollen Hosiery Yarn	308
198.	Dead Body of Woman in Train	309
199.	Railway Time-Table Committee	309
200.	Railway Book-stalls	309–10
201.	Industries with Foreign Collaboration	310
202.	Hindi Typewriters	310–11
203.	Second Foundry Forged Plant	311
204.	Directorate General of Supply and Disposal	311
205.	Low-grade Coal	312
206.	Army Boots	312
207.	Gypsum Deposits in Garo Hills	312–13
208.	Industrial Estates for Assam	313
209.	363 Dn. Agra Passenger Train	313–14
210.	New Trains	314
211.	Foreign aid for Coal Production	314
212.	Expansion of Railway Stations	315
213.	Incident at Arkonam Railway Transhipment Yard	315

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
214	केरल में सूक्ष्म उपकरण संयंत्र .	316
215	इस्पात की चादरें .	316–17
216	बिना टिकट यात्रा . . .	317
217	न्यूयार्क विश्व मेला . . .	318
218	पूना-मिराज के बीच रेलवे लाइन . . .	318
219	सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय, कलकत्ता . .	319
220	मुगलसराय-कानपुर विद्युत् मार्ग .	319–20
221	पूर्व रेलवे पर फ्लैग स्टेशन . .	320
222	रेलवे गाड़ियों में सुविधायें .	320
223	आस्ट्रेलिया से व्यापार वार्ता	320–21
224	गुलडहर स्टेशन पर ट्रक और रेल की टक्कर .	321
225	पूछताछ एवं रिज़र्वेशन क्लर्क . .	321
226	कुर्सी वाले वातानुकूलित डिब्बे . . .	321–22
227	रेलवे लाइन	322
228	सिंग्रावली कोयले पर आधारित कार्बनीकरण संयंत्र . .	323
229	पल्य निर्माण संयंत्र	323–24
230	रेलों पर छोटी चोरियां . . .	324
231	उत्तर रेलवे लेखा विभाग में तबादले . .	324
232	चोरी के मामले	325
233	दिल्ली स्टेशन पर गांजे का पकड़ा जाना . . .	325
234	डिवीज़न अधीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली की कर्मचारी शाखा के क्लर्क	325–26
235	सोम्पेता तथा पलासा के बीच रेल की पटरी . .	326
236	कृष्णा नदी पर दूसरा पुल . . .	326–27
237	कोठागुड्यम में तापीय संयंत्र के लिये साइडिंग . .	327
238	रामचन्द्रपुरम में भारी विद्युत् परियोजना . .	327–28
239	कालका–शिमला रेलवे लाइन पर सुरंगें . . .	328
240	लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल . . .	328
241	कागज तथा गत्ते का उत्पादन	328–29
242	इस्पात का उत्पादन	329
243	राज्य स्वास्थ्य क्लीनिक, खड़गपुर . . .	330
244	विद्यार्थियों को रेलवे रियायत	330–31
245	पन्ना में हीरे की खानें	331
246	आगरा से जूतों का निर्यात	331
247	भटिंडा रेलवे स्टेशन पर वैगन में आग लगना . .	331–32
248	गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने . . .	332–33
249	आज़मगंज स्टेशन पर दुर्घटना	333

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
214.	Precision Instruments Plant in Kerala	316
215.	Steel Sheets	316–17
216.	Ticketless Travel	317
217.	New York World Fair	318
218.	Rail Line between Poona and Miraj	318
219.	D. G. S. & D., Calcutta	319
220.	Mughalsarai-Kanpur Electric Track	319–20
221.	Flag Station on Eastern Railway	320
222.	Amenities in Railway Carriages	320
223.	Trade Talks with Australia	320–21
224.	Accident at Guldhar Station	321
225.	Enquiry-*cum*-Reservation Clerks	321
226.	Air conditioned Chair Coaches	321–22
227.	Railway Lines	322
228.	Carbonisation Plant with Singraoli Coal	323
229.	Pulp Manufacturing Plant	323–24
230.	Pilferage on Railways	324
231.	Transfer in N. Railway Accounts Department	324
232.	Theft Cases	325
233.	Seizure of Ganja from Delhi Station	326
234.	Clerks of the Personnel Branch of D. S's. Office, New Delhi	325–26
235.	Track between Sompeta and Palasa	326
236.	Second Bridge across Krishna	326–27
237.	Siding at Thermal Plant at Kothagudium	327
238.	Heavy Electricals project at Ramachandrapuram	327–28
239.	Tunnels on Kalka-Simla Railway-Line	328
240.	Raw Materials for Small Scale Industries	328
241.	Production of Paper and Paper Board	328–29
242.	Steel Production	329
243.	State Health Clinic, Kharagpur	330
244.	Rail Concession to Students	330–31
245.	Diamond Mine at Panna	331
246.	Export of Shoes from Agra	331
247.	Fire in a Wagon at Bhatinda	331–32
248.	Steel Factories in Private Sector	332–33
249.	Collision at Azamganj Station	333

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृ०
250	कपड़े पर कीमतों का छापा जाना	333
251	कोयले के नमूनों के लिए विशेषज्ञ समिति	333
252	पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे अधिकारियों पर हमला	334
253	जम्मू और काश्मीर में औद्योगिक परियोजनायें	334
254	अखबारी कागज़ के संयंत्र	334–35
255	हिमालय-व्यास बेसिन में अखबारी कागज का कारखाना	335
256	माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	335
257	मनमाड और बम्बई के बीच रेलगाड़ी	335–36

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . 336

नागा विद्रोहियों द्वारा रेवरेंड माइकेल स्काट को 'विदेशी पर्यवेक्षक' बताया जाना—

श्री स० मो० बनर्जी 336
श्री स्वर्ण सिंह 337

सभा पटल पर रखे गये पत्र 338

लोक लेखा समिति 341

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन 341

नये आयुध कारखानों की स्थापना के बारे में वक्तव्य . . 341

श्री अ० म० थामस 341

सभा का कार्य 342

कार्य मन्त्रणा समिति . . . 344

इकत्तीसवां प्रतिवेदन 344

भ्रष्टाचार विरोधी विधियां (संशोधन) विधेयक . . . 344

विचार करने का प्रस्ताव—

श्री हाथी 344

खण्ड 2 से 7 और 1 . . . 344–50

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव 344–50
श्री हाथी 350
श्री म० ना० स्वामी . . . 351

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—(Contd.)

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
250.	Printing of Price on Cloth	333
251.	Export Committee on Coal Sampling	333
252.	Assault on the E. and S. E. Railway Officials	334
253.	Industrial Projects in Jammu and Kashmir	334
254.	Newsprint Plants	334–35
255.	Newsprint Factory in the Himalayan-Beas Basin	335
256.	Derailment of Goods Train	335
257.	Train between Manmad and Bombay.	335–36

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . 336

Reported description of Rev. Michael Scott as 'Foreign Observer' by Naga Hostiles

Shri S. M. Banerjee 336

Shri Swaran Singh . . . 337

Papers laid on the Table 338

Public Accounts Committee 341

Twenty-eighth Report 341

Statement *re* establishment of new Ordnance Factories . . 341

Shri A. M. Thomas 341

Business of the House 342

Business Advisory Committee 344

Thirty-first Report 344

Anti-Corruption Laws (Amendment) Bill 344

Motion to consider . . . . . .

Shri Hathi 344

Clauses 2 to 7 and 1 . . . . . 344—50

Motion to pass, as amended . . . . . 344—50

Shri Hathi 350

Shri M. N. Swamy 351

विषय	पृष्ठ
खाद्य निगम विधेयक	352
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री चि० सुब्रह्मण्यम्	352
श्री नारायण दांडेकर	535
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	355
पचासवां प्रतिवेदन ।	
विधेयक पुरःस्थापित :	
(1) **संविधान (संशोधन) विधेयक (सातवीं अनुसूची का संशोधन)** .	357
[श्री बालकृष्ण वासनिक का]	
(2) **किराया-खरीद विधेयक**	357
[श्री यशपाल सिंह का]	
बिल्ली आंख की पुतली लगाना विधेयक—अस्वीकृत . . .	357
[श्री नवल प्रभाकर का]	
विचार करने का प्रस्ताव—	
डा० सुशीला नायर . .	357
संविधान (संशोधन) विधेयक	358
(अनुच्छेद 370 का हटाया जाना)	
[श्री प्रकाशवीर शास्त्री का]	
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री . . .	358
श्री अब्दुल गनी गोनी . . .	358
श्री मानसिंह पृ० पटेल . .	359
श्री नि० चं० चटर्जी	360
श्री समनानी	362
श्री नरेन्द्रसिंह महीडा	363
श्री शं० शा० मोरे	364
श्री हुकम चन्द कछवाय	364
श्री स० मो० बनर्जी	364
श्री खाडिलकर	365
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती	365
श्री तुलशीदास जाधव	366
श्री च० का० भट्टाचार्य	367
डा० मा० श्री० अणे	368
डा० सरोजिनी महिषी	368

Food Corporations Bill . . 352

Motion to consider—

Shri C. Subramaniam 352

Shri N. Dandekar 355

Committee on Private Members' Bills and Resolutions . . . 355
Fiftieth Report .

Bills introduced

(1) Constitution (Amendment) Bill 357

(*Amendment of the Seventh Schedule*) by Shri Balkrishna Wasnik

(2) Hire-purchase Bill 357
By Shri Yashpal Singh

Delhi Corneal Grafting Bill-*Negatived* 357

by Shri Naval Prabhakar

Motion to consider—

Dr. Sushila Nayar . . . 357

Constitution (Amendment) Bill 358

(*Omission of articles* 370) By Shri Prakash Vir Shastri

Motion to consider—

Shri Prakash Vir-Shastri 358

Shri Abdul Gani Goni 358

Shri Man Sinh P. Patel 359

Shri N. C. Chatterjee 360

Shri Samnani 362

Shri Narendra Singh Mahida 363

Shri S. S. More 364

Shri Hukam Chand Kachhavaiya 364

Shri S. M. Banerjee 364

Shri Khadilkar 365

Shri Jagdev Singh Siddhanti 365

Shri Tulshidas Jadhav 366

Shri C. K. Bhattacharyya 367

Dr. M. S. Aney 368

Dr. Sarojini Mahishi 368

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंकिनीड, श्री (गुडिवाडा)

अजनप्पा, श्री (नेल्लोर)

अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरी)

अचल सिंह, श्री (आगरा)

अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)

अणे, डा० मा० श्री (नागपुर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल वहीद, श्री (वैल्लोर)

अरुणाचलम, श्री (रामनाथपुरम्)

अलगेशन, श्री (चिंगलपट)

अल्वारेस, श्री (पंजिम)

आ

आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)

आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फीरोजपुर)

इम्बोचिबावा, श्री इजुकुढेक्कल (पोन्नाणि)

इलियापेरुमाल, श्री (तिरुकोइलूर)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

उ

उइके, श्री मं० गं० (मंडला)

उटिया, श्री (शहडोल)

उ—क्रमशः

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)

उमानाथ, श्री (पुद्दकोट्टै)

उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापट)

ए

एंथनी, श्री फेंक (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (नाम-निर्देशित—उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्रनगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)

कछवाय, श्री हुक्म चन्द (देवास)

कजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य प्रदेश)

कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)

कडाडी, श्री मांदे या बंदप्पा (शोलापुर)

कनकसवै, श्री (चिंदाबरम्)

कन्डप्पन, श्री (तिरूचेगोड)

कपूर सिंह, सरदार (लुधियाना)

कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)

कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)

करुथिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)

कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)

कांबले, श्री तु० द० (लातूर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

किन्दर लाल, श्री (हरदोई)

किशन वीर, श्री (सतारा)

किशिंग, श्री रिशांग (बाह्य मनीपुर)

कुन्हन, श्री प० (पालघाट)

कुमारन, श्री मे० क० चिरयिन्कील)

क—क्रमशः

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)
कृपा शंकर, श्री (डुमरिया गंज)
कृपालानी, श्री जी० भ० (अमरोहा)
कृष्ण, श्री मं० रं० पद्मपल्लि)
कृष्णपाल सिंह, श्री (जलेसर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)
केदरिया, श्री छ० म० मांडवी)
केप्पन, श्री चेरियन (मुबात्तुपुजा)
केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कोया, श्री (कोजीकोड)
कोलाको, डा० (गोआ, दमन, और दीव)
कोहोर, डा० राजेन्द्र (फूलबनी)
कोजलगी, श्री हे० वी० (बलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)
खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)
खां, श्री उस्मान अली (अनन्तपुर)
खां, डा० पूर्णेन्दनारायण (उलुबेरिया)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खाडिलकर, श्री र० के० (खेड़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह राव, श्री (गुड़गांव)
गणपति राम, श्री (मछलीशहर)
गयासुद्दीन अहमद, श्री (धुबरी)
गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)
गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)

ग—क्रमशः

गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)
गुप्त, श्री बादशाह (मनपुरी)
गुप्त, श्री शिवचरण (दिल्ली सदर)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)
गोकरन प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोनी, श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काश्मीर)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोंडर, श्री मुत्तु (तिरुपत्तर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुड़ी)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची-पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतर सिंह, श्री (चम्बा)
चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रभान सिंह, श्री (बिलासपुर)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (मयूरम)
चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचर)
चव्हाण, श्री दा० रा० (करोड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (नासिक)
चांडक, श्री मी० ल० (छिंदवाड़ा)
चावड़ा, श्रीमती जोहराबेन (बनस्कंठा)
चुन्नीलाल, श्री (अम्बाला)
चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)

च—क्रमशः

चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (महुआ)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथरा)
चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़)
चौधरी, श्री सचीन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (ससराम)
जमीर, श्री स० चु० (नामनिर्देशित—नागालैण्ड)
जमुना देवी, श्रीमती (झबुआ)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम)
जयरामन, श्री वांडीवाश)
जाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड़)
जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)
जेधे, श्री गुलाबलराव केशवराव (बारामती)
जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)
जैन, श्री अजित प्रसाद (तुमकुर)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)
ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री जोगेगन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

त

तन सिंह, श्री (बाड़मेर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार)
तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)
तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुला राम, श्री (घाटमपुर)
तेवर, श्री बरोना (पंजानूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)
त्रिवेदी, श्री उ० मू० (मन्दसौर)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थेंगल, श्री नल्लाकोया (नामनिर्देशित—लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह)
थेदगोंडर, श्री गोपालस्वामी (नागपट्टिनम्)

द

दफले, श्री (मिरज)
दलजीत सिंह, श्री (उना)
दशरथ देव, श्री (त्रिपुरापुर्व)
दांडेकर, श्री नारायण (गोंडा)
दाजी, श्री होमी (इंदौर)
दास, श्री (तिरुपति)
दास, श्री निगम तारा (जमुई)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, डा० मनमोहन (औग्रासम)
दास, श्री सुधांशु भूषण (डायमन्द हार्बर)
दिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)
दिनेश सिंह, श्री (सालोन)
दिक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर उत्तर)
दरै, श्री काशीनाथ (अरूप्पुकोट्टै)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)
देवभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)
देशमुख, डा० पंजाब राव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री भा० द० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री शिवाजी शंकरराव (परभणी)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

दोराइ, श्री काशीनाथ (अरुप्पुकोट्टई)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)

धवन, श्री (लखनऊ)

धूलेश्वर मीन, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकंठा)

नम्बियार, श्री आनन्द (तिरूचिरापल्लि)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नायर, श्री दे० जी० (पंचमहल)

नायक, श्री महेश्वर (मयूरगंज)

नायक, श्री मोहन (भजनगर)

नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)

नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)

निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)

निरंजन लाल, श्री (नाम-निर्देशित—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह)

नेसामनी, श्री (नागरकोइल)

प

पंत, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)

पटनायक, श्री किशन (सम्बलपुर)

पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)

पटेल, श्री छोटूभाई (भड़ौंच)

पटेल, श्री नानूभाई नि० (बुलसार)

पटेल, श्री पुष्पोत्तम दास र० (पाटन)

पटेल, श्री मानसिंह पु० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेवश्र (हाजीपुर)

पट्टाभिरामन, श्री चे० रा० (कुम्वकोणम्)

पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)

प--क्रमशः

परमशिवन, श्री० स० क० (इरोड)

पराधी, श्री भोलाराम (बालाघाट)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाटा)

पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)

पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)

पाटिल, श्री देवराम शिवराम (यवतमाल)

पाटिल, श्री मा० म० (रामटेक)

पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)

पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)

पाटिल, श्री स० ब० (बीजापुर--दक्षिण)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई--दक्षिण)

पाण्डेय, श्री रा० शि० (गुना)

पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (विसलेमपुर)

पाण्डेय, श्री सरजू (रसड़ा)

पाराशर, श्री (शिवपुरी)

पालीवाल, श्री टीकाराम (हिंडोन)

पिल्ले, श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम)

पुरी, श्री दे० द० (कैथल)

पृथवीराज, श्री (दौसा)

पोट्टेकाट्ट, श्री (टेलीचेरी)

प्रताप सिंह, श्री (सरमूर)

प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली--करोलबाग)

फ

फिरोडिया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)

बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)

बड़े, श्री रामचन्द्र (खरगोन)

बदरुद्दजा, श्री (मुर्शिदाबाद)

बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)

बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्लचन्द्र (शिवसागर).

फ--क्रमशः

बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री प० चं० (कूच-बिहार)

बसन्त कुमारी, श्रीमती (कैसरगंज)

बसवन्त, सोनुभाई दागडू (थाना)

बसुमतारी, श्री ध० (ग्वालपाड़ा)

बावलीवाल, श्री (दुर्ग)

ब

बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)

बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)

बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौसी)

बालकृष्णन, श्री (कोइलपट्टी)

बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)

बासप्पा, श्री (तिपतुर)

बिष्ट, श्री जं० ब० सिंह (अलमोड़ा)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा-पश्चिम)

बूटा सिंह, श्री (मोगा)

बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)

बृजराज सिंह, श्री (बरेली)

बृजराज सिंह--कोटा, श्री (झालावाड़)

बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्मप्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)

भगवती, श्री वि० चं० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी (खामगांव)

भ---क्रमशः

भट्टाचार्य (श्री च० का० (रायगंज)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)
भवानी, श्री लखमू (बस्तर)
भानुप्रकाश सिंह, श्री (रायगढ़)
भार्गव, पंडित मुं० वि० ला० (अजमेर)
भील, श्री प० ह० (दोहद)

म

मण्डल, श्री जियालाल (खगरिया)
मण्डल, डा० प० (विष्णुपुर)
मण्डल, श्री यमुना प्रसाद (जयनगर)
मंत्री, श्री द्वारका दास (भीर)
मच्छराजू, श्री प० (नरसीपटनम)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री (कोट्टयम)
मेनन, श्री (दार्जिलिंग)
मनोहरन, श्री (मद्रास-दक्षिण)
मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)
मरुथैया, श्री (मेलर)
मलाइछामी, श्री (पेरियाकुलम)
मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्लया, श्री उ० श्री० (उदोपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीतलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रू० (राजकोट)
मसूरिया, दीन, श्री (चैल)
महताब, श्री हरे कृष्ण (अंगुल)
महतो, श्री भंजहरि (पुरुलिया)
महन्ती, श्री गोकुलानन्द (बालासोर)
महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)
महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगीर)
महिषि, डा० सरोजिनी (धारवाड़---उत्तर)

म--क्रमशः

महीड़ा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)
माथुर, श्री शिवचरण (भीलवाड़ा)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)
मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)
मिनीमाता, श्रीमती आगमदास गुरु (बालोदा बाजार)
मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)
मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)
मिश्र, श्री विभुधेन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)
मिश्र, श्री महेश दत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता--मध्य)
मुकाने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवाण्डि)
मुज्जफ्फर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवली)
मुन्जनी, श्री डविड (लोहरदगा)
मूरमू, श्री सरकार (बलरघाट)
मुरली मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री (झुंझनू)
मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहम्मद, युसूफ, श्री (सीवन)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमालपुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्ली)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई--उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मकुन्दपुरम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री ज० रा० (पाली)

म---क्रमशः

मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)
मेहदी, श्री स० अ० (रामपुर)
मेहरोत्रा, श्री ब्र० वि० (बिल्हौर)
मेंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)
मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)
मोरे, डा० कृ० ल० (हतकंगले)
मोरे, श्री शं० शा० (पूना)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारावाड़---दक्षिण)
मौर्य, श्री बु० प्रि० (अलीगढ़)

य

यशपाल सिंह, श्री (कैराना)
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यादव, श्री राम हरख (आजमगढ़)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)
रंगराव, श्री र० व० गो० कु० (चीपुरुपल्लि)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुरमैया, श्री को० (गूंटूर)
रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रतन लाल, श्री (बंसवारा)
रांउत, श्री भोला (बतिया)
राघवन, श्री अ० व० (बडागरा)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजा, चित्तरंजन (जूनागढ़)
राजाराम, श्री (कृष्णगिरि)

स--क्रमशः

राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)
राजू, डा० द० स० (राजामंडी)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)
राणे, श्री शिवरामरंगो (बुलडाना)
राम, श्री तु० (सोनबरसा)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)
रामधनीदास, श्री (नवादा)
राम नाथन चेट्टियार, श्री (करूर)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलवर्गा)
रामभद्रन, श्री (कडलूर)
राम सिंह, श्री (बहराइच)
राम सुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)
रामसेवक, श्री (जालोन)
रामस्वरूप, श्री (राबर्ट्सगंज)
रामस्वामी, श्री व० क० (नामक्कल)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सलेम)
रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)
राय, डा० सारादीश (कटवा) :
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)
राव, श्री जगन्नाथ (नौरंगपुर)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (महबूबनगर)
राव, श्री रमापति (करीमनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रावनदले, श्री (धूलिया)

रेड्डियार, श्री वेंकट सुब्बा (तिन्डीवनम्)
रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री क० च० (चिकबल्लापुर)
रेड्डी, श्री नरसिम्हा (राजकोट)
रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)
रेड्डी, डा० बे० गोपाल (काबलि)
रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)
रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)
रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दपुर)

ल

लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्भम)
लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)
ललित सेन, श्री (मण्डी)
लहरी सिंह, श्री (रोहतक)
लाखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)
लास्मर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)
लोहिया, डा० राम मनोहर (फरुखाबाद)

व

बर्मा, श्री कुं० कृ० (सुल्तानपुर)
बर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
बर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)
बर्मा, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)
बर्मा, श्री सूरजमल (सीतापुर)
वाडीवा, श्री (स्योनी)
वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदु (नानदरबार)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)
विजय आनन्द, श्री (विशाखापटनम)

व—क्रमशः

विजय राजे, श्रीमती (छतरा)
विद्यालंकार, श्री अमर नाथ (होशियारपुर)
विमला देवी, श्रीमती (एलुरू)
विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंज)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
वेंकटा सुब्बय्या, श्री पेंदेकान्ति (अडोनी)
वेंकैया, श्री कोल्ला (तेनालि)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास, (साबरमती)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)
शर्मा, श्री अ० प० (बक्सर)
शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शामनाथ, श्री (दिल्ली-चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसंचीघाट)
शास्त्री, श्री लालबहादुर (इलाहाबाद)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शिकरे, श्री (मरमागोआ)
शिन्दे, श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)
शिवनंजप्पा, श्री (मुड्या)
शिव नारायण, श्री (बांसी)

श—क्रमशः

शिव प्रधासन, श्री (पांडीचेरी)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपेरुमबुदूर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमन्द)
श्यामकुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)
श्रीनारायण दास, (श्री दरभंगा)
श्रीनिवासन , डा० (मद्रास उत्तर)

स

सत्यनारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम)
सत्य भामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)
सनजी रूपजी, श्री (नामनिर्देशित—दादरा तथा नगर हवेली)
समनानी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
सर्राफ, श्री श्यामलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
सहगल, श्री अ० सिं० (जंजगीर)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री स० चं० (तामलक)
साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)
साहू, डा० रामेश्वर (रोसेरा)
सिंघवी, डा० लक्ष्मी मल्ल (जोधपुर)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)
सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री कृ० का० (महाराजगंज)
सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)
सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर)
सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)
सिंह, श्री युवराजदत्त (शाहाबाद)
सिंह, श्री य० ना० (सुन्दरगढ़)
सिंह, श्री राम शेखर प्रसाद (छप्परा)
सिंह, श्री स० टी० (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिद्धय्या, श्री (चामराजनगर)

स——क्रमशः

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिद्धान्ती, श्री जगदेव सिंह (झज्जर)

सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्रीमती राजदुलारी (पटना)

सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)

सुब्बारामन, श्री (मदुरै)

सुब्रह्मण्यम, श्री चि० (पोल्लाची)

सुब्रह्मण्यम, श्री टेंकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)

सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)

सेझियान, श्री ईरा (पैरम्बलूर)

सेठ, श्री बिशनचन्द्र (एटा)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)

सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)

सेन, डा० रानेन (कलकत्ता-पूर्व)

सोनावने, श्री (पंढरपुर)

सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)

सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह, नटवरसिंह (कैरा)

सौंदरम रामचन्द्रन, श्रीमती (डिंडिगल)

स्वर्णसिंह, श्री (जलन्धर)

स्वामी, श्री मडलावेंकट (मसुलीपटनम)

स्वामी, श्री म० ना० (ओंगोल)

स्वामी, श्री म० प० (टंकासी)

स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)

स्वैल, श्री ज० गि० (आसाम-स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)

हक, श्री मु० मो० (अकोला)

हजरनवीस, श्री रं० म० (भंडारा)

ह—क्रमशः

हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तैया, श्री (बंगलौर नगर)
हरवानी. श्री अन्सार (बिसौली)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोंडा)
हिम्मतसिंहका, श्री (कच्छ)
हुक्म सिंह, सरदार (पटियाला)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्ति राव

सभापति तालिका

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री तिरुमल राव

श्री खाडिलकर

डा० सरोजिनी महिषी

श्री सोनावने

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री —श्री लाल बहादुर शास्त्री
गृह-कार्य मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
वित्त मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी
सूचना और प्रसारण मंत्री—श्रीमती इंदिरा गांधी
वैदेशिक कार्य मंत्री —श्री स्वर्ण सिंह
रेलवे मंत्री—श्री स० का० पाटिल
विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री —श्री अ० कु० सेन
प्रतिरक्षा मंत्री—श्री यशवन्तराव चह्वाण
इस्पात और खान मंत्री—श्री संजीव रेड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री चि० सुब्रह्मण्यम
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री—श्री हुमायून् कबिर
संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह
शिक्षा मंत्री—श्री मु० क० चागला
श्रम और रोजगार मंत्री—श्री संजीवय्या
पुनर्वास मंत्री—श्री महावीर त्यागी

राज्य-मंत्री

निर्माण और आवास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना
वाणिज्य मंत्री—श्री मनुभाई शाह
असैनिक उड्डयन मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो
परिवहन मंत्री—श्री राज बहादुर
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सु० कु० डे
स्वास्थ्य मंत्री—डा० सुशीला नायर
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री जयसुखलाल हाथी
वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा प्रविधिक विकास मंत्री—श्री रघुरामैया
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री अलगेशन
रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० राम सुभग सिंह
शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री—श्री हजरनवीस
सिंचाई और विद्युत् मंत्री—डा० कु० ल० राव
योजना मंत्री—श्री ब० रा० भगत
प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री—श्री अ० म० थामस
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री—श्री त्रि० ना० सिंह

उपमंत्री

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री—डा० म० मो० दास

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री— श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दा० रा० चह्वाण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री— श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

सामजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री—श्रीमती चन्द्रशेखर

विधि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाम नाथ

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—डा० द० स० राजू

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दिनेश सिंह

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री विभुधेन्द्र मिश्र

संचार विभाग में उपमंत्री—श्री भगवती

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री—श्री श्यामधर मिश्र

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री—श्री प्रकाशचन्द्र सेठी

श्रम और रोज़गार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्री भक्त दर्शन

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री पू० श० नास्कर

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रामेश्वर साहू

सभा-सचिव

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव—श्री शिन्दे

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री डा० एरिंग

सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा सचिव —श्री सै० अ० मेहदी

प्रधान मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित सेन

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री स० चु० जमीर

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव—श्री तिम्मय्या ।

तृतीय माला, खंड 35, अंक 4 शुक्रवार, 20 नवम्बर, 1964/29 कार्तिक, 1886 (शक)

Third Series, Vol. XXXV, No. 4 Friday, November 20, 1964/Kartika 29, 1886 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र / Tenth Session]

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया।

Price : One Rupee

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 20 नवम्बर, 1964/29 कार्तिक 1886 (शक)

Friday, November 20, 1964/Kartika 29, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

इस्पात संयंत्रों के लिये आंग्ल-अमरीकी सहायता

+

*83. **श्री हेम बरुआ :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दे० द० पुरी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री कजरोलकर :
श्री रामनाथन् चेट्टियार :

श्री उमानाथ :
श्री कुन्हन :
श्री सेझियान :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री टे० सुब्रह्मण्यम् :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दो या तीन और इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये सरकार आंग्ल-अमरीकी सार्थ संघ के साथ बातचीत कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का स्वरूप क्या है तथा उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख). हाल ही में आंग्ल-अमरीकी सार्थ संघ के जो सदस्य भारत आये थे उनके साथ सरकारी क्षेत्र में पांचवा इस्पात कारखाना लगाने के विषय में कारखाने का निर्माण करने तथा उसमें पूंजी लगाने में सहायता करने की संभाव्यता मालूम करने के बारे में बातचीत की गई थी। उनसे यह निवेदन किया जा रहा है कि वे विभिन्न स्थानों के बारे में उपलब्ध शक्यता प्रतिवेदनों पर विचार करें और उन में से दो स्थान बतायें। वे कारखाना स्थापित करने में आर्थिक सहायता देने के लिये तैयार होंगे जिससे भारत सरकार नये सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने के स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय कर सके।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि सार्थ संघ सारभूत सामान योगदान चाहता है ताकि सार्थ संघ का प्रत्येक सदस्य अपने-अपने देश में आस्थगित बैंक ऋण की व्यवस्था कर सके और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : सरकार उनसे बातचीत कर रही है। उन्होंने अपनी रुचि प्रकट की है और आवश्यक ऋण उपलब्ध हो सकेगा ।

श्री हेम बरुआ : बोकारो संयंत्र के लिये उत्पादन की आरम्भ की अवस्थाओं पर डिजाइनिंग निर्माण पर्यवेक्षण और प्रबन्ध और नियंत्रण के बारे में रूस की जो शर्तें थीं क्या सार्थ संघ ने भी इनसे मिलती जुलती शर्तें रखी हैं और यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : ये बहुत बारीक मामले हैं और इन पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। इन मामलों पर अभी प्रारम्भिक बातचीत चल रही है। उनका विशेषज्ञ दल यहां आ रहा है और वह स्थान का दौरा करेगा ।

श्री हेम बरुआ : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सार्थ संघ ने ये सुझाव दिये हैं अथवा नहीं ? मैं यह जानता हूं कि अभी अन्तिम निर्णय करना बाकी है। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या बातचीत के दौरान सार्थ संघ ने सरकार के सामने ये सुझाव रखे थे।

श्री प्र० चं० सेठी : पहली अवस्था तो परियोजना प्रतिवेदन को तैयार करने के लिये सहमति प्रकट करने की ह । उसके बाद दो अवस्थाएं आयेंगी कि क्या . . .

अध्यक्ष महोदय : अभी सुझाव रखने की अवस्था नहीं आई है ।

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी): स्थिति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । संयंत्रों के लिये संभव स्थानों के बारे में सुझाव देने में उन्हें दो महीने का समय लगेगा और उसके बाद प्रतिवेदन तैयार करने और सब बातों को अन्तिम रूप देने में उन्हें 9 महीने और लगेंगे । इस अवधि में हम शर्तों सम्बन्धी बातचीत करेंगे और यह निर्णय करेंगे कि उनको कितना काम दिया जायेगा । इस समय मैं कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या सार्थ संघ विदेशी मुद्रा की सम्पूर्ण आवश्यकता की व्यवस्था करने के लिये सहमत हो गई है और क्या सार्थ संघ के पक्षों की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के बारे में उनकी सम्बन्धित सरकारें गारंटी देंगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : स्वभावत: सम्बन्धित सरकारें गारंटी देंगी और वे आवश्यक निधियां इकट्ठी कर सकेंगी ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं यह भी जानना चाहता था कि क्या वे विदेशी मुद्रा देने के लिये सहमत हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : स्वभावत: वे भाग लेने के लिये राजी होंगी ।

Shri K.N. Tiwary : May I know if America is sending an expert committee which will submit a report after investigation?

Shri P.C. Sethi : Yes, Sir. They are sending two experts who will go round and thereafter give their recommendations regarding the cites. for Steel Works thereafter.

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government had decided previously to set up a Steel Plant at Salem and the reasons for revising the same?

Shri P.C. Sethi : Not revised. Preliminary report regarding Salem, Belladila and Hospet has been given to Consortium. Their experts will visit these cites and we have asked them to give their suggestions in respect of two cites.

श्री प्र० चं० बरुआ : बोकारो इस्पात संयंत्र के मामले में जो वित्तीय और तकनीकी कठिनाइयां उठानी पड़ी थीं उन से बचने के लिये इस संयंत्र के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : बोकारो के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं है । बोकारो पर अन्तिम निर्णय किया जा रहा है । बोकारो के सम्बन्ध में बिलकुल कोई कठिनाई नहीं है, बोकारो का कार्य प्रगति पर है ।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में किसी सर्वतोमुखी योजना का जिक्र किया है । यह सर्वतोमुखी योजना क्या है ?

श्री प्र० चं० सेठी : सर्वतोमुखी योजना इसलिये कि कार्य को तीन प्रक्रमों में बांटा जायेगा, पहले प्रक्रम में परियोजना प्रतिवेदन होगा, दूसरे में विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं का अनुमोदन; और तीसरे में विस्तृत वित्तपोषण व्यवस्था और संयंत्र का निर्माण है ।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether Government have already taken any decision regarding the requirement of iron, the places where these Steel Plants are to be set up and the amount of aid required for them before the Consortium arrives ?

Shri P. C. Sethi : As regards the requirement of Steel, Planning Commission and Steel Ministry are considering this question. A final decision is yet to be taken. After that location etc. will be decided.

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री के वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि सरकारी क्षेत्र में दो और इस्पात संयंत्र स्थापित किये जायेंगे । क्या यह सच है कि एक संयंत्र गोआ में स्थापित किया जायेगा और क्या दूसरे संयंत्र के लिये स्थान चुन लिया गया है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं । हम केवल एक इस्पात संयंत्र के लिये सहायता प्राप्त कर रहे हैं । स्वभावत: यदि कोई और देश या सार्थ संघ हमें सहायता देने के लिये तैयार है तो हम उससे सहायता लेना पसन्द करेंगे । इस समय हम केवल एक इस्पात संयंत्र के लिये आंग्ल-अमरीकी सार्थ संघ से बातचीत कर रहे हैं । इसके लिये स्थान के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है । सर्वेक्षण के पश्चात् इसका निर्णय किया जायेगा ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार का यह इरादा है कि इस सहयोग में अधिकांश अंश अमरीकी सार्थों के हों ?

श्री संजीव रेड्डी : यह शत प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में होगा ।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether any verbal or written assurance has been given to Anglo-American people that with a view to provide them with special facilities the Original Industrial Proposal will also be amended?

Shri P. C. Sethi : No, Sir. No such assurance has been given.

श्री जयपाल सिंह : हमें सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के बारे में बताया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के बारे में कहा था । जहां तक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने का सम्बन्ध है इसमें कोक ओवन से लेकर फिनिशिंग मिलों तक सभी कारखानों का एकीकरण किया जायेगा ।

व्यापार बोर्ड

+

*84. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दलजीत सिंह :
श्री दे० व० पुरी :
डा० रानेन सेन :
डा० सारादीश राय :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1964 के प्रथम सप्ताह में व्यापार बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें किन समस्याओं पर चर्चा की गई थी तथा क्या सिफारिशें की गई थीं ; और

(ख) इन सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). 5 अक्तूबर, 1964 को बम्बई में व्यापार बोर्ड की पन्द्रहवीं बैठक में जिन समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया तथा जो सिफारिशें की गईं एवं उन पर जो कार्यवाही की गई, उनके बारे में जानकारी देने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—3387/64]**

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have received any complaint to the effect that the authorities concerned do not give first clearance to the goods meant for export and cause unnecessary delay?

Shri Manubhai Shah : No complaint as such has been received.

Shri Yashpal Singh: What assurance Government have given to the industralists to countercheck the restrictions imposed by England?

Shri Manubhai Shah : We are corresponding with them. The surcharge of 15 percent has been imposed not only with respect to India but all the countries of the world. The House will be pleased to know that the surcharge has been removed from our leather trade.

श्री रामेश्वर टांटिया : व्यापार बोर्ड एक महत्वपूर्ण निकाय है जिसमें सभी उद्योगों के 30 अथवा 50 सदस्य हैं। इस निकाय में किसी भी सदन के संसद् सदस्य को न लेने का क्या कारण है। क्या सरकार इस व्यापार बोर्ड में कुछ ऐसे सदस्यों को, जो व्यापार में रुचि रखते हैं, लेना चाहती है?

श्री मनुभाई शाह : संसद् सदस्यों का सदैव ही स्वागत किया जाता है। परन्तु यह एक विशिष्ट स्वरूप का सलाहकार निकाय है जिसके लिये हम सदस्यों को कष्ट नहीं देना चाहते। यदि कोई सदस्य इस बोर्ड में आने का इच्छुक है तो हम उसका स्वागत करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : डा० रानेन सेन ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार व्यापार बोर्ड में किसी संसद् सदस्य को लेगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैंने डा० रानेन सेन को बोलने के लिये कहा है।

श्री प्र० चं० बरुआ : मेरा क्या बना ? मेरा नाम नहीं लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठे हैं और उन्हें वहीं बैठे रहना चाहिये। मैंने पहले माननीय सदस्य का नाम लिया था परन्तु वह खड़े नहीं हुए। मैं क्या कर सकता था ?

डा० रानेन सेन : विवरण में 'अफ्रीका के साथ व्यापार' शीर्षक के नीचे यह कहा गया है कि व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उद्योगपतियों का दूसरा प्रतिनिधिमण्डल भेजा जा रहा है। अफ्रीका से सरकार-से-सरकार के स्तर पर अथवा राज्य क्षेत्र स्तर पर निर्यात व्यापार को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : हाल ही में दो या तीन करार किये गये हैं, परन्तु जैसा कि सभा को विदित है घाना और गिनी को छोड़ कर अफ्रीका के अधिकांश देश अधिक राज्य व्यापार नहीं करते हैं ; इसलिये वहां पर हमें गैर-सरकारी व्यक्तियों से व्यापार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्र० चं० बरुआ । भविष्य में मैं किसी सदस्य को दोबारा नहीं बुलाऊंगा यदि, जब उसका नाम बोला जाये तो वह प्रश्न पूछने के लिये तैयार न हो ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं सदैव ही सतर्क रहता हूं । दुर्भाग्यवश, आज ही मैं सतर्क नहीं था ।

डा० रानेन सेन : मेरे प्रश्न के केवल एक भाग का उत्तर दिमा गया है । दूसरे भाग का उत्तर अभी दिया जाना है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक समय में दो प्रश्न क्यों पूछे ? मैं समझता हूं कि यदि एक का उत्तर दिया जा चुका है तो वह काफी है ।

डा० रानेन सेन : मैंने दो प्रश्न नहीं पूछे थे, अपितु एक ही प्रश्न पूछा था जिसके दो भाग थे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने स्वयं ही कहा था कि दूसरा प्रश्न भी था ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मूल्य निर्धारण तथा औद्योगिक उत्पादन के नियंत्रण के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई जायेगी क्या व्यापार मंडल ने उस पर विचार कर लिया है तथा सरकार को उस पर सिफारिशें दे दी हैं ; और यदि हां, तो सरकार नें उस पर क्या निर्णय किया है ?

श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार

\+

*85. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 11 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 144 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण की राशि तथा उनकी सहायता की शर्तें इस बीच अन्तिम रूप से तय हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या विस्तार कार्यक्रम में हाल ही में 16 लाख टन से 30 लाख टन तक का परिवर्तन किया गया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : चौथी योजना में 16 लाख टन से 30 लाख टन तक के विस्तार की व्यवस्था की गई है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

श्री सुबोध हंसदा : बदली हुई परिस्थितियों तथा चढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए क्या विस्तार कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया गया है, और यदि हां, तो प्राक्कलन में क्या परिवर्तन किया गया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : विवरण पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । पहले यही अनुमान लगाया गया था और इसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सावित्री निगम ।

श्रीमती सावित्री निगम : सरकार फिर से यह पता लगाने का प्रयत्न क्यों कर रही है कि विस्तार कार्यक्रम को पूर्व योजना के अनुसार ही चलाया जाना चाहिये अथवा नहीं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक वर्तमान विस्तार का सम्बन्ध है हम वर्तमान योजना के अनुसार चल रहे हैं ।

छोटी कार

+

९८
*८६.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री ज० ब० सिंह बिष्ट :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य के एक कार निर्माता ने एक छोटी कार का निर्माण किया है जिसमें आयात किये हुए कोई पुर्जे नहीं लगे हैं तथा जो लगभग पांच हजार रुपये में बेची जा सकती है और यह कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से उक्त निर्माता को वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है जिससे छोटी कार बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). यह सूचना मिली है कि महाराष्ट्र राज्य में एक इंजिनियरिंग कारखाने के तकनीकी निदेशक द्वारा (उत्पादक के द्वारा नहीं) पुरानी कारों से पुर्जे इकट्ठे करके तथा उनके साथ कुछ नए पुर्जों को जोड़ कर एक कार बनाई गई है । राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा इस व्यक्ति को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई है । इस

व्यक्ति ने स्वयं ही यह बताया है कि पुरानी कारों के लिए गए पुर्जों की प्रतिशत संख्या बतलाना सम्भव नहीं है तथा कार के सामान्य परीक्षण भी अभी नहीं किए गए हैं । इन हालातों में किसी निश्चित योजना के न होने के कारण कोई निश्चय करना उपयुक्त नहीं होगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा निर्मित कारों के मूल्य बहुत चढ़ गये हैं, सरकार ने सस्ती कारें बनाने हेतु अपना संयंत्र लगाने के लिये क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न सस्ती कारों के बारे में नहीं है । इसका संबंध केवल एक खास कार से है जो कि व्यक्ति विशेष द्वारा बनाई गई है ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम जानना चाहते हैं कि यह सस्ती कार है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : हम इसका फैसला कैसे कर सकते हैं । वे पुर्जे अनेक कारों से लेकर उसमें लगाये गये हैं ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Even though Maharashtra Government or that particular gentleman has not asked for financial assistance, may I know whether Central Government have themselves tried to ascertain the speciality of this car or this is only a rumour?

Mr Speaker : The assembler has himself admitted that he had taken parts from various cars.

श्री भागवत झा आजाद : सरकार कहती है कि ऐसा समाचार है कि एक व्यक्ति ने इस तरीके से कार बनाई है । क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में जानने का प्रयत्न किया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : स्वयं उत्तर में यह चीज़ दी गई है . . .

अध्यक्ष महोदय : वह स्वयं यह कहते हैं ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : अब जब कि यह मान लिया गया है कि विभिन्न कारों के फालतू पुर्जों को जोड़कर 5,000 रु० की कीमत की सस्ती कार बनाई जा सकती है, क्या यह पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है कि इस प्रकार सस्ती कारें बना कर देश में उपलब्ध कराई जा सकती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : तो क्या हमेशा विभिन्न कारों से ही पुर्जे लेते रहें ?

श्री श्यामलाल सर्राफ : जी, नहीं । बहुत से कारखाने हैं जो पुर्जे बना रहे हैं । अतः इस काम को एक योजना के अनुसार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं । श्री कपूर सिंह ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार छोटी तथा सस्ती कारों के लिये न केवल संसद्-सदस्यों अपितु साधारण जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में रुचि रखती भी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है ।

श्री कपूर सिंह : परन्तु यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न होता है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसद् सदस्य किसी ऐसी कार को लेना पसन्द नहीं करेंगे जिसमें विभिन्न कारों के पुर्जे जोड़े गये हों ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम केवल उन कार मालिकों के नाम जानना चाहते हैं जिनकी कारों के पुर्जे भी चोरी हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री यशपाल सिंह ।

Shri Yashpal Singh : May I know the number of concerns who made the offer and where some technical hands gave approval that it was correctly done or not ?

Mr. Speaker : Shri Alvares.

श्री अल्वारेस : क्या छोटे पुर्जों को चुरा कर बनाई गई इस प्रकार की कारें बड़े पैमाने पर बनाई जा सकती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री कपूर सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस तरीके से जोड़ी गई चीज़ कार से भिन्न है ।

अलौह धातु अयस्क

\+

*87. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दे० द० पुरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री उमानाथ :
श्री ए० कुन्हन् :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन अलौह धातु अयस्कों की मांग है उनके निक्षेपों का पता लगाने के हेतु देश का वैमानिक सर्वेक्षण करने के लिये अमरीका सरकार से प्रार्थना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मन्त्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) और (ख) जी नहीं। संयुक्त राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से विशेष आशाजनक खनिजयुक्त क्षेत्रों के प्रगाढ़ (Intensive) वमानिक सर्वेक्षण का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

श्री दी० चं० शर्मा : बातचीत किन शर्तों पर हो रही है ?

श्री तिम्मय्या : अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने एक योजना भेजी है जिसे 'ऑपरेशन हार्ड रॉक' कहा जाता है। इसके अनुसार यह अ भकरण ठेकेदारों की एक फर्म

को नियुक्त करेगा जो विमान द्वारा सर्वेक्षण करने के लिये जिम्मेवार होगी और इसके साथ साथ भूमि के कार्य की भी देख भाल करेगी । यह कार्य मंत्रालय के सचिव के अनुदेश से किया जायेगा । वे एरो-मैग्नेटिक तथा इलेक्ट्रो-मेग्नेटिक उपकरणों द्वारा उन क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे जहां पर खनिज पाये जा सकते हैं । इसके बाद खोज करने वाले दल द्वारा विस्तृत जांच की जायेगी ।

शर्तों के अनुसार यह सर्वेक्षण दो वर्षों में पूरा हो जायेगा और इस कार्य के लिये हमें दल का खर्च देना होगा । इसके लिये 2.05 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है . . .

अध्यक्ष महोदय : एक ही प्रश्न के अन्तर्गत सारी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा : यदि यह योजना देश के लिये इतनी लाभप्रद है तो मंत्रालय इसमें इतनी देर क्यों लगा रहा है ?

श्री तिम्मय्या : इसे लगभग स्वीकार कर ही लिया गया है । वित्त मंत्रालय ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है । योजना आयोग ने अभी स्वीकृति नहीं दी है ।

Shri Yasdpal Singh: May I Know the possibilities of success through aireal servey when ground surveys conducted at the cost of crores of rupees have failed ? Are Government prepared to lay a Statement on the Table of the House in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P. C. Sethi): The survey conducted by Geological Survey of India and the Indian Bureau of Mines has yielded good results and no money has gone waste on that account. Since we are anxious to locate the minerals at the earliest, we have got to do this.

Shri Yashpal Singh : What are the possibilities ?

Shri Ram swar Tantia : What are rhe reasons for not conducting this survey without the help of U. S. A. ?

Shri P.C. Sethi : We have no arrangement for air survey and therefore it is sought to be conducted by the experts of the U. S. A.I.D.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या इस सर्वेक्षण कार्य के लिये भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : प्रत्येक स्थान पर हमें अपना एक व्यक्ति अध्ययन करने के लिये रखना पड़ेगा । इसलिये हवाई सर्वेक्षण के पूरा होने तक हमारे पास एक बड़ी संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति हो जायेंगे । इसके अतिरिक्त, हवाई सर्वेक्षण से केवल मोटी मोटी बातों का पता लगेगा । बाद में भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तथा खान विभाग भूमि पर कार्य करेंगे । अतः हमें मोटी बातों का पता लग जायेगा और फिर हमारे व्यक्ति कार्य करना आरम्भ कर देंगे ।

डा० रानेन सेन : क्या हवाई सर्वेक्षण के संबंध में किसी अन्य देश की सरकार से भी बातचीत की गई थी ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, हां। परन्तु इसमें पहले ही काफी समय लग गया है। कुछ वर्ष लग गये हैं और अब इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि अब इसमें और समय खराब किया जाये। यह बहुत उपयोगी चीज़ है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या इस सर्वेक्षण में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में व्याप्त भूमि पर तथा भूमि के नीचे अलौह धातु अयस्कों पर भी विचार किया गया है और यदि हां, तो क्या कुछ किया जा रहा है?

श्री संजीव रेड्डी : अभी हमने किसी क्षेत्र को नहीं चुना है। सारे भारत का सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता। हमें भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग तथा खान विभाग द्वारा पता लगाये गये क्षेत्रों में से कुछ उपयोगी क्षेत्रों को चुनना पड़ेगा। इसलिये हवाई सर्वेक्षण द्वारा भी केवल कुछ ही हिस्सों का नक्शा बनाया जा सकता है।

श्री विश्राति मिश्र : किन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा और किनका सर्वेक्षण किया जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : हमने अभी इस पर अन्तिम निर्णय नहीं किया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : When survey is likely to be completed ?

Shri P. C. Sethi : Two years after its Commencement.

All India Railway Magistrates' Association

\+

*88. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hem Raj :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Murli Manohar :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(*a*) whether a Conference of the All India Railway Magistrates' Association was held in New Delhi in October, 1964;

(*b*) whether this conference suggested some amendments to the existing railway laws; and

(*c*) if so, how far Government have agreed to these amendments?

Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (*a*) Yes.

(*b*) A resolution requesting early re-codification of the Indian Railways Act was passed at the conference.

(*c*) The work of revision of the Indian Railways Act has to be undertaken by the Law Commission, who have indicated that this work cannot yet be taken up.

Shri Yashpal Singh : Recently there was a report from Masooli that the goods were removed and stones were put in its place. Such things are happening daily. What steps are being taken to put a check on such incidents and whether any suggestions have been given in this regard?

Dr. Ram Subhag Singh : All India Magistrates' Conference was not concerned with all these things. They are concerned more with without-ticket-travelling. These will be considered separately.

Mr. Speaker: Stones were also without ticket.

Shri Yashpal Singh : Have Government given thought to the problem of without ticket travelling which is assuming great dimensions? Will the number of Magistrates be increased or efforts will be made to increase the efficiency of the present Magistrates?

Dr. Ram Subhag Singh : Every effort will be made to make them more efficienct.

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it a fact that many laws and acts of Railway are centuries old and they cannnot be observed unless they are twisted ? If so, whether in view of their importance Railway Ministry will have certain machinery to reform them at the earliest?

Dr. Ram Subhag Singh : It is true that these acts are somewhat old. But it is not correct that they can be observed only by twisting them. Since 1962 we are making efforts to recodify them and Law Commission has been pursued vigorously to expedite it.

श्री स० चं० सामन्त : मैजिस्ट्रेटों के सम्मेलन में जिन धाराओं का जिक्र किया गया है क्या उन धाराओं के अतिरिक्त भी किन्हीं धाराओं पर विचार किया जायेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : उन्होंने हर चीज के संबंध में सामान्य सुझाव दिया है, किसी विशेष धारा के बारे में नहीं, और विधि आयोग सारे मामले की जांच कर रहा है ।

Shri Tulsidas Jadhav : May I know whether in the Magistrates' conference this thing was also discussed that since they started working there was increase or decrease in the number of without-ticket-travellers.

Dr. Ram Subhag Singh : The situation is being improved day by day. It is not very difficult to overcome this. The habits of the people are also changing.

Shri Sarjoo Pandey : What amendments to the laws have been suggested by the conference?

Dr. Ram Subhag Singh : There is no question of amendments. They say that all the laws and acts should be recodified. Hence Law Commission has been requested to make necessary changes and they will do it when they will find an opportunity for it.

Shri A. P. Sharma : The Minister told that the Law Commission says that this cannot be amended at this stage. May I know whether they have given any reasons for not doing it at present?

Dr. Ram Subhag Singh : Yes, sir. The reason is this that they are codifying other laws and side by side they will do this work also by sparing their time.

श्री विश्वनाथ राय : प्रस्तावित संशोधन से रेलवे अच्छा कार्य करेंगी या नहीं क्या इस प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ?

डा० राम सुभग सिंह : जी, हां, हम इस पर विचार करेंगे ।

Shri Rameshwaranand : The majority of first calss travellers consists of state Employees or rich people. It is often seen that they do not take off their shoes while lying on the seats and thus the seats get damaged. Will this be declared as a crime.

Mr. Speaker : I am sorry. He does not reply.

Shri Rameshwaranand : What is this ?

Dr. Ram Subhag Singh : It is not provided by Law.

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची

\+

*89. **श्री हेम बरुआ :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री श्री नारायण दास :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन् :
श्री द्वारकादास मन्त्री :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में अग्निकांड के बारे में जस्टिस बी० मुखर्जी की समिति की उपपत्तियों की मुख्य बातें क्या हैं और निगम में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रबन्ध के बारे में इस समिति ने क्या विचार व्यक्त किए हैं ; और

(ख) इस बारे में उक्त समिति द्वारा बतायी गयी स्पष्ट त्रुटियों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकास प्राप्त न्यायाधीश श्री बी० मुखर्जी द्वारा की गई जांच की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) आग तोड़ फोड़ के कार्यों के परिणाम स्वरूप लगी ।

(2) यद्यपि आग को मालूम करने का समुचित प्रबन्ध था लेकिन फिर भी आग बुझाने वाले कर्मचारियों और उपकरणों की कमी के कारण इसे नियंत्रित नहीं किया जा सका और उचित समय में नहीं बुझाया जा सका ।

(3) सुरक्षा सेवा संस्था में नाकाफ़ी थी और उसकी कार्यक्षमता बहुत कम थी ।

(4) इस घटना को बचाने के हेतु उपलब्ध साधनों का उचित उपयोग करने के लिए बृद्धि और क्षमता का अभाव था ।

प्रबन्ध को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए मिल जुल कर काम करने की भावना को बढ़ाने और अधिकारों का विघटन करने पर बल दिया गया है । यह सुझाव दिया गया है कि सरकार सरकारी प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में श्रम-कानूनों पर पुनर्विचार करे । भारी इंजिनियरिंग निगम का एक होल्डिंग कम्पनी के रूप में जिसमें हर एक उप-इकाई के लिए एक प्रबन्ध निदेशक हो, पुनर्संगठन करने का सुझाव दिया है । इसके अलावा यह भी सिफारिश की गई थी कि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए एक सेवा आयोग और केन्द्रीय सुरक्षा दल होना चाहिए ।

निगम के चेयरमैन को तो पहले ही हटा दिया गया है लेकिन इसके अतिरिक्त एक और निदेशक को कुछ ही दिनों के अन्दर सेवा-मुक्त कर दिया जाएगा । इन दोनों अधिकारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं और अब उन की जांच की जा रही है । रिपोर्ट में भारी इंजिनियरिंग निगम के जिन कर्मचारियों को विभिन्न बातों के लिए उत्तर-दायी बताया गया है उन्हें चार्जशीट दे दी गई है । बिहार राज्य सरकार के जिन अधिकारियों के ख़िलाफ़ श्री मुखर्जी ने जो आलोचनाएं की हैं उन्हें राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है । सुरक्षा प्रबन्ध को भी अधिक मज़बूत और श्रेष्ठतर बना दिया गया है । आग बुझाने के प्रबन्ध को भी बेहतर उपकरणों से लैस करके पहले से अच्छा बना दिया गया है । केन्द्रीय नीति और निर्देशों के अनुरूप अलग अलग कारखानों को अलग अलग क्षेत्रों में और अधिक व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं । जिससे कि वह अधिक कार्यक्षम और उत्तरदायी हो सकें । भारी इंजिनियरिंग निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए एक सेवा आयोग और केन्द्रीय सुरक्षा दल रखने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । श्रम कानूनों के सम्बन्ध में श्री बी० मुखर्जी की सिफारिशों पर सरकार इस दृष्टिकोण से विचार कर रही है कि आया कि उन पर रिपोर्ट में निर्देशित ढंग से कार्यवाही करना सम्भव है या नहीं ।

श्री हेम बरुआ : जांच समिति के प्रतिवेदन से पता चलता है कि इस संयंत्र में ऊपर से नीचे तक का सारा प्रशासन गन्दा है । क्या मैं जान सकता हूं कि किन विशिष्ट कारणों से सरकार ने आग लगने से पहले इस स्थिति को नहीं समझा ? क्या यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार के कुप्रबन्ध के कारण है ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : यह कहना कठिन है कि ऊपर से नीचे तक सारा प्रशासन ही गन्दा है।

श्री हेम बरुआ : प्रतिवेदन में यही बात कही गयी है।

श्री त्रि० ना० सिंह : प्रतिवेदन में कई कमियों के बारे में बताया गया है और उन पर गौर किया गया है। वास्तव में इस प्रतिवेदन से पहले ही यह पता था कि कुछ बातों को सुधारना होगा और मैंने फाइलों से देखा है कि मेरे से पहले के मंत्री महोदय ने कार्यवाही की थी और प्रतिवेदन से पूर्व ही कुछ सुधार किये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन में निश्चय ही वहां के प्रशासन की कटु आलोचना की गयी है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं, और मुझे भी इस बारे में चिन्ता है, कि क्या जांच से पूर्व सरकार को इनमें से कुछ बातों का पता नहीं लग सकता था।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैंने अभी यही बात बतायी है। कागजातों में मैंने यह देखा कि समय समय पर क्या कार्रवाई की जाती है और पता लगा कि तत्कालीन मंत्री महोदय ने वहां की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन और सुधार किये। कुछ प्रस्ताव हैं जो जांच आयोग की सिफारिशों के अनुरूप हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : चैकोस्लोवेकिया में मुझ से यही प्रश्न पूछे गये थे।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैंने बताया है कि कदम उठाये गये और कुछ और कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि प्रशासन और राज्य सरकार में कोई सहयोग नहीं है। यदि हां, तो यह सहयोग सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठायेगी?

श्री त्रि० ना० सिंह : मुझे पता लगा है कि मेरे से पहले के मंत्री महोदय ने राज्य सरकार से बातचीत की थी और मैंने स्वयं भी मुख्य मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ कई बार बातचीत की है। आज वहां स्थिति बहुत भिन्न है।

Shri Yashpal Singh : The Government have admitted on an earlier occasion that the inferior quality material was used in electrical fittings. Unless these are reformed, such incidents would continue. May I know the action taken by the Government in this respect?

Mr. Speaker : This does not arise here.

श्री रंगा : मंत्री महोदय अपने से पहले के मंत्री का उल्लेख करके एक नयी परम्परा डाल रहे हैं। इस सभा में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सरकार तो चलती ही रहती है। हम यह जानना चाहते हैं कि स्थिति सुधारने और कर्मचारियों और प्रबंधकों के सम्बन्ध मधर बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री त्रि० ना० सिंह : जहां तक श्रमिक समस्याओं का सम्बन्ध है, न्यायाधीश ने कई सिफारिशें की हैं। उन पर विचार किया जा रहा है। एक सुझाव यह है कि सरकारी

क्षेत्र के उपक्रमों के लिये भिन्न श्रमिक नियम हों । यह प्रश्न बड़ा कठिन है और मैं समझता हूं कि जब तक सारे मामले पर पूरी तरह विचार न कर लिया जाय, श्रमिक नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये । जहां तक श्रमिकों और प्रबंधकों के सम्बंधों का प्रश्न है, हमने श्रमिक कल्याण कर्मचारियों और श्रम पदाधिकारियों और प्रबंधकों और श्रमिकों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं । मैं तो केवल यही निवेदन करता हूं कि सभा कुछ समय तक प्रतीक्षा करे और फिर परिणाम देखे ।

श्री जयपाल सिंह : इस बारे में मंत्री महोदय का क्या मत है कि यह संकट अधिकांशत: इस कारण है कि वहां दो भिन्न कांग्रेस श्रमिक संघ हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं यह नहीं कहता कि रांची में कांग्रेस संघ जैसी कोई बात नहीं है । वहां पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस है । श्रमिक संघों में भी मतभेद है और उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें तक दायर की गयी हैं और इससे हमारे लिये समस्या पैदा हो गयी है कि हम किस संघ के साथ बातचीत करें । अत: हमें किसी भी संघ को वास्तविक प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता देने से पूर्व उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी ।

श्री जयपाल सिंह : उन्होंने श्रम संघों का उल्लेख किया है । मैं यह जानना चाहता हूं ऐसे संघ कौन से हैं जिनको मान्यता प्राप्त हैं ? उन संघों के नाम क्या है जिनको अभी मान्यता प्रदान की जानी है ? उनका कहना है कि कांग्रेस का संघ कोई नहीं । यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है और जो कुछ मैं कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं । मुझे पता है कि ऐसे संघ हैं जिन्हें मान्यता दी जानी चाहिए । मैं उन संघों के नाम जानना चाहता हूं जो कि मान्यता प्राप्ति के इच्छुक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणुका राय :

श्री त्रि० ना० सिंह : इस बारे में अभी कुछ कहना तो अदालत की मानहानि बन जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने प्रश्न की अनुमति ही नहीं दी तो माननीय मंत्री उसका उत्तर क्यों दे रहे हैं ।

श्रीमती रेणुका राय : वक्तव्य में कहा गया है कि जांच करने वाले एक न्यायाधीश ने जो एक सुझाव यह दिया है कि एक सेवा आयोग और एक केन्द्रीय सुरक्षा बल की स्थापना सभी सरकारी उपक्रमों में की जाय, भी विचाराधीन ह । मैं ठोस रूप से यह जानना चाहती हूं कि यह विचार का क्या अर्थ ह । क्या इसका यह अर्थ है कि कोई पग उठाये जा रहे हैं, यदि हां, तो उन चीजों को कब तक कर लिया जायेगा ।

श्री त्रि० ना० सिंह : जहां तक केन्द्रीय सुरक्षा बल का सम्बन्ध है, इस बारे में तो राज्य सरकारों से परामर्श लिये बिना कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती । इस मामले में हमने गृह-कार्य मंत्री से प्रार्थना की है, और उन्होंने इस प्रकार की संस्था को स्थापित किये जाने के बारे में मुख्य मंत्रियों से परामर्श किया है ।

श्रीमती रेणुका राय : मैंने सेवा आयोग की बाबत पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय : यह भी उन्हें नहीं पूछना चाहिए ..... श्री प्र० रं० चक्रवर्ती ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : न्यायमूर्ति मुखर्जी ने बिहार के अधिकारियों के बारे में प्रशासनिक अयोग्यता के बारे में जो टिप्पण प्रस्तुत किया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस दिशा में जो भी कार्यवाही की गई है उसका विवरण सभा पटल पर रख दया गया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों के घंटे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता ।

Shri Bibhuti Misra : I want to know whether it is a fact that real cause of the indifference of the Bihar Government towards the administration of Engineering factory as all the employees of the factory from Class I to class IV are non Beharies in spite of the fact that the factory has been set up in Ranchi and Bihar has suffered sufficiently by way of land and property.

Shri T. N. Singh : There were such like complaints and action has been taken in this connection, now when the honourable member goes there, he will find the situation entirely changed.

श्री नम्बियार: क्योंकि कुछ कार्मिक संघों के झगड़े चल रहे हैं और कुछ मामले अदालतों के समक्ष भी हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कुछ ऐसे संघों को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं और इसके लिये प्रतिनिधित्व क्षमता का पता लगाने के लिए गुप्त मतदान की प्रक्रिया को सरकारी उपक्रमों में अपनाया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : लेख याचिका को निपटाने के बाद इसको देखा जायेगा । इससे पूर्व कुछ नहीं किया जा सकता ।

श्री नम्बियार : यहां पर ही नहीं उन्होंने कहा था इस नीति को तो सर्वत्र सरकारी उपक्रमों के कार्मिक संघों के संगठन के लिए अपनाया जायेगा, तो क्या इसका निर्णय करने के लिए गुप्तदान प्रणाली को अपनाया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य रांची के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री नम्बियार : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दिया है कि अभी हाल लेख याचिका पर निर्णय होना है ।

श्री नम्बियार : इसी सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्मिक संघों के पुनर्गठन के लिए यही नीति अपनाई जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : सभी सरकारी उपक्रमों का प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैं यह जानना चाहती हूं कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जो कार्यवाही की गयी है, उसका विवरण वक्तव्य में दिया गया है।

श्री भागवत झा आजाद : हम जब अनुपूरक पूछते हैं तो पूरी जानकारी के साथ पूछते हैं। विभिन्न दिशाओं से यह प्रश्न पूछे जाने पर भी कि उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है, मंत्री महोदय कहते हैं कि इसका विवरण वक्तव्य में दिया है। वक्तव्य हमारे पास है उस क्षेत्र के सदस्य श्री चक्रवर्ती भी हैं सभी इस बात को जानते हैं कि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : बल्कि उनकी पदोन्नति हो जाती है ।

श्री भागवत झा आजाद : ऐसा भी होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जब वक्तव्य पढ़ा तो मेरा ख्याल था कि शायद अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का उसमें उल्लेख है। परन्तु यदि मुझे गलती लगी है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से उत्तर देने के लिए कहूंगा ।

श्री त्रि० ना० सिंह : वक्तव्य में कहा गया है कि कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं। कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व आरोपों की सूची देनी होती है ताकि वे अपने मामले का स्पष्टीकरण कर सकें। यह प्रक्रिया है। कार्यवाही की गयी है, (**अन्तर्बाधायें**) रिपोर्ट के तुरन्त हाथ में आने पर मैंने आदेश दिया कि अधिकारियों को आरोप सूची दे दी जाए। रांची परियोजना में तो अब एक अधिकारी सेवा में है भी नहीं। वह दूसरी जगह है।

श्री भागवत झा आजाद : उनकी पदोन्नति हुई है। यह भी कार्यवाही है।

श्री त्रि० ना० सिंह : उसे भी कहा गया है ..... (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता था कि क्या वह अधिकारी जिसके विरुद्ध आरोप थे उसे तरक्की देकर कहीं और भेज दिया गया है।

श्री त्रि० ना० सिंह : नहीं, शायद माननीय सदस्य सभापति का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : जी हां ।

श्री त्रि० ना० सिंह : उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। जांच प्रतिवेदन के उपलब्ध हो जाने से पूर्व सभापति परियोजना की सेवा से हट गये थे। वह इससे पूर्व ही किसी दूसरी नौकरी पर चले गये थे ।

श्री रंगा : वह और नौकरी क्या है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इसके बावजूद उनके विभाग के द्वारा उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है। अभी कुछ दिन हुए उन्होंने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। मेरे मंत्रालय में उसका परीक्षण किया जा रहा है (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य सन्तुष्ट न हों तो अन्य तरीके अपना सकते हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति मुकर्जी थे, क्या यह ठीक है कि वित्त विभाग के निदेशक तथा समवाय के सभापति के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये

गये हैं ? क्या यह भी सत्य नहीं है कि इन लोगों को कुछ सज़ा देने के स्थान पर उन्हें अन्य सरकारी संस्थानों में अधिक वेतन पर बदल दिया गया ?

श्री त्रि० ना० सिंह : वित्त विभाग के निदेशक के विरुद्ध तो कुछ नहीं है । मेरे विचार में उसका तबादला नहीं हुआ है । (**अन्तर्बाधायें**)

श्री अ० प्र० शर्मा : सभापति के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री भागवत झा आजाद : आपका संरक्षण चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका मुझे अवसर देंगे तो तब ही तो ऐसा हो सकेगा । माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए । बहुत बड़ा आन्दोलन हो रहा है । माननीय सदस्यों में रोष है । एक अनुचित काम करने वाले को अन्य स्थान पर भेज दिया गया है । चाहे वह अपनी मर्जी से ही वहां पहुंच गया हो । जहां वह गया है वहां उसे अधिक वेतन दिया गया है, जब कि दूसरी ओर उस पर आरोप लग रहे हैं और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है । क्या यह सब कुछ उसके विरुद्ध हो रही जांच के बाद किया गया है ?

श्री तिरुमल राव : प्रतिवेदन में अधिकारियों के नाम हैं । शायद नामों के बारे में कुछ भ्रांति है । प्रतिवेदन में जिन नामों का उल्लेख है, वे हैं : श्री नागराजा राव, प्रबन्धक निदेशक और श्री संदीलिया वित्त सलाहकार । माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि वित्त सलाहकार नहीं हैं । परन्तु प्रतिवदन में यह कहा गया है कि इन दोनों महानुभावों के परस्पर बहुत गम्भीर मतभेद थे । इन मतभेदों का प्रभाव प्रशासन के लगभग सभी वर्गों पर था । और जो कुछ भी हेर फेर हुआ, इस सब का कारण यह मतभेद थे । इस मामले में सदन के समक्ष स्पष्टीकरण कर दिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा निवेदन है कि इस मामले को दूसरी तरह से ले लिया जाता तो अच्छा था ।

श्री नम्बियार : सारा मामला जटिल है ।

श्री दी० चं० शर्मा : अधिकारियों के विरुद्ध तोड़ फोड़ करने के आरोप हैं, अतः माननीय मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी : इस प्रश्न को प्रस्तुत करने से हमारा अभिप्राय .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस पर अपने सुझाव भेज सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं । इसके बिना मैं कुछ नहीं कह सकता । नोटिस आने पर मैं इस बारे में निर्णय करूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : एक अधिकारी के विरुद्ध गम्भीर आरोप थे । श्री नागराजा राव । इसको अधिकारियों ने तथा न्यायमूर्ति मुकर्जी दोनों ने दोषी पाया है । परन्तु एक मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री ने उन्हें आराम से योजना आयोग में सलाहकार के रूप में भिजवा दिया ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्या करना है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय को इस बात का पता है । योजना आयोग में से उस अधिकारी को त्याग पत्र देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : त्याग पत्र देने मेरे हाथ में हैं। वैसे यह मैं कह चुका हूं कि सदन में इस मामले पर चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा ।

पांचवां इस्पात सन्यन्त्र

*90. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री ओझा :
श्री ह० चं० सोय :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री रान सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री अल्वारेस :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र में पांचवें इस्पात संयंत्र के स्थापना स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो किन विशिष्ट कारणों से निर्णय करने में विलम्ब हो रहा है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, नहीं। सरकार अभी तक विभिन्न स्थानों की उपयुक्तता पर विचार कर रही है।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह संयंत्र सरकार स्वयं ही लगा रही है अथवा किसी समवाय से मिल कर इस कार्य को कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह बिलकुल सरकारी क्षेत्र में होंगे।

श्री रामेश्वर टांटिया : दस्तूर एंड कम्पनी द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था उसे रूसियों ने अस्वीकृत कर दिया था। क्या पांचवे संयंत्र का प्रतिवेदन भी सहयोगियों के परामर्श से प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : बकारो के बारे में यह था, इस मामले में अभी निर्णय करना है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह ठीक है कि दस्तूर एंड कम्पनी के प्रतिवेदन को रूसियों ने अस्वीकार कर दिया है ।

श्री प्र० चं० सेठी : यह बोकारों के बारे में थी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जो राज्य ये चाहते हैं कि इनके लिए स्थान उनके क्षेत्र में रखा जाए उनके नाम क्या हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : लगभग सभी राज्य इसके लिए दबाव डाल रहे हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : स्थान के अन्तिम निर्णय का परिमाप क्या होगा ? क्या दस्तूर एंड कम्पनी ने अपना प्रतिवेदन सहयोगियों के परामर्श से अन्तिम रूप में प्रस्तुत किया था ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह तो आंल-अमरीकी कंसोर्टम के बारे में है । जहां तक परामर्श का सम्बन्ध है, हम सारा मामला उन्हें सपुर्द कर रहे हैं ताकि वह अपने सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री अल्वारेस : मैसूर, आंध्र और मद्रास और गोआ यह दावा कर रहे हैं कि पांचवां इस्पात संयंत्र वहां लगाया जाना चाहिये । क्या परामर्शदाताओं के प्रतिवेदन पर विचार करते समय सरकार ससद् के सदस्यों से भी सहयोग प्राप्त करेंगे और परियोजना के स्थान का अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उनका मत लिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : कोई भी सरकार जिम्मेदारी नहीं लेंगी और इसी तरह निर्णय की भी । प्रत्येक व्यक्ति का परामर्श ले कर और सभी मतों को लेकर सरकार ,कसी निर्णय पर पहुंचेगी । बाद में सरकार सहर्ष सारी जानकारी संसद् के सदस्यों के समक्ष रख देगी ।

श्री रंगा : क्योंकि सुरक्षा का प्रश्न बहुत महत्व का हो गया है और इसकी विशेष स्थिति है, अतः सरकार इस इस्पात संयंत्र के स्थान का निर्णय करते समय इस बात का ध्यान रखेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह बात इससे ही स्पष्ट है कि बहुत से स्थान दक्षिण में ही हैं । उद्योगों के सिलसिले में भी इसका ध्यान रखा ही जायेगा ।

श्री अ० प्र० जैन : स्थान के बारे में फैसला करते हुए सिद्धान्त रूप में किन-किन बातों का ध्यान रखा जायेगा । क्या उपयोगिता की दृष्टि से ही स्थान का निर्णय किया जायेगा अथवा कुछ और विचार भी सामने होंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : उपयोगिता का ध्यान तो रखा ही जायेगा, परन्तु सामुहिक सिफारिशों का भी ध्यान रखा जायेगा ।

श्री हेम बरुआ : क्या सामूहिक बात यह नहीं है कि उपलब्ध कच्चे माल का अनुमान तुरन्त लगाया जाए और अन्य उपलब्ध सुविधाओं का भी अन्दाजा लगाया जाना चाहिये ? क्या इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि अन्ततोगत्वा स्थान का निर्णय सामुहिक मत से हो न कि सरकार की मर्जी ?

श्री संजीव रेड्डी : मेरे माननीय मित्र भल कर रहे हैं । हमने उन्हें समस्या को अध्ययन करने का निवेदन किया है । प्रारम्भिक प्रतिवेदन उनके पास भी है और मेरे

पास भी है । उनको न लेकर वे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसके बाद ही इस बारे में सरकार कोई निर्णय कर सकेगी, उसका आधार उनकी सिफारिशें होंगी । परन्तु चुनाव करने का मामला बिलकुल ही सरकार के हाथ में होगा। हम इसे लोगों की राय पर ही नहीं छोड़ सकते ।

श्री हेम बरुआ : कंसोरटीअम अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और अपनी सिफारिशों के साथ नामों की अनुसूची प्रस्तुत करेंगे। क्या सरकार उन सिफारिशों तक सीमित ही रहेगी—अथवा कुछ सिफारिशों को वह रद्द कर देगी ?

श्री संजीवा रेड्डी : बिलकुल सरकार को ऐसा करने का पूरा अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सरकार को होगा ।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know if the Central Government has received the reports regarding the suitability of the sites suggested by various State Governments for the fifth steel plant and if so, whether they have been examined and if so, the time by which their views will be published with regard to that ?

Shri P. C. Sethi : Preliminary study has ben completed and a report of the same has been received. This report has been given to the Consortium. Thereafter the technicians will go round this place and give their suggestions.

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या कुछ जर्मन विशेषज्ञों ने इन तीनों स्थानों का दौरा किया है और सरकार को अपनी सिफारिशें दी हैं; यदि हां, तो उन्होंने किस स्थान का सुझाव दिया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : कोई जर्मन विशेषज्ञ यहां नहीं आया है ।

श्री संजीव रेड्डी : हमारी जानकारी के अनुसार कोई जर्मन विशेषज्ञ नहीं आया है ।

श्री नम्बियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस्पात के उत्पादन के लिये लिग्नाइट और कच्चा सामान आस पास के क्षेत्र में उपलब्ध है, क्या सेलम में इस परियोजना को रखने का प्रश्न छोड़ दिया गया है अथवा उस पर विचार किया गया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इसे छोड़ा नहीं गया है । पहले ही बता दिया गया है कि निवेली-सेलम परियोजना प्रतिवेदन भी सार्थ संघ को दे दिया गया है और हम उनकी मंत्रणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री रंगा : यह स्पष्ट है कि सार्थसंघ जिन 3 या चार स्थानों का पता लगायेगा सरकार उनमें से एक स्थान के बारे में निर्णय करेगी, परन्तु क्या ऐसा भी है कि सरकार उन 3 या 4 स्थानों में से एक को भी पसन्द न करे और कोई पांचवां स्थान ही चुने ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं, ऐसा नहीं है ।

श्री बासप्पा : क्या सरकार को पता है कि मैसूर में सस्ती बिजली उपलब्ध है और बढ़िया किस्म का लौह अयस्क भी ?

अध्यक्ष महोदय : आपने जानकारी देदी है। सरकार इस पर विचार कर सकती है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the names of States that have sent their recommendations.

Shri P. C. Sethi : I have already given their names. They are Goa' Hospet, Vishakhapatnam-Bailadilla and Neyveli Salem regions.

सहायक उद्योगों का विकास

\+

*91. { **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ-साथ सहायक उद्योगों का विकास करने के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से इस बारे में राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने को भी कहा है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : लघु उद्योगों का तेजी से और सुदृढ़ तथा विस्तृत आधार पर विकास करने के लिए सरकार ने यह आवश्यक समझा है कि सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योग अपने उत्पादन को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनकी मशीनों के हिस्सों की आवश्यकता की पूर्ति यथासम्भव सहायक उद्योगों के द्वारा हो सके। सरकारी क्षेत्र के कारखानों से यह कहा गया है कि वह हर कारखाने में उच्च स्तर पर एक तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति करें जो सम्बन्धित राज्य में स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थान के साथ परामर्श करके सहायक उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रम की विस्तृत रूप रेखा बनाएं। केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन में सहायक उद्योगों के विकास के लिए निदेशक के द्वारा समय-समय पर सरकारी क्षेत्र के कारखानों का इस सम्बन्ध में उनके द्वारा किए गये विकास को जानने के लिए दौरा किया जाता है।

(ग) राज्य उद्योग निदेशकों को इस प्रकार के सहायक उद्योगों के विकास के कार्य से पूर्णरूपेण सम्बद्ध कर दिया गया है।

Shri K. N. Tiwary : What is the result of the investigation done and names of the States where these industries are proposed to be established ?

The Minister of Heavy Engineering in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : The hon. Member has referred to every State. The ancillary industries are established in the neighbourhood of big projects such as Heavy Electricals, Bhopal, Hindustan Machine Tools, Bangalore.

Shri K. N. Tiwary : What amount is allocated for this purpose in the 4th Plan by the Planning Commission ?

Shri T. N. Singh : I require notice for this.

Shri Bibhuti Misra : Why ancillary industries for the manufacture of drums etc. are not established in Public Sector at Barauni where as these already have been established in the Private Sector ? Likewise the Petro-Chemical Industry in Gujarat should be taken away in the Public Sector. May I know why it has been left to the Private Sector ?

Shri T. N. Singh : Barauni has nothing to do with my Department. Big Industries may be in Private or Public Sector ; this question does not arise from the main question.

श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम से सम्बद्ध सहायक उद्योगों के बारे में विशिष्ट प्रतिवेदन तैयार किये हैं ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : कुछ मामलों में सहायक उद्योग स्थापित कर दिये गये हैं ; अन्य मामलों में प्रतिवेदन तैयार कर लिये गये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या सरकार इन उद्योगों को ग्रामों में स्थापित करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों के साथ रखा गया है ।

ट्विन डीजल रेल कार

+

*92 {
श्री गुलशन :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री दे० द० पुरी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम सेवक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पैराम्बूर (मद्रास) में एक ट्विन डीजल रेल कार का निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत क्या है; और

(ग) क्या इन कारों का बड़े पैमाने पर निर्माण करने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । अभी हाल में सवारी डिब्बा कारखाने में मोटर लाइन की ट्विन डीज़ल रेल कार का एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है ।

(ख) इस ट्विन डीज़ल रेल कार यूनिट की अनुमानित लागत 5.58 लाख रुपये है ।

(ग) डीज़ल रेल कारों का सिलसिलेवार निर्माण-कार्य उस समय शुरू किया जायेगा जब देश में तैयार उपयुक्त डीज़ल इंजन मिलने लगेंगे ।

Shri Gulshan : May I know whether such factories for the manufacture of diesel Rail Car Units have been established in the states other thai. Madras ? have

Dr. Ram Subhag Singh : Yes, Sir.

Shri Tulsi Das Jadhav : Do Government propose to run diesel cars on narrow gauge ?

Dr. Ram Subhag Singh : So far only one rail Car has been manufactured by the Integral Coach Factory. No engine has been manufactured so far. However, this question is under consideration. But the question of running it on narrow gauge does not arise at this moment. This will be considered only after we have tried it on meter gauge.

श्री सुबोध हंसदा : डीजल रेल कारों के निर्माण में क्या कोई विदेशी सामान भी लगता है अथवा केवल स्वदेशी सामान ही ?

डा० राम सुभग सिंह : जी, हां ।

Shri Sarjoo Pandey : Have Government under consideration any proposal to manufacture such diesel rail cars in Maruwadih ?

Dr. Ram Subhag Singh : As a matter of fact one prototype meter gauge twin diesel rail car has recently been manufactured in Integral Coach Factory. The question of manufacturing engines is being considered separately. Ashoka Leyland, Hindustan Air Craft Limited, Bangalore and Kirloskar want to take up the manufacture of diesel rail engines and this question is being considered there.

Shri A. P. Sharma : May I know whether Government propose to stop the use of big steam locomotives by resorting to diesel and electrification ?

Dr. Ram Subhag Singh : There will not be sudden change over. The old steam locomotive will be replaced gradually. They will continue till the end of the fifth five year plan.

डा० रानेन सेन : इन डीजल इंजनों को बनाने के लिये बनारस में राज्य क्षेत्र के अधीन एक कर्मशाला है । फिर पिराम्बुर में इन डीजल रेल कारों को बनाने का क्या आशय है ? बनारस की कर्मशाला में ही इन प्रोटोटाइप इंजनों का विकास क्यों नहीं किया जाता है ?

डा० राम सुभग सिंह : वारानसी में डीज़ल इंजन बनाये जाते हैं । यहां पर इस प्रश्न का संबंध केवल प्रोटो टाइप डीजल रेल कार डिब्बों के निर्माण से है । इसलिये वहां केवल डिब्ब बनाये गये हैं, जिस के लिये इंटिग्रल कोच फैक्टरी स्थापित की गई है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बोकारो इस्पात परियोजना

*93. श्री दे० द० पुरी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ह० च० सोय :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री किशन पटनायक :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री टे० सुब्रह्मण्यम् :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम सेवक :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के साथ बोकारो इस्पात संयंत्र के डिजाइन के बारे में अंतिम करार सम्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य शर्तें क्या हैं ;

(ग) इस परियोजना के साथ भारतीय सलाहकार सार्थ, दस्तूर एंड कम्पनी को किस सीमा तक और किस प्रकार सम्बद्ध किया जाएगा ; और

(घ) दस्तूर एंड कम्पनी को कितना पारिश्रमिक दिया जाना तय हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (घ). बोकारो के बारे में शीघ्र ही भारत और रूस में एक करार होने की आशा है । फिर भी रूसी अधिकारियों के साथ यह फसला हो चुका है कि सोवियत संगठन विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करेगा । यद्यपि बोकारो के इंजीनियरी कार्यों में भारतीय अभिकरणों का जिन में दस्तूर एण्ड कम्पनी भी सम्मिलित है सहयोग प्राप्त किया जायगा । सहयोग की सीमा का निर्णय विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार हो जानेपर ही किया जायगा ।

सउदी अरब को सूती कपड़े का निर्यात

*94. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सउदी अरब में भारतीय सूती कपड़े की मांग तेजी से कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या वहां पर स्थित भारतीय व्यापार प्रतिनिधि से स्थिति में सुधार लाने सम्बन्धी सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कहां तक कार्यान्वित कर दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) गत कुछ वर्षों में सउदी अरब को सूती कपड़े का निर्यात करीब करीब स्थिर रहा है, जो निम्न प्रकार रहा :—

वर्ष	मूल्य लाख रु०
1960-61	67.4
1961-62	59.0
1962-63	54.3
1963-64	58.1

(ख) इसके लिये मुख्य कारण हैं :—

(1) अरब देशों जैसे संयुक्त अरब गणराज्य तथा सीरिया द्वारा प्राप्त सीमा प्रशुल्कों में प्राथमिकता पूर्ण व्यवहार, और

(2) अन्य निर्यातक देशों जैसे जापान, पाकिस्तान आदि से कड़ी प्रतिस्पर्धा।

(ग) और (घ) सउदी अरब में भारतीय व्यापार प्रतिनिधि द्वारा की गई मुख्य सिफारिश यह थी कि भारतीय निर्माताओं/निर्यातकों को अपने प्रतिनिधियों को व्यापार सम्बन्धी बातचीत करने के लिये व्यक्तिगत रूप से भेजना चाहिए तथा उन्हें उस प्रदेश का बारबार दौरा करना चाहिये। सूती वस्त्र निर्यात सम्बर्द्धन परिषद् ने निर्यातकों के साथ पहले से ही इस सम्बन्ध में आवश्यक बातचीत शुरू कर दी है । परिषद् भी इस प्रश्न की जांच कर रहा है कि किस प्रकार से अन्य देशों से होने वाली प्रतिस्पर्धा का मुकाबला किया जाए। फिर भी, सूती वस्त्रों में, जब कि प्रत्येक देश अपने आप में विकसित होने का प्रयत्न कर रहा है और जब कि यथार्थ में प्रत्येक निर्यातक देश के सूती वस्त्रों का निर्यात लगातार गिर रहा है ; अधिक वृद्धि के लिये विस्तार सीमित है ।

सूडान के साथ व्यापार

*95. **श्री विश्राम प्रसाद :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामपुरे :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है क हाल ही में भारतीय औद्योगिक तथा व्यापार प्रनितिनिधि -मण्डल ने सूडान के सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों से दोनों देशों के बीच ब्यापार बढ़ाने के लिये बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत से क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या मामले में कोई समझौता हुआ है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) औद्योगिकों के एक सद्भावना शिष्टमण्डल ने, जिसे वाणिज्य तथा उद्योग के भारतीय चैम्बरों के संघ ने भारत सरकार की सहायता से भेजा था, हाल ही में कछ अफ्रीकी देशों की यात्रा की। यह सूडान में 1 से 5 अक्तूबर, 1964 तक रहा । यात्रा का उद्देश्य संयुक्त औद्योगिक उद्यमों की स्थापना विषयक सम्भावनाएं योजना तथा सामान्य रूप में दोनों देशों के बीच निकट आर्थिक सम्बन्धों की गुंजाइश का अध्ययन करना था। इस शिष्ट-मण्डल ने मंत्रियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और व्यापारी समुदाय के सदस्यों से बातचीत की ।

(ख) और (ग). क्योंकि यात्रा का स्वरूप खोज संबंधी था, अत: औपचारिक कर का प्रश्न ही नहीं उठता । शिष्टमण्डल की पूरी रिपोर्ट अभी तैयार हो रही है । फिर भी ऐसा पता चला है कि शिष्टमण्डल ने जिन सभी देशों, की, जिस में सूडान भी शामिल था, यात्रा की, उन में काफी सद्भावना पैदा हुई और इस प्रकार उस यात्रा ने भारत के व्यक्तिगत औद्योगिकों द्वारा अनवर्ती कार्रवाई करने की भूमिका तैयार कर दी है । मोटे तौर पर शिष्टमण्डल ने महसूस किया कि जिन देशों का उस ने दौरा किया, उन में उद्योग स्थापित करने की काफी गुंजाइश है ।

हथकरघा कपड़े का निर्यात

*96. { डा० श्रीनिवासन :
श्री कजरोलकर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ब्लीडिंग मद्रास" हथकरघा कपड़े के निर्यात की मात्रा बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस से कपड़े का निर्यात करने वाले व्यापारियों पर असर पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां । पिछले कई वर्षों में ब्लीडिंग मद्रास के निर्यात में बराबर काफी वृद्धि होती रही है । हाल के वर्षों में इस कपड़े का निर्यात इस प्रकार हुआ :—

वर्ष	लाख गज	अनुमानित मूल्य (लाख रु०)
1959	60	132
1960	5	10
1961	18	39
1962	76	190
1963	127	307
1964 (अनुमानित) . . .	160	384

(ख) इस कपड़े के लिये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्राप्त अधिक आर्डरों को पूरा करने में निर्यातकों को कठिनाई हो रही है क्योंकि हथकरघे जितना कपड़ा सम्भरण करने की स्थिति में है, मांग उस से कहीं अधिक है, । जैसा कि पर दिये गये निर्यात के आंकड़ों से स्पष्ट है उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है । करीब करीब समस्त उत्पादन का निर्यात किया जाता है ।

(ग) ब्लीडिंग मद्रास के उत्पादन को यथा सम्भव अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिये सभी कदम उठाये जा रहे हैं । इस कपड़े का उत्पादन करने के लिये मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश में पहले ही हथकरघे अलग से रखे जा चुके हैं । इन क्षेत्रों में इस कपड़े के उत्पादन में और भी अधिक हथकरघे प्रयोग में लाये जा रहे हैं ।

सरकार ने भी निर्यात को विनियमित करने के लिये कछ उपाय अपनाये हैं जिससे दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित हो जाये । जो उपाय किए गए हैं वे हैं (1) किस्म नियंत्रण, (2) जहाज लदान से पूर्व निरीक्षण, (3) संविदाओं का पंजीकरण, (4) न्यूनतम तथा अधिकतम कीमतें तय करना और (5) दक्ष रानेनियतिकों को कोटा देना ।

उत्पादों की सीमित उपलब्धि के कारण इस से भारत और आयातक देशों के हित में स्थिर कीमतें सुनिश्चित हो पायीं हैं। इन विनियामक उपायों को लागू करने से पहले जैसा कि 1960 और 1961 के निर्यात सम्बन्धी आंकड़ों से स्पष्ट है, कई सट्टे विषयक प्रवृतियों, अत्यन्त अस्थिर कीमतों और तुच्छ किस्म के कारण हम ने इन दो वर्षों की अवधि के लिये निर्यात बाजार को खो दिया । इन उपायों के कारण बाजार पुनः जीवित हो गया है और उस में बराबर विस्तार हो रहा है ।

कोयले पर रायल्टी

*97. श्री उइके :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री चांडक :
श्री बाकलीवाल :
श्री वाडीवा :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1956 में निश्चित की गई कोयले पर रायल्टी की दरों को बदलने के लिये मध्य प्रदेश की सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 1964 में सुझाव दिया था कि कोयले के पट्टों पर स्वामित्व की दर बढ़ा कर रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का आठ प्रतिशत कर दिया जाए। सुझाव स्वीकार नहीं किया गया ।

कपड़ों पर किस्म नियंत्रण

*98. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय कपड़े की किस्म खराब हो जाने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कपड़ों पर वस्त्र नियंत्रण लगाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) फिर भी सरकार ने एक सांविधिक वस्त्र समिति का गठन किया है, जिस के कार्यों में आन्तरिक खपत तथा निर्यात दोनों के लिये ही वस्त्रों की किस्म के मानक निर्धारित करना है । इसके साथ ही, इस समय देश की प्रत्येक प्रख्यात मिल अच्छी किस्म के वस्त्रों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये किस्म नियंत्रण विभाग चला रही है ।

निर्यात किये जाने वाले समस्त वस्त्रों का लदान से पूर्व निरीक्षण लागू किया जा रहा है और उसे अमल में लाया जा रहा है ।

Price of Nepa Newsprint

*99. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Industries and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of Nepa newsprint is very high ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken to reduce the price ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) to (c). The present price of Nepa newsprint is about 16% higher than the average landed cost of imported newsprint.

Steps are, however, being taken to increase the production from 30,000 tons per annum to 75,000 tons per annum. With the expansion it is hoped that it would be possible to bring down the price.

व्यापार करार

*100. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सरकारों से व्यापार करार करते समय विशेषत: सरकारी नौवहन संगठनों द्वारा जहाज पर माल लादने के बारे में कोई अनुबन्ध किया गया है ;

(ख) भारत और पोलैण्ड तथा भारत और रूस के बीच व्यापार करारों में नौवहन के लिये क्या शर्तें स्वीकार की गई हैं ; और

(ग) क्या व्यापार करारों को अंतिम रूप देने से पहले इन मामलों पर राष्ट्रीय नौवहन निगम का परामर्श लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) संयुक्त अरब गणराज्य , ईरान तथा पूर्व यूरोप के देशों, जिस में रूस भी शामिल है, के साथ हमारे व्यापार तथा भुगतान करारों में, संविदाकारी दोनों पक्षों के बीच , करारों के अन्तर्गत, आयातित अथवा निर्यातित माल ले जाने के लिये जहाजों की यथासम्भव अधिकतम उपयोग में लाने के लिये, साधारण धाराओं की व्यवस्था है । भारत के सरकारी जहाजी संगठनों द्वारा माल ले जाने के लिये करारों में कोई विशेष अनुबन्ध नहीं किया गया है ।

(ख) पोलैण्ड के साथ हमारे व्यापार करार के मामले में नौवहन अनुबन्ध सम्बन्धी निम्न-धारा लगाई गई है :—

"दोनों सरकारें सहमत हैं कि जहाज पर माल लादने वालों की प्राथमिकता के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, वे भारत-पोलैण्ड के नौवहन सेवा में लगे दोनों देशों के नौवहन संगठनों के निजी अथवा उन के द्वारा चलाये जाने वाले जहाजों अथवा विश्व की प्रतिस्पर्धात्मक भाड़े की दरों और शर्तों के आधार पर इस करार के अधीन आयातित अथवा निर्यातित माल लादने के उद्देश्य से भारत या पोलैण्ड की पताका फहराने वाले अन्य जहाजों का यथासम्भव अधिकतम उपयोग करेंगे ।"

"दोनों में से किसी एक देश के व्यापारी जहाजों को, चाहे उन में माल भरा हुआ हो या नहीं, दूसरे देश के बन्दरगाह में दाखिल होते, ठहरते अथवा वहां से जाते समय, वही अधिकतम अनुकूल सुविधायें प्राप्त होंगी, जो तीसरी पताका के जहाजों को उन के अपने नियमों, विनियमों तथा विनियमनों द्वारा प्राप्त हैं । फिर भी ये सिद्धान्त तटीय व्यापार में लगे हुए जहाजों पर लागू नहीं होगा ।"

सोवियत रूस के साथ हुए हमारे व्यापार करार में नौवहन सम्बन्धी निम्न धारा है ।

"इस करार के अन्तर्गत, एक देश से दूसरे देश को यथासम्भव भारतीय और रूसी जहाजों में आयात और निर्यात किये गये माल के लदान के लिये दोनों सरकारें यथासम्भव सहायता प्रदान करेंगी ।"

(ग) व्यापार करारों में नौवहन सम्बन्धी धाराओं को शामिल करते समय परिवहन मंत्रालय की हमेशा सलाह ली जाती है ।

चितरंजन के रेलवे इंजन

* 101. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चितरंजन में रेलवे इंजन बनाने का काम धीमा कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा इस कारण से हुआ है, कि अब डीजल और बिजली के इंजन बनाये जा रहे हैं ?

(ग) यहां पर कब तक सभी बिजली के इंजन बननें लगेंगे ; और

(घ) क्या इस परियोजना पर कोई अतिरिक्त व्यय होगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) और (घ). अभी यह बताना संभव नहीं है कि चितरंजन में भाप रेल इंजनों की जगह कब से केवल बिजली रेल इंजनों का निर्माण होने लगेगा। लेकिन इस बात की संभावना है कि जब और जैसी भारतीय रेलें :—

(1) चित्तरंजन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग बिजली रेल इंजनों और उसके उपस्करों के निर्माण और अन्य आवश्यक तथा उपयुक्त प्रयोजनों के लिए करने लगेंगी ; और

(2) सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली और डीजल रेल इंजनों का उत्पादन बढ़ा सकेंगी ;

तो चित्तरंजन में भाप रेल इंजनों का निर्माण धीरे-धीरे कम होता जायेगा ।

भाप रेल इंजनों का निर्माण धीरे-धीरे कम करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है उस के परिणामस्वरूप चितरंजन में ज्यों-ज्यों छतदार जगह, संयंत्र, मशीनरी और अन्य वर्तमान सुविधायें उत्तरोत्तर उपलब्ध होंगी, उनका अधिक से अधिक लाभ उठाया जायेगा। लेकिन बिजली रेल इंजनों के निर्माण के लिए अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाओं और विशिष्ट प्रकार के उपस्करों की व्यवस्था के लिए कुछ और खर्च करना पड़ेगा ।

योरोपीय साझा बाजार

*102. श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योरोपीय साझा बाजार में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने, इसके छः सदस्यों से प्रशुल्क रियायतें, जिनको लेने की इच्छा बहुत समय से है, लेने के बारे में अपने प्रयत्न पुन आरम्भ कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रयत्नों के अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). जी, हां। योरोपीय आर्थिक समुदाय के आयोग को दिये गये एक हस्ताक्षर रहित स्मरणपत्र दिनांकित 29, सितम्बर, 1964 जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है, में भारतीय आर्थिक मिशन ने समुदाय के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के विकास से संबंधित समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया और इन समस्याओं का उचित हल ढूंढने के बारे में बातचीत करने के लिये आयोग को आमन्त्रित किया। हस्ताक्षर रहित स्मरण पत्र के विषय में चल रही प्रारम्भिक बातचीत में अब प्रगति हो रही है।

इस बातचीत के द्वारा अब तक प्राप्त रियायतों की सूची संबंधी एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3388/64]**

ऊनी कपड़े के मूल्य

*103. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले मौसम के मूल्यों की तुलना में इस वर्ष ऊनी कपड़े के मूल्य 25 प्रतिशत बढ़ गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्य कम करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). यद्यपि ऊनी कपड़े की कुछ चीजों जैसे पनामा और गैबर्डीन की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है किन्तु सूटिगों और मिल्टन के मामले में पिछली साल की तुलना में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस वृद्धि का प्रमुख कारण यह था कि ऊन और ऊनी लच्छियों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के नियतन में भारी कटौती कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त कच्ची ऊन की कीमतों में भी कुछ वृद्धि हुई।

(ग) उपभोक्ताओं को ऊनी माल उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिये, राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत उपभोक्ताओं सहकारी स्टोरों तथा उचित मूल्यों वाली दुकानों को ऊनी कपड़े तथा बुनाई की ऊन का संभरण करने की व्यवस्था कर दी गई है। इस व्यवस्था के अधीन, ऊन उद्योग ने उपभोक्ता सहकारी स्टोरों तथा उचित मूल्य वाली दुकानों को देने के लिये 25 लाख रु० के मूल्य के ऊनी कपड़े तथा 5 लाख रु० के मूल्य की बुनाई की ऊन का नियतन करने की सहमति दे दी है। इसके साथ साथ ऊनी माल का कुल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से देशी ऊन का अधिकाधिक उपयोग करने के लिये भी इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

कोरबा में अल्युमीनियम का कारखाना

*104. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री चांडक :
श्री बाकलीवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री वाडीवा :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री उइके :
श्री ओझा :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के सहयोग से कोरबा (मध्य प्रदेश) में एकीकृत अल्युमीनियम का कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) क्या हंगरी के दल ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) कोरबा (मध्य प्रदेश) के स्थान पर एकीकृत एल्युमीनियम कारखाने की स्थापना का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन है । इरादा यह है कि हंगरी की तकनीकी सहायता का लाभ, प्रायोजना की एल्युमिना अवस्था तक की पूर्ति में, जिसकी क्षमता 1,20,000 मीट्रिक टन वार्षिक एल्युमिना है, उठाया जाए । प्रथम चरण के रूप में हंगरी वालों को एल्युमिना संयंत्र के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये कहा गया है । इस उद्देश्य के लिये 17 नवम्बर, 1964 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गए हैं । एल्युमिनियम प्रद्रावक तथा संविरचना सुविधाओं के लिये तकनीकी सहयोग प्राप्त करने के लिये सम्भाव्य प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं। समझौते की शर्तों के अनुसार, समझौते के लागू होने के दस महीनों के अन्दर, हंगरीयन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें प्रायोजना का विश्वसनीय आर्थिक निर्धारण भी होगा और अन्तिम परियोजना रिपोर्ट, समझौते के लागू होने के 18 महीनों के अन्दर प्रस्तुत की जाएगी।

सेलम के अयस्क से इस्पात कारखाना

*105. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सेझियान :
श्री रामनाथन चेट्टियार :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम के लौह अयस्क तथा नीवेली के लिग्नाइट से एक इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना के स्थापना स्थान, क्षमता और पूंजीगत व्यय का विवरण क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति

177. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के लिये दक्षिण रेलवे ने कितने सदस्यों को नामजद किया है ;

(ख) समिति में संसद् और राज्य विधान मंडलों के कितने सदस्य हैं ;

(ग) सदस्यों को नामजद करने में क्या तरीका अपनाया जाता है ;

(घ) क्या समिति में विपक्षी दलों के भी किसी सदस्य को नामजद किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य रेलवे मंत्री द्वारा नामजद किये जाते हैं। जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति, दक्षिण रेलवे में इस समय 55 सदस्य हैं।

(ख) इस समिति में चार संसद सदस्य हैं और पांच राज्य विधान मंडलों के सदस्य हैं, प्रत्येक राज्य से एक सदस्य ।

(ग) संसद् सदस्यों और राज्य विधान मंडलों की नामजदगी क्रमश: संसद कार्य मंत्री और संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों पर की जाती है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केले का निर्यात

178. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण के चार राज्यों में मिल जुल कर केले के निर्यात के लिये एक केला और फल विकास निगम स्थापित किया है ;

(ख) निगम कार्य करना कब आरम्भ करेगा ; और

(ग) किस किस किस्म के केले निर्यात किये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) यह शीघ्र ही काम करना आरम्भ करेगा ।

(ग) पूवन और वसराई किस्में ।

Railway Bridge at Bakhtiarpur

179. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 816 on the 18th September, 1964 and state :

(*a*) whether the work on the constructions of the proposed Railway Bridge at Bakhtiarpur on the Eastern Railway has been started;

(*b*) if not, the reasons for the delay ; and

(*c*) when the construction of the bridge would be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) :

(*a*) No, Sir.

(*b*) The acceptance of the Government of Bihar for the scheme of construction of a road over-bridge at Bakhtiarpur is still awaited.

(*c*) It is not possible to indicate the probable date of completion at this stage.

वस्त्रों और तैयार वस्तुओं संबंधी निगम

180. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्रों और तैयार वस्तुओं संबंधी निगम स्थापित करने के मामले में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) निगम कब काम करना आरम्भ करेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

राजस्थान में तांबे के निक्षेप

181. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घंटोल और विरामसर (जिला चुरु, राजस्थान)—जहां पर कहा जाता है कि अयस्क में 12 प्रतिशत तांबा है और 25 प्रतिशत गंधक —में पाये गये तांबे के निक्षेपों के संबध में कि ये कैसे हैं क्या सरकार को राजस्थान सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कदम उठाना चाहती है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दरीबा, राजस्थान में तांबे के निक्षेप

182. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दरीबा, राजस्थान में तांबे के निक्षेपों के संबंध में भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तथा भारतीय खान विभाग द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : दरीबा निक्षेपों के पता लगाने का काम भारतीय भतत्वीय सर्वेक्ष विभाग तथा भारतीय खान विभाग ने किया है । इस क्षेत्र के आसपास तांबे के अयस्क का पता लगा है । अनुमान है कि 5,62,000 मीट्रिक टन तांबे के अयस्क हैं । अनुमान है कि मध्यम श्रेणी के अयस्क में 2·46 प्रतिशत तांबा है । व्यापार की दृष्टि से इन निक्षेपों को निकालने का प्रश्न विचाराधीन है ।

बाल्यापट्टम रेल-सड़क पुल

183. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे की ओलावास्कोड डिवीजन में बाल्यापट्टम रेल सड़क पुल को बन्द करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो सड़क यातायात के लिये पुल को बन्द करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यातायात को जो कठिनाई हो जायेगी उसको दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

केरल में रेयान पल्प फैक्टरी

184. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांस के मूल्यों के मामले में रेयान पल्प फैक्टरी, कोजीकोड के साथ किये गये ठेके का पुर्नावलोकन करने के लिये केरल सरकार के सामने कोई प्रस्ताव है ;

(ख) ठेका दर पर बांस देने से अब तक केरल सरकार को अनुमानतः कितनी हानि हूई है ;

(ग) ठेके की दर क्या है और प्रचलित बाजार दर क्या है ; और

(घ) वर्तमान ठेके की अवधि कब समाप्त होगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) से (घ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अफ्रीकी देशों में उद्योगों का स्थापित किया जाना

185. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व उद्योग तथा संभरण मंत्री स्वर्गीय श्री दासप्पा ने हमारी वस्तुओं, विशेषतः देश में निर्मित पूंजीगत वस्तुओं के लिये मंडियां ढूंढने के उद्देश्य से अफ्रीका के उन देशों का दौरा किया था जो हाल ही में स्वतन्त्र हुए थे ;

(ख) क्या मंत्री महोदय ने इन देशों में कपड़ा, चीनी, सीमेंट, पटसन, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग चालू करने की आवश्यकता का अनुभव किया था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या करना चाहती है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र): (क) भूतपूर्व उद्योग तथा संभरण मंत्री श्री दासप्पा को जम्बिया के स्वतन्त्रता दिवस समारोह के अवसर पर भेजा गया था। जम्बिया जाते हुए उन्होंने कीनिया और उगांडा का दौरा किया था। उन्होंने इन देशों का दौरा भारतीय वस्तुओं के लिये मंडियां ढूंढने के उद्देश्य से नहीं किया था।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

विद्युतीकृत स्टेशन

186. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर कितने विद्युतिकृत स्टेशन हैं ;

(ख) चालूवित्तीय वर्ष में कितने स्टेशनों का विद्युतिकरण किया जायगा ; और

(ग) 1965–66 में कितने स्टेशनों का विद्युतिकरण करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 526 ।

(ख) 21 ।

(ग) उचित मूल्य पर विद्युत शक्ति उपलब्ध होने पर 35 ।

सस्ते रेडियो का बनाया जाना

187. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के भीतर खपत तथा निर्यात प्रयोजनों के लिये बड़े पैमाने पर सस्ते रेडियो बनाना आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और यह योजना प्रतिरक्षा तथा वाणिज्यिक आवश्यकताओं को कहां तक पूरा कर सकेगी ?

उद्योग तथा संभरण मत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) सरकार ने बड़े पैमाने पर सस्ते रेडियो बनाना आरम्भ नहीं किया है, परन्तु सरकार गैर सरकारी क्षेत्र के निर्माताओं के साथ परामर्श कर के बड़े पैमाने पर सस्ते घरेलू रेडियो बनाने के तरीकों पर विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग

188. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 में उड़ीसा राज्य में सहकारिता के आधार पर छोटे पैमाने के कितने हथकरघा उद्योग चालू किये गए ;

(ख) उसी अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा इन उद्योगों के विकास के लिये ऋण तथा अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ग) इसी प्रयोजन के लिये 1964–65 में कुल कितनी राशि दी गई अथवा देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) 1963–64 में उड़ीसा राज्य में 10 हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां दर्ज की गई थीं।

(ख) इस अवधि में समितियों के लिये निम्नलिखित राशियां ऋण तथा अनुदानों के रूप में मंजूर की गई थीं :—

	लाख रुपये
ऋण	7.29
अनुदान	5.64
कुल .	12.93

(ग) 1964–65 के लिये उड़ीसा में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये 23 लाख रु० का योजना व्यय रखा गया है। राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा ऋणों तथा अनुदानों का वास्तविक राशि फरवरी, 1965 में चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 9 महीनों के वास्तविक व्यय तथा अगले 3 महीनों के प्रत्याशित व्यय के आधार पर, मंजूर की जायगी।

जीपों का निर्माण

189. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना में जीपों के निर्माण के लिये कोई लक्ष्य रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह लक्ष्य कहां तक पूरा होने की आशा है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) तृतीय योजना के लिये 10,000 जीपों का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) लक्ष्य 1964 में ही पूरा हो जायगा।

Running Time of Mail/Express Trains

190. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shrimati Savitri Nigam:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:

Will the **Minister of Raiways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that since Independence the running time of various mail and express trains in the country has been increased by 1 and 1 ½ hours; and

(b) if so, the steps being taken to reduce the running time of these trains?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) & (b). A review of the overall running time of some important Mails and Expresses on the different trunk routes, as obtaining in the years 1947-48 and as at present was made recently. This showed that there has been an increase in the running time of some of the trains, while in the case of some others, there is a reduction. The reason for the increase has been found to be the provision of extra time in the time schedule of these trains for the large number of engineering works which have been undertaken to increase the line capacity on these routes to deal with the heavier quantum of traffic generated by the various Five Year Plans. A substantial reduction in the running time of trains would be effected as and when the time required for engineering works is eliminated on completion of the works in question.

व्यापार संतुलन

191. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 में भारत का किन-किन देशों के साथ विपरीत व्यापार सन्तुलन था और चालू वर्ष में इसके कहां तक कम किये जाने की आशा है ;

(ख) 1963-64 में उन देशों को कुल कितने मूल्य का सामान निर्यात किया गया तथा उनसे कुल कितने मूल्य का सामान आयात किया गया ; और

(ग) 1963-64 में किन किन देशों के साथ भारत का व्यापार सन्तुलन अनुकूल था तथा कहां तक और चालू वर्ष में इसके कहां तक बढ़ाये जाने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). यह जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है कि 1963-64 में विभिन्न प्रदेशों में रखे गये देशों में से किन किन के साथ भारत का व्यापार सन्तुलन विपरीत तथा अनुकूल रहा । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी०—3389/64**] 1963-64 में प्रत्येक देश के साथ भारत के निर्यात तथा आयात के आंकड़े भी विवरण में दिये गये हैं ।

क्योंकि पूर्व यूरोपीय देशों, जिसमें कि रूस भी शामिल है, के साथ भारत का व्यापार बड़े संतुलित आधार पर एक व्यापार योजना की व्यवस्था के अनुसार प्रतिवर्ष चलता है । 1963-64 के चालू वित्तीय वर्ष में जो व्यापार संतुलन के कुछ विपरीत चिन्ह दिखाई दिये हैं उन्हें इस काल में

निर्यात को बढ़ा कर पूरा कर लिया जायेगा अथवा व्यापार करार की अवधि के पूरा होने तक यह कमी पूरी हो जायेगी ।

पश्चिम यूरोपीय देशों में पश्चिम जर्मनी के साथ भारत का सब से अधिक विपरीत व्यापार संतुलन है । इसका एक कारण यह भी है कि भारत वहां से आवश्यक मशीनें और उपकरण आयात करता है । जिनका नकद भुगतान नहीं किया जाता । अन्य पश्चिम यूरोपीय देशों के साथ जिनके साथ कि हमारा विपरीत व्यापार संतुलन था, अप्रैल/अगस्त, 1964–65 में 1963–64 की उसी अवधि की अपेक्षा भारत का निर्यात व्यापार बढ़ा है जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है । आशा है कि 1964–65 में पश्चिम यूरोपीय देशों के लिये चलाये गये निर्यात प्रोत्साहन आन्दोलन से, जिसमें विशेषत: पश्चिम जर्मनी को खनिजों और अयस्कों के निर्यात किये जाने के प्रयत्न भी शामिल हैं, विपरीत व्यापार संतुलन काफी कम हो जायेगा ।

एशिया तथा अफ्रीका के अधिकांश देशों के साथ हमारा निर्यात व्यापार 1964–65 के प्रथम पांच महीनों में गत वर्ष की उस ही अवधि की अपेक्षा काफी बढ़ा है । आशा है कि 1964–65 में निर्यात प्रोत्साहन आन्दोलन से इन दोनों प्रदेशों के अधिकांश देशों के साथ जो हमारा विपरीत व्यापार संतुलन है वह ठीक हो जायेगा ।

1963–64 में पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारी मात्रा में अन्न आयात करने तथा ए० आई० डी० के अन्तर्गत अन्य आयात के कारण जो भारत का बहुत विपरीत व्यापार संतुलन था वह आशा है कि इस वर्ष कुछ सुधर जायेगा जैसा कि 1964–65 के प्रथम पांच महीनों में निर्यात की प्रवृति से पता चलता है । इस वर्ष अमरीका के साथ निर्यात व्यापार बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

चालू वर्ष में लेटिन अमरीका के देशों के साथ भी अनुकूल संतुलित व्यापार बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है । इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने हाल ही में लेटिन अमरीका का दौरा किया था ।

यदि निर्यात की गति वही रही जो इस समय है तो आशा है कि 1964–65 में कुल निर्यात 810 करोड़ रु० से भी अधिक पहुंच जायेगा ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योग

१६२. { **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने ने अपने संसाधनों से कुछ नये उद्योग चालू किये हैं :

(ख) यदि हां, तो इसी प्रकार से सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्योगों में भी आत्म निर्भरता लाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) डिज़ाईनिंग तथा निर्माण के बारे में सरकारी क्षेत्र ने कितनी आत्म निर्भरता प्राप्त की है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). यद्यपि हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने ने टूट फूट के लिये बनाई गई निधियों और रक्षित निधियों द्वारा कुछ धन इकट्ठा किया है, यह नहीं कहा जा सकता कि नये उद्योगों को स्थापित करने के लिये केवल यही निधियां पर्याप्त थीं। इसी प्रकार से सरकारी क्षेत्र के एककों ने भी कुछ निधियां जमा की हैं। जसा कि ततीय पंचवर्षीय योजना में प्रकल्पना की गई है सरकारी क्षेत्र के सभी एकक अपने भीतरी संसाधनों द्वारा धन इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु स्थिति एक एकक से दूसरे एकक में भिन्न है और बहुत से बड़े एककों का अभी निर्माण चालू है अथवा उन्होंने हाल ही में उत्पादन आरम्भ किया है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बड़े एकक अपनी ही डिजाइन और निर्माण संस्थाएं बना रहे हैं। ये संस्थाएं किस मात्रा तक परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, यह एक एकक से दूसरे एकक में भिन्न है।

पंजाब में ट्रैक्टर का कारखाना

193. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में खेती के यंत्रीकरण के कार्य को तेजी से करने के लिये एक ट्रैक्टर का कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा और उसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) जी, हां। सरकार ने सरकारी क्षेत्र में पंजाब में एक ट्रैक्टर के कारखाने को स्थापित करने की परियोजना का अनुमोदन किया है।

(ख) कारखाना फरीदाबाद में खोला जायेगा और इसकी क्षमता 7,000 ट्रैक्टर (34.5 होर्स पावर) प्रति वर्ष होगी।

वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी

194. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले भारत ने वाशिंगटन में हुई एक खाद्य प्रदर्शनी में भाग लिया और फलों के रस, डिब्बों में बन्द सुब्जियों, मुरब्बों और मिठाइयों को प्रदर्शित किया; और

(ख) यदि हां, तो ये वस्तुएं वहां पर देखने वालों को कैसी लगीं और क्या इनके निर्यात की कुछ गुजाइ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत की तैयार खाद्य पदार्थ निर्यात प्रोत्साहन परिषद् की ओर से भारतीय दूतावास ने प्रदर्शनी में भारतीय वस्तुओं को रखा था। भारत भेजे गये डिब्बों में बन्द कुछ खाद्य पदार्थों को दिखाया गया था। दर्शकों को मुफ्त नमूने बांटे गये थे। भारतीय चाय बोर्ड की ओर से मुफ्त चाय पिलाने का प्रबन्ध किया गया था जो बहुत आकर्षक सिद्ध हुआ। एक छोटा सा स्टैंक बार खोला गया था जिसमें कुछ चुनी हुई खाने की भारतीय वस्तुएं रखी गई थीं। क्योंकि ये सब चीज़ वाशिंगटन के लोगों के लिये नई थीं, इसलिये भारतीय मण्डप ने बहुत लोगों को आकर्षित किया। मुरब्बे, आम का रस, केले की चाट, चाय और डिब्बों में बन्द मिठाइयों जैसे रसगुल्ले आदि विशिष्ट रूप से लोकप्रिय सिद्ध हुए और पैकिंग में सुधार कर के इन्हें सफलतापूर्वक निर्यात किया जा सकता है।

नेपा पेपर मिल्स

195. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपा पेपर मिल्स को बड़ा बरके अखबारी कागज़ के उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का विवरण क्या है ;

(ग) इससे देश की आवश्यकता कहां तक पूरी होगी ; और

(घ) इस मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) नेपा पेपर मिल्स की वर्तमान क्षमता को जो कि 30,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, बढ़ा कर 75,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष कर दिया जायेगा। आशा है कि यह कार्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में पूरा हो जायेगा।

(ग) प्रतिबन्धित मांग का लगभग 50 प्रतिशत।

(घ) दो एककों को स्थापित करने के लिये सरकार ने लाइसेंस जारी कर दिये हैं। इन एककों की कुल क्षमता 90,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। इन दो योजनाओं की क्रियान्विति का काम तेजी से नहीं चल रहा है और ये चतुर्थ योजना के अन्त से पहले पूरी नहीं हो सकेंगी। सरकार अखबारी कागज के उत्पादन के लिये अधिक योजनाओं को लाइसेंस जारी करने की संभावना पर भी विचार कर रही है। निकट भविष्य में अखबारी कागज के संबंध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये पूरी कोशिश की जा रही है।

तीसरी श्रेणी की वातानुकलित डिलक्स गाड़ियां

196. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केप्पन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हावड़ा-दिल्ली, बम्बई-दिल्ली और मद्रास-दिल्ली मार्गों पर प्रति दिन तीसरी श्रेणी की वातानुकूलित डिलक्स गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब चालू की जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ऊनी होजरी धागे का वितरण

197. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊनी होजरी धागे के वितरण के प्रश्न पर नियुक्त जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उनमें से कितनी सिफारिशें मंजूर की गई हैं और उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) से (ग). आदेश की एक प्रति, जिसमें ऊनी धागा वितरण जांच समिति की मुख्य सिफारिशें दी गई हैं और उन पर सरकार द्वारा किये गये निर्णय भी दिये गये हैं, सभा पटल पर रखी जाती हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3390/64]** इन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

Dead Body of Woman in Train

198. **Shri Bagri :**
Shri Vishram Prasad :
Shri Yashpal Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Ram Sewak :
Shri P. G. Sen :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a dead body of a 26 year old woman was found in a first class compartment of the Itarsi-Allahabad Passenger train at Manikpur Railway Station on the Central Railway on the 3rd October, 1964 ; and

(b) if so, whether Government have investigated into the matter and the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Government Railway Police, Satna have registered a case U/s 302 I.P.C. and investigation is in progress.

Railway Time-Table Committee.

199. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Time-Table Committee is not a statutory committee ; and

(b) if so whether Government propose to make it a statutory committee ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) There is no proposal to make the Railway Time-Table Committees statutory Bodies.

Railway Bookstalls

200. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railways have given full monopoly to one firm, *viz.*, M/s. A. H. Wheeler & Sons to run bookstalls at the main Railway Stations throughout India; and

(b) whether Government are formulating any scheme to end this monopoly of bookstalls on Railway stations being held by one firm ?

The Deputy Minister for Railways (Shri Sham Nath): (a) The rights previously given to M/s. A. H. Wheeler & Co. Ltd. for running bookstalls exclusively over an entire Railway or portions thereof have, with effect from

1-8-1960, been modified so that (i) at stations where there are no bookstalls, others can be permitted to open bookstalls and (ii) even at stations where M/s. A. H. Wheeler & Co. Ltd. have their stalls, it is permissible to open other stalls for the sale of books, periodicals etc. of certain specified institutions like the Ramakrishna Mission, the Gita Press etc. M/s. A.H. Wheeler & Co. Ltd. do not, therefore, now have a monoploy in running bookstalls. There are about 65 contractors other than M/s. A. H. Wheeler & Co. Ltd., who are running bookstalls on the different Railways. The current agreements with M/s. A. H. Wheeler & Co. Ltd. are for a period of five years ending 31-12-1966. Provision, however, exists in these agreements that they may be renewed for a further period of five years on such modified terms as considered necessary, if at the time of renewal, there is no breach of contract and the service of the contractors is considered to be satisfactory by the Railway Administration concerned. In the arrangements for selling of books, the main consideration is to ensure satisfactory service in providing suitable reading material. This necessarily requires a large organisation.

(*b*) In view of what is stated above, the question of ending the monopoly does not arise. Any question of reducing the holdings can only arise, after the expiry of the existing contract.

Industries with foreign collaboration

201. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(a) Whether it is proposed to start some big industries for the manufacture of Steel and Heavy Engineering machinery by the end of this year in collaboration with some foreign countries ;

(b) the number of them in private and public sectors separately ; and

(c) when these are likely to go into production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a), (b) and (c). A number of projects, both big and small, with foreign collaboration have been approved in the private sector. their progress is being watched. It is not possible to say categorically how many or which of these projects will be actually set up during 1964.

A few projects are being planned for being set up in the public sector also. Collaboration arrangements for these projects are still under negotiation. Apart from the projects already under implementation by the Hindustan Machine Tools, Heavy Engineering Corporation and Heavy Electrical Limited, no new project in the public sector for the manufacture of heavy machinery is expected to be established during 1964.

Hindi Typewriters

202 **Shri Vishram Prasad:**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of junctions, important stations and Divisional offices in Hindi speaking States where there are no Hindi typewriters ; and

(b) the arrangements being made to supply Hindi typewriters to these Offices ?

The Minister of state in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). Depending on the quantum of work transacted in Hindi, Hindi typewriting machines have been provided in most of the Divisional and District offices located in Hindi speaking areas. No Hindi typewriting machines have so far been provided at junctions and other important stations as they are not required at present. As and when necessary, Hindi type-writing machines will be supplied in other offices also.

द्वितीय ढलाई-गढ़ाई कारखाना

203. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 11 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 134 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय ढलाई-गढ़ाई कारखाना स्थापित करने के लिए क्या विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). दी हैवी इलैक्ट्रीकल्स (आई) लिमिटेड ने उन के द्वारा स्थापित किये जा रहे भारी इलैक्ट्रीकल संयत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 15,000 टन प्रतिवर्ष खास तरह के इस्पात ढलाई तथा गढाई का एक केन्द्रीय ढलाई गढाई कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार किया गया है। परियोजना प्रतिवेदन हैवी इलैक्ट्रीकल (आई) लिमिटेड के निदेशकों के विचाराधीन है।

निपटान तथा सम्भरण महानिदेशालय

204. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री 11 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 141 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने टैंडर बुलाने तथा ठेके देने सम्बन्धी प्रक्रियाओं की जांच कर ली है और निपटान तथा सम्भरण महानिदेशालय के कार्य संचालन का भी अध्ययन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन के परिणाम क्या हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में सम्भरण तथा तकनीकी विकास मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख). अध्ययन दल द्वारा अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

घटिया किस्म का कोयला

205. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा घटिया किस्म का कोयला बचने के लिये एक सक्रिय आन्दोलन आरम्भ किया गया है; और

(ख) उस आन्दोलन के नवीनतम तथा प्रत्याशित परिणाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). अन्य कोयला उत्पादकों की तरह राष्ट्रीय कोयला विकास निगम भी अपने कोयले को बेचने के लिए प्रयत्नशील है। उन प्रयत्नों के परिणाम वित्तीय वर्ष के अन्त में आंके जायेंगे ।

सेना के लिए जूते

206. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष के लिए सैनिकों के लिए जूतों के निर्माण तथा सम्भरण के लिये कुछ गैर-सरकारी सार्थों को आर्डर देने सम्बन्धी निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मैसर्स कूपर एलन एण्ड कम्पनी, कानपुर, तथा अन्य सार्थों को कुल कितना आर्डर दिया गया है;

(ग) क्या कूपर एलन की उत्पादन क्षमता 12 लाख जूते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन की सारी आवश्यकतायें पूरी हो गई हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में सम्भरण तथा तकनीकी विकास मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उन की क्षमता इस समय लगभग 70,000 जूते प्रति मास बनाने की है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गारो पहाड़ियों में जिपसम के निक्षेप

207. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम की गारो पहाड़ियों में बड़ी मात्रा में पाये जाने वाले जिपसम के निक्षेपों की मात्रा तथा किस्म का अब तक निर्धारण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे निकालने तथा कुछ उद्योगों में उसका प्रयोग करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). राज्य के भूतत्वीय तथा खनन निदेशालय की ओर से आसाम की गारो पहाड़ियों में पाये जाने वाले जिपसम निक्षेपों का पता लगाया जा रहा है । चूंकि वह जांच-पड़ताल अभी प्रारम्भिक अवस्था में है इसलिये जिपसम निकालने तथा उसे प्रयोग में लाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम के लिए औद्योगिक बस्तियां

208. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में औद्योगिक बस्तियों के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी धन-राशि नियत की गई है और कितनी सम्पदाओं के लिए मंजूरी दी गई है; और

(ख) इस समय कितनी बस्तियों में काम हो रहा है और कितनी नियत की जानी अभी शेष हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) तीसरी योजना में की गई नियत राशि—59.00 लाख रुपये ।

औद्योगिक बस्तियों सम्बन्धी राज्य की वे योजनायें जिन के लिए केन्द्रीय सरकार ने तकनीकी तौर पर सहमति प्रकट की है	दो	1. तिंसुकिया (जिला लखिमपुर) 2. शिवसागर (जिला शिवसागर)

(ख) नवीनतम सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

363 Dn. Agra Passenger Train

209. **Shri Naval Prabhakar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are no lighting arrangements in 363 Dn. Agra-Delhi passenger train ;

(b) if so, the reasons therefore ;

(c) whether any complaint was received in that connection ; and

(d) if so, the action taken thereon ?

The Minister of state in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) During the last 6 months only one general complaint regarding dim lighting of trains in this section was received.

(d) Necessary instructions were issued to all concerned and every effort is being made to maintain train lighting equipment in these trains in good working order. At times, however, the maintenance of electrical equipment suffers as a result of thefts ; but when such cases are noticed necessary

action is taken to rectify the same as quickly as possible. Preventive steps are also taken with a view to avoiding the thefts as far as possible.

नई रेल गाड़ियां

210. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री अक्तूबर, 1961 से चलाई गई नई रेल गाड़ियों से सम्बन्धित 25 सितम्बर, 1964 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1244 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश तथा पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्र की पंजाब की जनता ने अभ्यावेदन किये हैं भीड़ कम करने के उद्देश्य से नगल बांध तथा दिल्ली के बीच प्रयोगात्मक आधार पर एक सीधी गाड़ी चलाई जाये; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस विषय में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली तथा नंगल बांध के बीच सीधे यात्रा करने वाले लोगों की संख्या इतनी नहीं है कि उनके लिए एक सीधी गाड़ी चलाई जाये । दिल्ली-अम्बाला भाग पर रेलवे लाईन पर इतनी गाड़ियां चलती हैं कि वहां एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना सम्भव नहीं है । दिल्ली तथा नंगल बांध तक सीधे यात्रा करने वाले लोगों के लिए जो दो सीधे जाने वाले गाड़ी के डिब्बे, एक प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए 1 अप/2 डाऊन मेल गाड़ियों के साथ तथा दूसरा तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए 53 अप/54 डाऊन नंगल बांध एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ, वे उनकी आवश्यकताओं की दृष्टि से पर्याप्त हैं ।

कोयला उत्पादन के लिए विदेशी सहायता

211. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **इस्पात** [illegible] **न** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कुछ देशों ने तकनीकी तथा वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया ह ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से देशों ने तथा उनके द्वारा प्रस्तावित सहायता की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस सहायता से कोयले का उत्पादन कितना बढ़ जाने की सम्भावना है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) पोलैंड अमरीका तथा रूस ने तकनीकी सहकारिता तथा विदेशी मुद्रा ऋण देने का प्रस्ताव किया है। फ्रांस "गुफा की खुदाई" के साथ लम्बी दीवार वाले उपाय का प्रयोग करके एक प्रयोगात्मक खान के विकास कार्य में सहायता कर रहा है । ब्रिटेन से भी इसी प्रकार के प्रस्ताव की आशा है ।

(ग) इस सहायता के परिणामस्वरूप 180 से 200 लाख टन कोयले का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है ।

रेलवे स्टेशनों का विस्तार

212. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने कीरतपुर साहब तथा नंगल बांध स्टेशनों के विस्तार के लिए 1962 में सहमति प्रकट कर दी थी तथा मंजूरी दे दी थी परन्तु वह काम अभी तक लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं और विस्तार कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). कीरतपुर तथा नंगल बांध स्टेशनों के विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं के किसी काम के लिए 1962 में मंजूरी नहीं दी गई थी। तथापि, 1964–65 में नंगल बांध स्टेशन पर निम्नलिखित पांच अतिरिक्त सुविधाओं सम्बन्धी काम करने का प्रस्ताव है और यह निकट भविष्य में पूरे हो जायेंगे—

(1) यात्री प्लेटफार्म पर शैड बनाना;

(2) माल तथा पार्सल सुविधाओं में सुधार करना ;

(3) प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षक गृह में फ्लश प्रणाली के शौचालयों का उपबन्ध करना ;

(4) धोने वाले रेकों के लिए ज़मीन पर नलों का उपबन्ध करना ;

(5) यात्रियों के लिए साफ शौचालयों, पेशाब करने के स्थानों तथा स्नानगृहों की सुविधाओं का उपबन्ध करना ।

अरकोणम रेलवे नवन्तरण यार्ड-दुर्घटना

213. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि 6 अक्तूबर, 1964 को जब अरकोणम रेलवे नवन्तरण यार्ड में रेलवे रक्षक ने कुछ लोगों पर गोली चलाई तो एक व्यक्ति मर गया, उस पर यह आरोप है कि वह अनाज की गाड़ियों में घुस गया था ;

(ख) क्या इस दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) घायल होने वालों की संख्या क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां, असैनिक प्राधिकारी जांच कर रहे हैं ।

(ग) जांच के अन्तिम निर्णय की अभी प्रतीक्षा है ।

(घ) एक आदमी मर गया था और रक्षक को भी साधारण घाव आये थे ।

केरल में सूक्ष्म उपकरण संयंत्र

214. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोटेकाट्ट :
श्री केप्पन :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सूक्ष्म उपकरण संयंत्र को हाइड्रोलिक न्यूमैटिक यन्त्र बनाने के लिए जो रूस की सहायता से बनाया जा रहा था, उस दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना पर क्या खर्च आने का अनुमान है; और

(ग) संयंत्र कब तक उत्पादन करने के योग्य हो जायेगा ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) पालीधार क्षेत्र के पुडैसरी स्थान को इस के लिए चुना गया है । बिना किसी कीमत के राज्य सरकार ने इसके लिये 600 एकड़ भूमि देना मान लिया है। राजस्थान कोटा में 'इंस्टरूमैन्टेशन लिमिटेड' नाम से कम्पनी भी रजिस्टर हो गई है और इसका काम परियोजना को कोटा, केरल दोनों स्थानों पर कार्यान्वित करना है । इसे तैयार करने के लिए और परियोजना की अन्य बातों का सविस्तार निर्णय करने के लिए मास्को की मैसरज़ प्रोमैसएक्सपोर्ट के साथ 10 जनवरी, 1964 को एक करार पर दस्तखत हुए हैं । 1965 के आरम्भ में इस पर सविस्तार प्रतिवेदन उपलब्ध होने की सम्भावना है ।

(ख) खर्च के बारे में अनुमान सविस्तार प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर ही लगाया जा सकता है ।

(ग) 1967 के दौरान ।

इस्पात की चादरें

215. **श्री का० ना० तिवारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 और 20 गैंज के इस्पात की चादरों का भारत में उत्पादन किस मात्रा में है;

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जो इन चादरों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं और उनकी वार्षिक खपत क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीवा रेड्डी) : (क) 18 और 24 गेज इस्पात चादरों का 1963–64 का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

	टन	
	18 जी०	24 जी०
काली प्लेन चादरें . . .	72,018	23,235
बढ़िया प्लेन चादरें . .	1,642	21,868
बढ़िया चमकीली चादरें . .	5,417	107,974
कुल . .	79,077	153,077

(ख) जो उद्योग इन चादरों का प्रयोग करते हैं उनके नामों की सूची सभा पटल पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 3391/64] क्योंकि यह उद्योग समय समय और प्रकार की इस्पात चादरों और प्रयोग करते हैं, अतः इन चादरों की वार्षिक खपत का अनुमान तुरन्त उपलब्ध नहीं था।

बिना टिकट यात्रा

216. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री बादशाह गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962–63, 1963–64 और चालू वर्ष के आधे समय में बिना टिकट यात्रा करने वालों के कारण रेलवे को हानि होने का अनुमान क्या है ;

(ख). इस प्रत्येक काल में जो यात्री बिना टिकट पकड़े गये, उनकी संख्या क्या है;

(ग) जिन लोगों पर मुकदमा चला तथा सजायें और जुर्माना हुआ उनकी संख्या क्या है; और

(घ) इस समस्या के उपचार के लिये आगे क्या किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) वार्षिक रूप में इस बात का पता करना सम्भव नहीं कि सरकार को टिकट के बिना यात्रा करने वालों के कारण कितनी हानि हुई है। फिर 1957 और 1959 में एक विशेष संगठन बनाया गया था, जो बिना सूचना के छापे मार कर बिना टिकट यात्रा के बारे में जांच करने के लिए था। सामान्यतः यह अनुमान किया गया है कि इस रोग के कारण रेलवे को कुल मिला कर पांच करोड़ रुपये की हानि होती है। प्रथम बार हानि 515 लाख थी और दूसरी बार 502 लाख।

(ख) और (ग) :

वर्ष	संख्या बिना टिकट चलने वालों की	संख्या जिनको जुर्माना हुआ	जिन पर मुकदमा चला उनकी संख्या
1962–63 .	8,063,743	92,942	2,21,446
1963–64 . .	9,006,051	98,555	2,46,549
1964–65 (30–9–64 तक)	5,132,155	47,079	1,22,661

(घ) साधारण चैकिंग के अतिरिक्त विशेष चैकिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। इस काम के लिए भारत सेवक समाज जैसी समाज सेवी संस्थाओं की सहायता भी प्राप्त की जा रही है। अधिकारी और मेजिस्ट्रेट भी चैक करते हैं, फलाइंग स्क्वेड औ टिकिट चैकिंग स्टाफ भी इस कार्य को करता है। चलती गाड़ियों में यह चैकिंग की जाती है।

न्यूयार्क विश्व मेला

217. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री फ० ग० सेन :
श्री राम सेवक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क विश्व मेले में भारतीय मंडप में अक्तूबर नवम्बर, के बीच कुछ चीजों के निर्यात के आर्डर प्राप्त हुए हैं जो कि अग्रयोंका को दिखाई गई थीं, यदि हां, तो कहां तक और उन चीजों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या वहां मंडप के अधिकारियों ने भारतीय चीजों को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न किये, यदि हां, तो क्या ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) न्यूयार्क विश्व मेले का प्रथम सत्र 22 अप्रैल, 1964 से 18 अक्तूबर, 1964 तक छ: मास चलने के बाद समाप्त हो गया। अतः अपेक्षित जानकारी केवल 18 दिनों की ही है। अर्थात् प्रथम अक्तूबर से 18 अक्तूबर, 1964 तक ।

जो सार्थ इस कार्य में भाग ले रही है वे अपने भेद स्पष्ट कारणों से सरकार को नहीं बताती। अतः सरकार द्वारा सीधे कोई आर्डर नहीं लिया गया। वैसे इस समय में रेशम, तुषार रेशम, सूती कपड़े की विभिन्न चीजें, हथकरघा वस्तुयें तथा जेवर और नारियल सोप इत्यादि वस्तुओं की बिक्री लगभग 17,35,070 रुपये की रही। इस बीच जिन वस्तुओं के आर्डर अतिन्म रूप में बुक किये गये, उनका मूल्य 28,15,000 रुपये हैं ।

जो लोग माल सम्भरण करते हैं, यदि कोई पूछताछ के लिए पत्र आता है तो उन्हें भज दिया जाता है । यदि सब आर्डरों को ठीक तरह से पूरा कर लिया जाय तो इस तरह भेजे गये माल का मूल्य 20 करोड़ के लगभग फैलता है।

(ख) जी हां, इस बारे में सविस्तार विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3393/64]

पूना-मिराज के बीच रेलवे लाइन

218. **श्री हे० वी० कौंजलगी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि पूना-मिराज के बीच की रेलवे लाइन को बड़ी लाइन बना देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब से आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) काम आरम्भ हो गया है ।

सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय कलकत्ता

219. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **उद्योग और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के सम्भरण और निपटान के महानिदेशक के कार्यालय में काम करने वाले विशेष लिपिक कर्मचारियों को स्थायी कर देने के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) 1 अगस्त, 1964 से 31 अक्तूबर 1964 के बीच जिन यू०डी० सी० और एल० डी० सी० क्लर्कों को स्थायी बनाया गया उनकी संख्या क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में सम्भरण तथा तकनीक विकास मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) नहीं ।

(ख) इस काल में कोई वलर्क कलकत्ता सम्भरण निपटान महानिदेशक के कार्यालय में स्थायी नहीं किया गया ।

मुगलसराय-कानपुर विद्युत् मार्ग[1]

220. **श्री रा० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० च० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम सहाय पांडे :
श्री रामपुरे :
श्री द० द० मंत्री :
श्री युद्धवीर सिंह चौधरी :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगलसराय–कानपुर के बीच के सैक्शन को जो कि उत्तर रेलवे पर है, इसे विद्युत् मार्ग बनाने की दिशा में और इसका विस्तार दिल्ली तक करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस तबदीली को करने पर क्या खर्च आयेगा; और

(ग) इस विद्युत क्षेत्रीकरण को चालू करने के लिए क्या सिद्धान्त समक्ष रखे गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) इस सम्बन्ध में सारी जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3393/64]**

[1]Electric Track.

(ख) इस क्षेत्र में विद्युतीकरण पर लगभग 20.09 करोड़ खर्च हो जाने की संभावना है।

(ग) विद्युतीकरण ऐसे क्षेत्रों का आयोजित होगा जहां काफी आबादी होगी और यातायात इतना अधिक होगा कि भाप से चलने वाला संचार आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता ।

पूर्व रेलवे पर फ्लैग स्टेशन

221. **श्री भागवद झा आजाद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी रेलवे के इकचहरी हाल्ट स्टेशन को फलैग स्टेशन बनाने का निर्णय बदल दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य को पूरा करने में रेलवे प्रशासन कितना समय लेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) नहीं ;

(ख) बिहार की राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिये अभी कोई स्थान नहीं दिया, इस कारण से इमारत का काम बन्द पड़ा है । राज्य सरकार से इस मामले पर बातचीत की जा रही है । अभी तो यह कहना सम्भव नहीं कि कार्य कब आरम्भ किया जायेगा।

रेलवे गाड़ियों में सुविधायें

222. **श्री बृजराज सिंह** (कोटा) : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो गाड़ियां चालू की जा रही हैं क्या उनमें कोई और अच्छी सुविधायें प्रदान करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह विस्तार से क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 3394/64] ।

आस्ट्रेलिया से व्यापार वार्ता

223. **श्री दे० द० पुरी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया और भारत सरकार के बीच व्यापार विशेषज्ञों द्वारा जो वार्ता चल रही है क्या उसके आधार पर दोनों देशों में कोई व्यापार समझौता हो गया है, अथवा होने की संभावना है, और

(ख) क्या इस वार्ता के फलस्वरूप भारत को कुछ लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) आस्ट्रेलिया तथा भारत के बीच अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ । आगामी वर्ष के आरम्भ में, व्यापार के विस्तार और आर्थिक

सहयोग के विषय में वार्ता होगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि दोनों देशों में समझौता हो जायेगा ।

(ख) इन वार्ताओं से इस प्रकार का वातावरण निर्माण हो गया है जिसमें हम अपने हो रहे निर्यात को जारी रख सके और दोनों देशों का औद्योगिक सहयोग सम्भव हो सके। यह आशा की जा रही है दोनों देशों में व्यापार और आर्थिक सहयोग सम्भव हो सकेगा ।

Accident at Guldhar Station

224. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a truck was completely destroyed after colliding with the Frontier Mail at Guldhar Station, Northern Railway on the 18th October, 1964 ;

(b) if so, the causes of the accident ; and

(c) the action taken against the persons found responsible ?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) The accident occurred between Ghaziabad and Guldhar stations on 14-10-64 and not on 18-10-64. The truck was badly damaged.

(b) The truck had been abandoned on the railway track in a dangerous condition, at a place other than a regular level crossing.

(c) No Railway staff has been held responsible. The Police have registered a case against the truck driver.

पूछताछ एवं रिजर्वेशन क्लर्क

225. महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या रेलवे मंत्री 25 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1245 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूछताछ एवं रिजर्वेशन क्लर्कों की क्रमोन्नति के संबंध में रेलवे बोर्ड के आदेशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ये आदेश पूर्णतया कब तक क्रियान्वित किये जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) सभी रेलवे पर पूछताछ एवं रिजर्वेशन क्लर्कों की पदाली का पुनर्गठन करने के लिये कदम उठाये गये हैं। उपयुक्तता परीक्षण तथा चयन किये जा रहे हैं। और ज्योंही यह काम पूरा हो जायेगा अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को नये पदों पर नियुक्त कर लिया जायेगा ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक ।

कुर्सी वाले वातानुकूलित डिब्बे

226. श्री जेना : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अध साप्ताहिक डिलक्स गाड़ियों में साधारणतया कुर्सी वाले वातानुकूलित डिब्बे लगाये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कभी-कभी इन डिब्बों की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना के घटा दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो उन यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये आम तौर पर क्या कदम उठाये जाते हैं जिन्होंने कि उन डिब्बों में स्थान रक्षित कराये होते हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) तीन सिवाय इसके कि जाड़े के महीनों में नई दिल्ली—हावड़ा/मद्रास मध्य अर्धसाप्ताहिक वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ियों में २ तीसरी श्रेणी की वातानुकूलित चेयर कारें जोड़ दी जाती हैं। गर्मी के महीनों में जब भी यातायात बढ़ जाता है बम्बई मध्य—नई दिल्ली / अमृतसर वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ियों में चार वातानुकूलित चेयर कारें जोड़ दी जाती हैं।

(ख) और (ग) जब भी कोई नियमित रूप से चलने वाली वातानुकूलित चेयर कार खराब हो जाती है तो उसे यदि कोई फालतू चेयर कार उपलब्ध होती है तो उसके द्वारा बदल दिया जाता है। परन्तु फालतू सीमित वातानुकूलित चेयर कारों की सीमित उपलब्धता के कारण सदैव ऐसा करना संभव नहीं है। और ऐसे मामलों में इसके स्थान पर तीसरी श्रेणी का एक वातानुकूलित डिब्बा दे दिया जाता है और उन यात्रियों के भाड़े की फालतू राशि लौटा दी जाती है जिन्होंने उस वातानुकूलित चेयर कार में स्थान रक्षित कराया होता है जो खराब हो गई है।

रेलवे लाइन

227. **श्री शिव मूर्ति स्वामी :**
श्री ओझा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजनावधि में अब तक (जोन वार) कितने मील लम्बी ब्रोड गॉज तथा मीटर गॉज रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है ;

(ख) मैसूर तथा गुजरात में अब तक, कितने मील लम्बी पटरी बिछाई गई है; और

(ग) तीसरी योजना की शेष अवधि में (जोन वार) कितने मील लम्बी पटरी बिछाई जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3395/64]**

(ख) जानकारी राज्यवार नहीं रखी जाती है अपितु रेलवे के हिसाब से रखी जाती है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि तीसरी योजना में मैसूर में लगभग 254 किलो मीटर मीटर गॉज और गुजरात में लगभग 230.94 किलो मीटर ब्रोड गॉज रेलवे लाइन निर्माण के लिये अनुमोदित की गई है और यातायात के लिये इन में से अभी किसी लाइन को खोला नहीं गया है।

सिंग्रावली कोयले पर आधारित कार्बनीकरण संयंत्र

228. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री उइके :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री चांडक :
श्री बाकलीवाल :
श्री वाडीवा :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सिंग्रावली कोयले पर आधारित कम ताप वाले कार्बनीकरण संयंत्र को स्थापित करने के प्रश्न पर पुनः विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में सिद्धी जिला में, जिसमें कि सिंग्रावली क्षेत्र भी शामिल है, संसाधनों के एकीकृत विकास के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए क्या मध्य प्रदेश के सिंग्रावली क्षेत्र में संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). सिंग्रावली कोयले पर आधारित कम ताप वाले कार्बनीकरण संयंत्र को स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । प्रयोगशाला परीक्षण के लिये बड़ी मात्रा में कोयले के नमूने केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था को भेजे गये हैं। अभी यह कहना कठिन है कि इस परियोजना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय क्या होगा ।

पल्प निर्माण संयंत्र

229. **श्री उइके :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री चांडक :
श्री बाकलीवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री वाडीवा :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चतुर्थ योजनावधि में सरकारी क्षेत्र में एक पल्प निर्माण संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संयंत्र को मध्य प्रदेश के बस्तर जिला में स्थापित करने पर विचार करेगी जहां पर कि अच्छे बांस के घने जंगल हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) इस विषय पर सभी सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा रही है और इसके स्थापित करने के प्रश्न पर निर्णय किया जायेगा ।

रेलों पर छोटी चोरियां

230. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 में सभी रेलों पर प्रति मास क्षति तथा छोटी चोरियों के रूप में लगभग कुल कितनी राशि के बिजली तथा मशीनों के सामान की हानि हुई है ; और

(ख) ऐसी क्षति तथा हानि को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और उनमें अब तक क्या सफलता मिली है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) हिसाब लगाया गया है कि सभी रेलों पर औसत रूप से प्रति मास लगभग 2,71,127 रु० के मूल्य के बिजली तथा मशीनों के सामान की हानि हुई है ।

(ख) इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासनों द्वारा किये गये आवश्यक निवारक उपायों को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3396/64] इन उपायों के परिणामस्वरूप सभी रेलों पर वसूलियों की औसत राशि लगभग 53,138 रु० प्रति मास है जबकि 1962–63 में यह राशि केवल 19,226 रु० प्रतिमास थी। 1963–64 में सभी रेलों पर 954 व्यक्ति गिरफ्तार भी किये गये थे।

उत्तर रेलवे लेखा विभाग में तबादले

231. **श्री गुलशन :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे लेखा विभाग में 1 जनवरी 1964 से 15 अक्तूबर, 1964 के बीच सहायक लेखा अधिकारी, लेखापाल, सबहेड, पहली श्रेणी के क्लर्कों के दिल्ली से बाहर तबादले के लिये जारी किये गये आदेशों को इन आदेशों को जारी करने वाले अधिकारी द्वारा कितनी बार लम्बित रखा गया अथवा रद्द किया गया है ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 54, जिनमें से 18 को लम्बित किया गया अथवा रद्द किया गया ।

(ख) प्रशासनिक, कारूण्य , चिकित्सीय तथा व्यक्तिगत कारणों पर ।

चोरी के मामले

232. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री ओंकार सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री 18 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 865 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चोरी के मामलों में अन्तर्ग्रस्त 26 रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) इन कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) :

1 न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया ;

2 न्यायालय द्वारा रिहा किये गये ;

23 के विरुद्ध विभागीय जांच जारी है ।

(ख) कर्मचारियों की धृति तथा विभागीय जांच के हित में, जो कि अभी पूरी नहीं हुई है, अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम देना वांछनीय नहीं है।

दिल्ली स्टेशन पर गांजे का पकड़ा जाना

233. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री ओंकार सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री दिल्ली मेन स्टेशन के पार्सल कार्यालय से गांजे के पकड़े जाने के बारे में 3 अक्तूबर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1722 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में अन्तर्ग्रस्त रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : दिल्ली मेन स्टेशन के पार्सल क्लर्क के विरूद्ध दिल्ली के न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है और इसका अभी फैसला नहीं सुनाया गया है ।

डिवीजन अधीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली की कर्मचारी शाखा के क्लर्क

234. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री ओंकार सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री 18 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 885 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अननुपातिक सम्पत्तियों के कब्जे के सम्बन्ध में 11 मामलों में, जिनकी जांच की जा रही है, डिवीजन अधीक्षक कार्यालय, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली की कर्मचारी शाखा के कितने क्लर्क अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ख) क्या ये क्लर्क कर्मचारियों के व्यक्तिगत मामलों से सम्बन्धित स्थानों पर 3 वर्ष से अधिक से काम कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों की रोक थाम के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) उक्त कार्यालय का केवल एक क्लर्क अन्तर्ग्रस्त है ।

(ख) जी नहीं। उक्त क्लर्क अपने वर्तमान स्थान पर 25–7–63 से काम कर रहा है ।

(ग) अननुपातिक सम्पत्तियों के मामलों के बारे में जब भी जानकारी प्राप्त होती है उन पर जांच की जाती है । जब किसी क्लर्क पर भ्रष्टाचार का शक होता है तो उसका स्थान बदल दिया जाता है । सिद्ध मामलों में कड़े दण्ड दिये जाते हैं।

सोम्पेता तथा पलासा के बीच रेल की पटरी

235. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणोत्तर रेलवे के वाल्टायर/हावड़ा भाग पर सोम्पेता और पलासा के बीच दोहरी पटरी बिछाने का काम कब पूरा हो जायेगा ;

(ख) देर लगने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) यह लाइन माल यातायात के लिये कब चालू हो जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जून, 1966।

(ख) कार्य निष्पादन में कोई देर नहीं लगी है।

(ग) आशा है कि सोम्पेता और पलासा के बीच रेल मार्ग पर माल यातायात जन, 1966 तक आंशिक रूप में चालू हो जायेगा।

कृष्णा नदी पर दूसरा पुल

236. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री 3 मार्च, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 777 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्ण नदी पर दूसरे पुल के पूरा होने में देरी के क्या कारण हैं।

(ख) क्या इस पुल के लिये अपेक्षित अधिक आतनन शक्ति वाला इस्पात इग्लैंड से इस बीच प्राप्त हो गया है ; और

(ग) पुल कब पूरा हो जायेगा और यातायात के लिये चालू हो जायेगा ?

रेलवे त्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) पहले लगाये गये अनुमान के अनुसार इस किस्म के इस्पात के आने में लगभग 9 महीने की देर लगी है । प्रतिरक्षा सम्बन्धी अन्य परियोजनाओं, मिश्र धातु परियोजना आदि को अधिक प्राथमिकता दिये जाने

के कारण स्वदेशी उत्पादकों से उपयुक्त मात्रा में नर्म इस्पात प्राप्त करने में भी कठिनाई हुई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1965 के मध्य तक ।

कोठागुड्यम में तापीय संयंत्र के लिये साइडिंग

२३७. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भद्राचलम सड़क से कोठागुड्यम में प्रस्तावित 120 मेगावाट के तापीय संयंत्र तक साइडिंग के निर्माण का कार्य किस अवस्था पर है ;

(ख) साइडिंग पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ; और

(ग) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) अनुमान है कि भद्राचलम सड़क से कोठागुड्यम में तापीय संयंत्र तक साइडिंग के निर्माण पर 87 लाख रु० खर्च आयेंगे । इसका सारा व्यय राज्य बिजली बोर्ड वहन करेगा जो कि निम्न श्रेणी के कार्य को करने के लिये तैयार है जैसे कि भूमि कार्य, पुल का कार्य आदि । स्थायी–माग सामान, पुल के गर्डर, 'आर० सी० स्लैब' आदि रेलवे द्वारा दिये जायेंगे । निम्न श्रेणी का कार्य राज्य बिजली बोर्ड ने आरम्भ कर दिया है और लगभग 55 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है । रेलवे ने स्थल पर सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और वास्तविक प्रगति लगभग 40 प्रतिशत है । पटरियों को मिलाने का काम भी आरम्भ कर दिया गया है ।

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कितना व्यय किया गया । अनुमान है कि रेलवे द्वारा अब तक लगभग 20 लाख रु० व्यय किये गये हैं ।

(ग) रेलवे इस कार्य को राज्य बिजली बोर्ड द्वारा रखी गई जून, 1965 की लक्ष्य तिथि तक पूरा कर लेगी बशर्ते कि बोर्ड अपना कार्य जनवरी/फरवरी, 1965 तक पूरा कर ले ।

रामचन्द्रपुरम् में भारी विद्युत् परियोजना

२३८. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के निकट रामचन्द्रपुरम् में भारी विद्युत् परियोजना में 100 मेगावाट साइज के स्टीम टर्बो-सेटों का निर्माण होगा ;

(ख) अब तक कितनी प्रगति की गयी है ; और

(ग) संयंत्र कब चालू होगा ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) कारखाने के ब्लाकों, सहायक भवनों और टाउनशिप सम्बन्धी असैनिक निर्माण कार्य चल रहा है । चैकोस्लोवेकिया से मशीनें आनी आरम्भ हो गयी हैं ।

(ग) संयत्र में वर्ष 1965–66 की अन्तिम तिमाही में उत्पादन आरम्भ हो जाने की आशा है ।

कालका–शिमला रेलवे लाइन पर सुरंगें

239. **श्री ह० च० सोय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन द्वारा कालका-शिमला रेलवे लाइन पर सुरंगों की सुरक्षितता अथवा असुरक्षिता की कितनी बार जांच की जाती है ; और

(ख) क्या इन लाइन पर अधिक हाल्टिंग स्टेशन बनाने के, जिन पर खाने पीने की सुविधाएं हों, किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) कालका-शिमला रेलवे लाइन पर सुरंगों की सहायक इंजीनियर द्वारा वर्ष में एक बार अच्छी तरह जांच की जाती है ।

(ख) जी, नहीं । इस लाइन पर कालका और बरोग स्टेशनों पर खाने पीने और खोमचे वालों की सुविधाओं के अतिरिक्त जबली, धर्मपुर (पंजाब) कांडाघाट, तारादेवी और शिमला स्टेशनों पर यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये खोमचे वालों की सुविधाएं हैं । इसके अतिरिक्त, इस लाइन पर मौसमी यातायात के कारण और अधिक खोमचे वालों को ठेका देने का कोई औचित्य नहीं है ।

Raw Materials for Small Scale Industries

240. **Shri Uikey**
Shri J.P. Jyotishi :
Shri Radhelal Vyas :
Shri Wadiwa :
Shri Surya Prasad :

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 548 on the 3rd October, 1964 regarding the allocation of a separate quota of Rs. 50 lakhs during the current year for the import of raw materials for production units in the small-scale sector in the rural areas and state whether this quota also includes the import of non-ferrous metals ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : No, Sir. There is a separate reservation of copper and zinc for rural areas *viz.* Rs. 8 lakhs and Rs. 2·4 lakhs respectively.

कागज तथा गत्ते का उत्पादन

241. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में कागज और गत्ते का कितना उत्पादन हुआ और इस वर्ष कितना उत्पादन होगा और यह योजना के उत्पादन-लक्ष्य से कितना कम है ;

(ख) नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार योजनावधि के अन्त में कागज के उत्पादन के योजना-लक्ष्य पूरे करने में कितनी कमी रह जायेगी ; और

(ग) इस कमी को न्यूनतम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) तीसरी पंच-वर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में कागज तथा गत्ते के उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

1961–62	3,67,560 टन
1962–63	3,87,600 टन
1963–64	4,80,550 टन

वर्ष 1964–65 में उत्पादन 5,20,000 टन होने का अनुमान है जो कि तीसरी योजना के अन्त में 700,000 टन के लक्ष्य से 1,80,000 टन कम है ।

(ख) लगभग 70,000 टन ।

(ग) वर्तमान कागज मिलों में मशीनें बढ़ाने और समान उपकरणों की व्यवस्था करने के कई प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं और आवश्यक लाइसेंस दे दिये गये हैं । इन योजनाओं की पूरी तरह क्रियान्विति के बाद इनमें तीसरी योजना के अन्त में 120,000 टन प्रति वर्ष अधिक उत्पादन हो सकेगा जो उस समय की पूर्वाशित मांग को पूरा करके भी बचेगा ।

इस्पात का उत्पादन

242. **श्री उमानाथ :**
श्री प० कुन्हन :
श्री सु० सिं० चौधरी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना के प्राक्कलित लक्ष्यों के अनुसार इस्पात के उत्पादन में कमी होगी ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्याशित कमी कितनी होगी और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना में तैयार इस्पात के 241 लाख टन के कुल उत्पादन लक्ष्य में से उत्पादन का वर्तमान लक्ष्य लगभग 213 लाख टन का है । इस प्रकार इसमें 28 लाख टन की कमी होगी । यह कमी मुख्यतः बोकारो इस्पात संयत्र की स्थापना में विलम्ब और विशेषतः दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात संयंत्रों के विस्तार-कार्य में विलम्ब के कारण है । विस्तार कार्य शीघ्र पूरा करने और बोकारो इस्पात संयंत्र की शीघ्र स्थापना के लिये कदम उठाये गये हैं ।

राज्य स्वास्थ्य क्लीनिक, खडगपुर

243 { **श्री नम्बियार :**
डा० सारादीश राय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय को दक्षिण-पूर्व रेलवे अधिकारियों को यह बताने के लिये एक अभ्यावेदन किया गया है कि रेलवे भूमि पर खड़गपुर में बनाये गये राज्य स्वास्थ्य क्लीनिक में पानी के कनेक्शन की व्यवस्था की जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि स्थानीय रेलवे अधिकारियों ने पहले राज्य स्वास्थ्य क्लीनिक को यह सुविधा देने से इन्कार कर दिया था ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां । अक्तूबर, 1964 में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) यह अभ्यावेदन संभाव्यता के बारे में विचार बताने के लिये जोनल रेलवे को भेज दिया गया है ।

(ग) यह सच है कि खड़गपुर में स्थानीय रेलवे अधिकारियों ने वर्ष 1962 में राज्य क्लीनिक को उस समय खड़गपुर रेलवे सेटलमेंट में पानी की भारी कमी के कारण यह सुविधा देने से इन्कार कर दिया था । तब से उपरोक्त अभ्यावेदन के अतिरिक्त जोनल रेलवे को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

विद्यार्थियों को रेलवे रियायत

244. { **श्री राम सेवक यादव :**
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा सम्बन्धी दौरा और देश भ्रमण करने वाले विद्यार्थियों को फिर से रियायत देना आरम्भ कर दिया है, यदि हां, तो कब से ;

(ख) पहले यह रियायत किन परिस्थितियों में वापस ली गयी थी ; और

(ग) इस रियायत को पुनः आरम्भ करने के विषय पर रेलवे को अनुमानतः वार्षिक कितनी क्षति होगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां । विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बंधी दौरों के लिये रेलवे रियायत 5 जून, 1964 से और देश भ्रमण के लिये रियायत 24 सितम्बर, 1964 से पुनः आरम्भ की गयी है ।

(ख) अन्य कोई रियायतों के साथ यह रियायत 1 जनवरी, 1963 से उस समय राष्ट्रीय आपातकाल के कारण वापस ले ली गयी थी ।

(ग) रेलवे द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और अतः इस बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि, यह कहा जा सकता है कि यह राशि काफी नहीं होगी क्योंकि बाज दफा रियायत देने पर ही दौरा करना संभव होता है।

Diamond Mines at Panna

245 Shri R. S. Tiwary : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that mining work at Ramkhiria diamond mine at Panna has taken over by Government from the private sector since last year ;

(b) if so, the value of diamonds discovered by Government as a result of mining work undertaken by them ;

(c) the expenditure incurred so far by Government for mining work ;

(d) the number of diamonds, and the value thereof, discovered by private sector during the last four years ; and

(e) the reasons for the shortfall, if any ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy): (a) Ramkheria Diamond Mines were taken over by the National Mineral Development Corporation, a public sector underkaking on the 17th March, 1960.

(b) 4,870 diamonds weighing 1066·40 carats and valued at Rs. 6·38 lakhs have been recovered during the course of prospecting operations.

(c) An expenditure of 26·59 lakhs has been incurred on prospecting operations and ancilliary works.

(d) In view of the answer at (a) above, the question does not arise.

(e) The National Mineral Development Corporation have not yet started mining operations at Ramkheria. Only prospecting operations are being carried out and during these operations 4,870 diamonds have been recovered. The question of a short fall does not, therefore, arise.

आगरा से जूतों का निर्यात

246. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आगरा में निर्मित जूतों, मार्बल और जरी के सामान के निर्यात में भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्यात मंडी को पुनः प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) निर्यात के आंकड़े कस्बेवार नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Fire in a Wagon at Bhatinda

247. Shri Gulshan: Will the Minister of **Raliways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a wagon full of match boxes caught fire at Bhatinda railway station during September 1964 and if so, the cause of the fire;

2030 (ai) LSD—6.

(b) whether any compensation has been paid on that account ; and

(c) if so, the amount thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes. According to the Joint Enquiry Committee the probable cause of the fire was due to rough shunting of the wagon.

(b) the claims have not yet been settled as enquiries are in progress.

(c) Does not arise.

Steel Factories in Private Sector

248. Shri Sidheswar Prasad : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the names of such individuals/companies as were issued licences to set up iron/steel factories during the Third Plan period ;

(b) the names of those who have set up factories up till now.

(c) the reasons for which others did not set up the factories ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) and (b). Undertakings licensed under the Industries (Development & Regulation) Act during the Third Plan period for iron/steel production are listed below :

Undertakings in production	Undertakings which have yet to go into production
(i) Pig Iron/Sponge Iron Units :	**(i) Alloy & Special Steel Units :**
1. Acme Pig Iron & Centrifugal Pipe Works Ltd., Bombay.	1. Texmaco., Calcutta. 2. Guest, Keen Williams Ltd., Calcutta. 3. Firth Sterling Steel Co. of India Ltd., Bombay.
2. V. Ramakrishna & Sons (Private) Ltd., Madras.	4. Madras Alloy and Stainless Steels Ltd., Madras. 5. Gangadhar Baijnath, Kanpur. 6. Mahindra Ugine Steel Co., Bombay. 7. All Steel Industries Corporation, Madras. 8. V. H. Shah, Ahmedabad. 9. K. T. Rolling Mills (P) Ltd., Bombay. 10. Man Industrial Corporation Ltd., Jaipur. 11. Punjab Steel Rolling Mills Ltd., Baroda. 12. S. P. Iron & Steel Co., Kanpur 13. Chase Bright Steel Co., Bombay. 14. Khemchand Rajkumar, Calcutta.
	(ii) Pig Iron & Sponge Iron Units 1. Kamani Industrial Corporation Limited, Bombay. 2. Krishna Industrial Corporation Limited, Madras. 3. Andhra Cement Company Ltd., Madras. 4. Vummidiars (Mfrs) Private Limited, Madras.
	(iii) Mild Steel Ingots/Billets Units 1. Singh Engineering Works Ltd., Kanpur. 2. Sun Rolling Mills Ltd., Calcutta.

(c) This has been mainly due to difficulties in obtaining suitable foreign collaboration and in arranging foreign exchange for the import of plant and machinery.

आजमगंज स्टेशन पर दुर्घटना

249. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :**
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अक्तूबर मास में आजमगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर दो रेलवे इंजिनों के टकराव के परिणामस्वरूप जो दुर्घटना हुई थी, उस सम्बंध में जांच का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) जांच समिति इस परिणाम पर पहुंची है कि दुर्घटना का कारण यह था कि यात्री गाड़ी 333 अप के चालक ने सिगनल की परवाह न की ।

कपड़े पर कीमतों का छापा जाना

250. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :**
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़े पर अंग्रेजी में कीमतों के छापे जाने के कारण क्या हैं ; और

(ख) क्या यह प्रस्थापना भी विचाराधीन है कि इसे हिन्दी में अथवा जो राज्य कपड़ा निर्माण करे अथवा खरीदे उन भाषाओं में इन कीमतों को छापा जाय ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) आज की चालू व्यापार प्रथा के अनुसार कपड़े पर कीमतें अंग्रेजी में लिखी जाती हैं ।

(ख) जी हां ।

कोयले के नमूनों के लिये विशेषज्ञ समिति

251. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 18 सितम्बर, 1964 को पूछे गये प्रश्न संख्या 842 के उत्तर के उल्लेख से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की गर्मी के आधारभूत सूत्र को निर्धारित कर लिया गया है, उसमें ताप को प्रभावित करने वाली विशेषताओं का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) जुलाई 1962 में कोयले के नमूने तैयार करने और उसकी कोटियां निर्धारित करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित संगठन को कब बनाया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). दोनों ही प्रश्न अभी विचाराधीन हैं ।

पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे अधिकारियों पर हमला

२५२. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित पूर्व रेलवे अधिकारियों के साथ अप्रैल से अक्तूबर 1964 तक ऐसे आये अफ़सरों की संख्या क्या है जब कि उन पर हमला हुआ अथवा अपना काम करते हुए उनसे लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया : (1) रेलवे गार्ड (2) टिकिट लेने वाला (3) स्टेशन कर्मचारी (4) रेलवे सुरक्षा बल के व्यक्ति ; और

(ख) अप्रैल से अक्तूबर 1964 के बीच दक्षिण पूर्व रेलवे के ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है जब कि उन पर हमला हुआ अथवा अपना काम करते हुए उनसे लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया : (1) रेलवे गार्ड (2) टिकिट लेने वाला (3) स्टेशन कर्मचारी (4) रेलवे सुरक्षा बल के व्यक्ति ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार से है :—

	पूर्व रेलवे	दक्षिण पूर्वी रेलवे
रेलवे गार्ड . .	3	1
टिकिट बाबू . . .	5	2
रेलवे कर्मचारी	2	. .
रेलवे सुरक्षा बल के व्यक्ति	10	. .

जम्मू और काश्मीर में औद्योगिक परियोजनायें

253. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या **उद्योग और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में स्थापित किये जाने वाली पांच परियोजनाओं के लिए चैकोस्लोवेकियां ने सहयोग की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सहयोग की शर्तें क्या प्रस्तुत की गयी हैं ; और

(ग) परियोजनाओं का विस्तार से और विवरण क्या है ?

उद्योग और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

अखबारी कागज के संयंत्र

254. **श्री हेमराज :** क्या **उद्योग और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में सरकार का विचार अखबारी कागज के संयंत्र लगाये जाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तीसरी योजना के अन्तर्गत और लगाये जाने वाले संयंत्रों की संख्या क्या है, तो इन को लगाये जाने के स्थान और राज्य का नाम क्या है ?

उद्योग और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) मामल विचाराधीन है ।

हिमालय ब्यास बेसिन में अखबारी कागज का कारखाना

255. **श्री हेमराज:** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 25 सितम्बर, 1964 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1266 के उत्तर के उल्लेख से यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी विशेषज्ञों ने हिमालय ब्यास बेसिन में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके आधार पर केनेडा की कम्पनी और भारतीय कम्पनी के बीच हुई बातचीत में क्या परिणाम निकाले गये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : रिपोर्ट यह है कि भारतीय कम्पनी के प्रतिनिधि केनेडा की कम्पनी से बातचीत करने के विचार से केनेडा गये हैं ताकि विदेशी विशेषज्ञों द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है उसे अन्तिम रूप दिया जा सके । रिपोर्ट, अभी वे रिपोर्ट पर केनेडा में चर्चा कर रहे हैं । अतः इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

256. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि दो इंजनों वाली माल गाड़ी 13 अक्तूबर 1964 को ढाकानाल और हिरौल स्टेशनों के बीच दक्षिण पूर्वी रेलवे के कटक-तलचर भाग पर पटरी से उतर गयी ;

(ख) यदि हां, तो मरने और घायल होने वालों की संख्या क्या है ; और

(ग) रेल के पटरी से उतर जाने के कारण क्या थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) एक माल गाड़ी जिसमें एक बैंकिंग इंजिन लगा था हिंडोल रोड और गढ़ ढाकानाल स्टेशनों के बीच 12-10-64 को पटरी से उतर गयी न कि 13-10-64 को ।

(ख) कोई जान की हानि नहीं हुई । तीन रेलवे कर्मचारियों को साधारण चोटें आयीं ।

(ग) यह दुर्घटना क्यों हुई इसके कारणों की जांच की जा रही है ।

मनमाड और बम्बई के बीच रेलगाड़ी

257. **श्री मा० ल० जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मांग है कि केन्द्रीय रेलवे पर मनमाड और बम्बई के बीच एक एक्सप्रैस अथवा शटल रेल गाड़ी चलाई जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरे होने की सम्भावना ह ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी ।

(ख) अभी लाइन क्षमता फालतू न होने के कारण इस समय बम्बई और मनमाड के बीच अतिरिक्त गाड़ी चालू करना सम्भव नहीं है । मनमाड और बम्बई के बीच एक्सप्रैस गाड़ी की व्यवस्था करने के प्रश्न पर उचित रूप से विचार किया जायेगा और यह उस समय होगा जब कि इगतपुरी भौसवाल क्षेत्र के विद्युतीकरण के कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा । इस कार्य के 1967 तक पूरे हो जाने की आशा है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नागा विद्रोहियों द्वारा रेवरेंड माईकेल स्काँट को विदेशी पर्यवेक्षक बताया जाना

अध्यक्ष महोदय : मुझे नागाओं द्वारा माईकेल स्काँट को शांति वार्ता में विदेशी पर्यवेक्षक बताने के बारे में मुझे कार्यस्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने की सूचनायें प्राप्त हुई हैं । कार्यस्थगन प्रस्ताव को मैंने स्वीकार नहीं किया है परन्तु ध्यान दिलाने की सूचना को मैंने ग्रहीत कर लिया है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं नागाओं द्वारा शांति वार्ता में माईकेल स्काँट को विदेशी पर्यवेक्षक बताये जाने और श्री स्काट के इस वक्तव्य कि नागालैंड की युद्ध विराम रेखा अंतर्राष्ट्रीय युद्धविराम रेखा ह, की ओर वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं ।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : क्या इस प्रश्न का उत्तर वैदेशिक कार्य मंत्री द्वारा दिया जायेगा ? यह तो हमारे ही राज्य क्षेत्र में आता है । (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि प्रधान मंत्री उपस्थित नहीं हैं इसलिये वैदेशिक कार्य मंत्री उत्तर दे सकते हैं ।

श्री हेम बरुआ : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है । इस राज्य क्षेत्र का प्रशासन गृह कार्य मंत्रालय को सौंपा जाना चाहिये ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : मैं इस औचित्य प्रश्न का समर्थन करता हूं ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : पिछले अधिवेशन में जब नागालैंड संबंधी एक प्रश्न का उत्तर देने के लिये वैदेशिक-कार्य मंत्री खड़े हुए थे तो मैंने यही औचित्य प्रश्न उठाया था । उस समय आपने यह कहा था कि संबंधित मंत्री उपस्थित नहीं हैं । इस समय गृह-कार्य मंत्री उपस्थित हैं, अतः उन्हीं को उत्तर देना चाहिये ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मैं इस संबंध में एक निवेदन और करना चाहता हूं । प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति में गृह-कार्य मंत्री को उत्तर देना चाहिये क्योंकि मंत्रिमंडल में उनका दूसरा स्थान है ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मानीय सदस्य अपनी बात कह चुके हैं, अब माननीय मंत्री को भी बोलने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री तिरुमल राव (काकिनाड) : अभी तक वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ही यह कार्य करता रहा है परन्तु कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई । आज ऐसा क्यों हो रहा है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उत्तेजित मालूम होते हैं। इस संबंध में दो प्रश्न हैं। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, कि नागालैंड का विषय गृह-कार्य मंत्रालय को सौंप दिया जाये उस पर प्रधान मंत्री ही विचार करेंगे। इस समय तो वही मंत्रालय इसका उत्तर दे सकता है जो यह कार्य कर रहा है ।

श्री जयपाल सिंह (रांची–पश्चिम) : मेरा विचार है कि इस विषय को अनावश्यक तूल दिया जा रहा है । मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य उत्तर दे सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का निर्णय तो इस समय नहीं हो सकता कि कौन मंत्री उत्तर दे ? इसका निर्णय करने में सरकार को कुछ समय लगेगा। इस समय तो वही मंत्री उत्तर दे सकता है जो इस विषय का कार्य कर रहा है । माननीय सदस्यों को वैदेशिक-कार्य मंत्री की बात सुननी चाहिये ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा यह कार्य किये जाने से वह अन्तर्राष्ट्रीय मामला नहीं बन जाता । मैं सरकार की ओर से यह बात भली प्रकार स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों को किसी प्रकार का संदेह न रहे। जहां तक कार्य के आवंटन का प्रश्न है, उसका निर्णय प्रधान मंत्री के हाथ में है ।

मैं यह भी निदवेन करना चाहता हूं कि संसदीय प्रणाली में ऐसा होता है कि विदेश मंत्री आंतरिक मामलों का कार्य भी करता है । अनेक देशों में ऐसा है ।

जहां तक ध्यान दिलाने की सूचना में उठाई गयी बातों का संबंध है, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने प्रधान मंत्री का वह वक्तव्य पढ़ लिया होगा जिस में उन्होंने यह कहा है कि माईकेल स्कॉट के ये वक्तव्य अच्छे नहीं हैं और शांति मिशन से संबंधित व्यक्तियों को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिये। फिर यह कहना गलत है कि माईकेल स्कॉट की स्थिति विदेशी पर्यवेक्षक जैसी है । यह कोई अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध विराम् करार नहीं है वरन् आंतरिक मामला ही है । यह कहना भी गलत है कि नागा और भारतीय अलग-अलग हैं। इस प्रकार के वक्तव्य को हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। हम यह पता लगा रहे हैं कि माईकेल स्कॉट ने वास्तव में क्या कहा है। वक्तव्य की सत्यता की जांच करा लेने के पश्चात् ही सरकार आगे की कार्यवाही के बारे में विचार करेगी ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि माईकेल स्कॉट विद्रोही नागाओं के पक्ष में बहुत जोरदार प्रचार कर रहे हैं। यद्यपि वह शांति मिशन के सदस्य हैं परन्तु उनका व्यवहार इस प्रकार का है मानों वह विद्रोही नागाओं के दूत हों ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही यह स्पष्ट कर चुका हूं कि शांति मिशन के सदस्यों को इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहियें जिन से यह भ्रम उत्पन्न हो कि वह किसी का पक्ष ले रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : सरकार को इस व्यक्ति को देश से निकाल देना चाहिये जिसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और देश के प्रभुत्व को चुनौती दी है ।

श्री स्वर्ण सिंह : हम सभा की भावनाओं का सदा ही सम्मान करते हैं और सभा जो भी निर्णय करेगी वह सरकार पर बाध्य होगा । परन्तु इस संबंध में हमें पहले तथ्य मालूम करना होगा ।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेठा) : क्या सरकार ने इस बात की संभावना पर विचार किया है कि विद्रोही नागाओं के अंतर्राष्ट्रीय समर्थक नागाओं के मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जा सकते हैं ? यदि ऐसा किया जाता है तो सरकार क्या करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं साफ साफ बता चुका हूं कि यह आंतरिक मामला है, अन्तर्राष्ट्रीय नहीं। इसलिये यदि कोई उसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में ले जायेगा तो वैसा करना वैध नहीं होगा ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने की सूचनाओं के संबंध में उन्हीं सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है जिनके नाम सूचना में होते हैं। अन्य सदस्यों को मैं अवसर नहीं दे सकता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम और कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) दूसरा संशोधन नियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 14 मार्च, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 444 में प्रकाशित खनिज परिरक्षण तथा विकास (पहला संशोधन) नियम, 1964 ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल टी-2677/64]

(दो) दिनांक 14 मार्च, 1964 की एस०ओ० संख्या 841 ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-2822/64]]

(तीन) दिनांक 31 अक्तूबर 1962 के शुद्धि-पत्र वाली दिनांक 9 मई, 1964 की जी० एस०आर० संख्या संख्या 730 ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-2938/64]

(चार) दिनांक 9 अगस्त, 1964 की जी० एस०आर० संख्या 1123 ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-3072/64]

(पांच) दिनांक 15 अगस्त, 1964 की जी०एस०आर० संख्या 1144।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3162/64]

(2) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 5 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3051 में प्रकाशित कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) दूसरा संशोधन नियम, 1964 की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-3163/64]

सूती कपड़ा (नियत्रण) तीसरा संशोधन आदेश और सूती कपड़ा (नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा (3) की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक 19 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3667 में प्रकाशित सूती कपड़ा (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1964।

(दो) दिनांक 23 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3733 में प्रकाशित सूती कपड़ा (नियंत्रण) पांचवां संशोधन आदेश, 1964।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-3381/64]

कापीराइट अधिनियम के अन्तर्गत आदेश

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): मैं श्री हजरतवीस की ओर से कापीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 43 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक 1 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3527 में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (पांचवां संशोधन) आदेश, 1964।

(दो) दिनांक 28 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3794 प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (छठा संशोधन) आदेश, 1964।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी-3382/64]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक 6 अक्तूबर, 1964 की जी० एस०आर० संख्या 1435।

(दो) दिनांक 8 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1487 में प्रकाशित दक्षिणी राज्य (चावल के निर्यात का विनियमन) आदेश, 1964।

[श्री द० रा० चह्वाण]

(तीन) दिनांक 4 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1617 में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1963 को रद्द करने वाली दिनांक 23 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 1547 :

(चार) दिनांक 24 अक्तूबर, 1961 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1548 में प्रकाशित दक्षिणी राज्य (चावल के निर्यात का विनियमन) संशोधन आदेश, 1964।

(पांच) दिनांक 27 सितम्बर, 1963 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1570 में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1963 को रद्द करने वाली दिनांक 25 अक्तूबर, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 1549।

(छ) दिनांक 5 नवम्बर, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 1606।

(सात) गेहूं रोलर आटा मिलें (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) आदेश, 1957 की गोआ, दमन, और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू करने वाली दिनांक 14 नवम्बर, 1964 की जी० एस० आर० संख्या 1628।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी—३३८३/६४]

उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन और संचालकों का प्रतिवेदन और उसके काम के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई समीक्षा

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं श्री शाम नाथ की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) वर्ष 1962–63 के लिये उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर की वार्षिक रपोर्ट।

(ख) वर्ष 1962–63 के लिये उड़ीसा सड़क परिवहन कम्पनी लिमिटेड, बरहामपुर के संचालकों की रिपोर्ट, लेखा-परीक्षित लेखे तथा नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की तत्संबंधी टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त कम्पनी के नाम के संबंध में सरकार द्वारा की गई समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—३३८४/६४]

सांभर साल्ट लिमिटेड के ज्ञापन तथा अन्तर्नियम

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : मैं सांभर साल्ट लिमिटेड जयपुर के ज्ञापन तथा अन्तर्नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—३३८५/६४]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुनझुनू) : मैं राजस्व प्राप्तियां, 1964 के बारे में लेखा परीक्षा रिपोर्ट (असैनिक) सम्बन्धी लोक लेखा समिति का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नये आयुध कारखानों की स्थापना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: ESTABLISHMENT OF NEW ORDNANCE FACTORIES

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मत्री (श्री अ० म० थामस) : अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण को बढ़ाने के लिए किये गये उपायों का संकेत करते हुए शुरू 1963 में रक्षा मंत्री ने कहा था, कि हथियारों और गोली बारूद के लिए 6 नई मिश्रण सैनिक कारखानों की योजना बनाई जा रही थी। रक्षा व्यय के लिए अनुदानों की मांगों पर विचार-विमर्श के दौरान अप्रैल 1964, में रक्षा मंत्री ने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा के बड़ी हद तक अपर्याप्त साधनों के कारण, नये कारखानों की स्थापना के लिए हमारे प्रयास, दूसरे मित्र देशों से मिलने वाली सम्भाव्य सहायता पर निर्भर थे।

जिन 6 कारखानों की योजना बनाई गई थी उनमें से एक, जो छोटे हथियारों के लिए गोली बारूद के निर्माण के लिए है, अमरीकी सहायता से स्थापित किया जा रहा है, और उसने निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया है। अमरीका के संयुक्त राज्यों के रक्षा मन्त्री के दौरे के फलस्वरूप, अमरीकी सरकार ने अम्बाझरी में एक इंजीनियरी कारखाना स्थापित करने में सहायता देना स्वीकार कर लिया है। एक तीसरा पूरक कारखाना, यू०के० सरकार से प्राप्त आंशिक सहायता से स्थापित किया जा रहा है। शेष तीन कारखानों के लिए सहायता के लिए वचन प्राप्त कर पाना, अभी तक सम्भव नहीं हो पाया। तदपि, चूंकि छोटे हथियारों की आवश्यकताएं फोरी थीं, फैसला किया गया है, कि तिरुचिरपल्ली में चौथे कारखाने के लिए, विदेशी मुद्रा के स्वतन्त्र साधनों का प्रयोग किया जाए।

शष दो कारखानों में हमारा उद्देश्य था विस्फोटकों और प्रणोदकों का निर्माण करना। इन दो कारखानों की स्थापना पर 60 करोड़ रुपये से अधिक व्यय उठने का अनुमान था, जिसमें लगभग 21 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अंश भी शामिल है। इन कारखानों में निवेश उपज का अनुपात भी ऊंचा है। इन कारखानों के उत्पादन इस प्रकार के हैं, कि शान्ति के दौरान असैनिक प्रयोग के लिए उनकी खपत की गुंजाइश नहीं है। बजाए इसके कि विस्फोटकों और प्रणोदकों के निर्माण के लिए क्षमता स्थापित की जाए उनके भण्डार को बढ़ाने में वित्तीय लाभ है, विशेषकर विदेशी मुद्रा में। इसलिए उड़ीसा राज्य में बुरला के स्थान पर विस्फोटकों के लिए कारखाना और महाराष्ट्र राज्य में पान्वेल के स्थान पर प्रणोदकों के लिए कारखाना स्थापित करने के सुझाव फिलहाल रक्षा योजना से निकाल दिए गए हैं। फैसला किया गया है कि बुरला और पान्वेल में कारखाने स्थापित करने के सुझाव के स्थान विस्फोटकों और प्रणोदकों के वर्तमान भण्डारों को उपयुक्त तौर पर बढ़ाया जाए विस्फोटकों और प्रणोदकों के निर्माण की वर्तमान-क्षमता में कुछ वृद्धि करने की योजना भी बनाई जा रही है, परन्तु निर्धारित वृद्धि ऐसी है कि इसे वर्तमान कारखानों का आधुनिकीकरण करने से

[श्री अ० म० थामस]

अथवा वर्तमान कारखानों में अतिरिक्त संयन्त्र स्थापित करने से सुगमता से कार्यान्वित किया जा सकता है। यह सुझाव विचाराधीन है।

श्री रंगा (चित्तूर) : हम इस विषय पर ठीक तरह से चर्चा करने के लिए अवसर चाहते हैं। सभा को आश्वासन दिया गया था कि इस सम्बन्ध में शीघ्रता की आवश्यकता है और इसीलिए सरकार ने 6 नये सैनिक कारखाने स्थापित करने की योजनाएं प्रस्तुत कीं। अब उनकी संख्या 4 हो गयी है। उनमें से भी तीन कारखाने चालू करने में काफी समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : उसमें मुझे कुछ नहीं करना है, माननीय सदस्यों को उसकी सूचना देनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय मन्त्री की इस घोषणा का स्वागत करता हूं लेकिन मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान कुछ सैनिक कारखानों में कुछ छंटनी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन सभी लोगों को जिन्हें सैनिक कारखानों में प्रशिक्षित किया गया है और काम न होने के कारण जिनकी अब छंटनी की जा रही है, उन्हें अब काम पर रख लिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह अभी यह आश्वासन कैसे दे सकते हैं ?

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि सोमवार, 23 नवम्बर, 1964 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य होगा :—

(1) सोमवार, 23 नवम्बर को प्रश्नों के बाद वैदेशिक-कार्य मन्त्री द्वारा पेश किये जाने वाले प्रस्ताव पर वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति पर चर्चा।

(2) शनिवार, 21 नवम्बर, 1964 की कार्य सूची से आगे ले जायी गयी सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(3) निम्नलिखित पर विचार तथा पास करना :—

भाण्डागार निगम (अनुपूरक) विधेयक, 1964।

करों की अस्थायी वसूली (संशोधन) विधेयक, 1964।

(4) 1964-65 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

(5) निम्नलिखित पर विचार तथा पास करना :—

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 1964।

धन कर (संशोधन) विधेयक, 1964।

श्री रंगा (चित्तूर): संसद्-कार्य मन्त्री से मेरी प्रार्थना है कि मैंने जिस कार्य का अभी उल्लेख किया है उसे प्राथमिकता देने और उसे शीघ्र लेने के लिए वह कार्यमन्त्रणा समिति की मदद करें।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए सूचना आने दीजिये और तब निर्णय किया जायगा।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : देश की खाद्य स्थिति पर चर्चा के लिए हमने पहले ही प्रस्ताव भेज दिया है। पिछली बार माननीय मन्त्री ने कहा था कि वह इसके लिए समय देने के लिए तैयार हैं। हम समझते थे कि इस मद के लिए भी अगले सप्ताह के कार्य में कुछ समय दिया जायगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे प्रसन्नता है कि बोनस आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए सूचना आपने स्वीकार कर ली है। दूसरे, उत्तर प्रदेश विधान सभा बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय पर चर्चा के लिए भी प्रस्ताव है। आगे, छोटी मोटर-गाड़ियों के उत्पादन के सम्बन्ध में श्री बागड़ी और अन्य सदस्यों के नाम में प्रस्ताव गृहीत हो चुका है। क्या माननीय मन्त्री यह आश्वासन देंगे कि ये सभी मदें इसी अधिवेशन में ली जायेंगी ?

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : I would like to know whether the report of the Backward Classes Commission would be taken up in this session.

Shri Satya Narayan Singh : This question would be taken up in Business Advisory Committee.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I seek a clarification from the Minister of Parliamentary Affairs whether the discussion on international situation that is going to commence from Monday would be restricted only to changes in political situation or it would include agreement with Ceylon to withdraw Indians from there. As it is a very important issue I want that it should be taken up separately for purposes of discussion.

Mr. Speaker : We will see.

Shri Hukam Chand Kachhvaiya : I want that Bonus Commission report be discussed in this session.

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : Time must be allotted for the discussion on the Backward Classes Commission in this very session.

Mr. Speaker : They are considering over the allotment of time for it.

श्री सत्य नारायण सिंह : बोनस आयोग की रिपोर्ट के बारे में सरकार इसी अधिवेशन में शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत कर रही है। पिछड़े वर्ग आयोग के बारे में गैर सरकारी सदस्य के एक संकल्प पर ढाई घंटे का समय ही रखा गया है। सदन में वह प्रस्ताव आने पर वह समय बढ़ाने का निश्चय कर सकता है। आगे मैं यह भी बता दूं कि मैंने केवल एक सप्ताह का कार्य पढ़ा है।

श्री स० मो० बनर्जी : उच्चतम न्यायालय की राय के बारे में लोग बाहर विचारगोष्ठी कर रहे हैं। केवल हम ही उस पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उस पर इस अधिवेशन में चर्चा की जाये। हम सरकार से आश्वासन चाहते हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह : निश्चय ही सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी लेकिन मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि हमें उस पर चर्चा करने के लिए अवसर मिलेगा या नहीं। माननीय सदस्य यह याद रखें कि मैंने केवल एक सप्ताह के कार्य की घोषणा की है।

श्री नम्बियार : हमने खाद्य स्थिति पर पूर्ण वाद-विवाद के लिए मांग की है और खाद्य तथा कृषि मन्त्री उसके लिए सहमत हैं ।

श्री सत्य नारायण सिंह : खाद्यान्न निगम विधेयक सभा के सामने आ रहा है । उस पर चर्चा के दौरान आप खाद्य स्थिति जैसी किसी भी चीज पर चर्चा कर सकते हैं ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

इक्तीसवां प्रतिवेदन

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के इक्तीसवें प्रतिवेदन से, जो 18 नवम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के इक्तीसवें प्रतिवेदन से, जो 18 नवम्बर, 1964 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

भ्रष्टाचार विरोधी विधियां (संशोधन) विधेयक—जारी

ANTI-CORRUPTION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अब 17 नवम्बर, 1964 को श्री जयसुखलाल हाथी द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898, दंड विधि (सशोधन) अध्यादेश, 1944, दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम, 1946, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 और दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमन्, इस मद के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : सभा इसके लिए 5 घंटे समय चाहती थी । हम इस पर 4 घंटा 50 मिनट खर्च कर चुके हैं और अब हमें यथाशीघ्र समाप्त करना चाहिये । मैं अभी माननीय मन्त्री को बुलाने वाला हूं । उसके बाद दूसरे वाचन के दौरान में उन कुछ सदस्यों को अनुमति दूंगा जो बोलना चाहते हों ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया ह और कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है । अन्य कुछ सदस्यों ने सरकार की इस बात के लिए आलोचना करते हुए भी कि संथानम् समिति की सिफारिशों को नहीं स्वीकार किया गया

ह, वर्तमान विधेयक का स्वागत किया है। किन्तु अधिकांश विरोध विरोधी दल की ओर से है जिसने सरकारी कर्मचारियों से सम्बंधित, किन्तु मंत्रियों, उपमंत्रियों से नहीं, सिफारिशों को कार्यान्वित करने में सरकार की सचाई पर शंका व्यक्त की है। मैं आपको विश्वास दिलाने का प्रयत्न करूंगा कि सरकार का यह कभी आशय नहीं है कि सभी सरकारी कर्मचारियों की या उनके वर्ग की निन्दा की जाये। अनेक ऐसे पदाधिकारी हैं जो योग्य ईमानदार और कार्यकुशल हैं। परन्तु कुछ एक कर्मचारी भ्रष्ट हो सकते हैं और उन्हीं को दंड देने के लिए कार्यवाही की जायगी। हमने यह निश्चय किया है कि विशेष पुलिस संस्थान किसी भी गुमनाम पत्र पर विचार न करे और केवल प्रामाणिक पत्रों पर ही छानबीन की जाये, इसलिए मैं सरकारी कर्मचारियों को आश्वासन देता हूं कि योग्य और ईमानदार अफसरों को डरने की जरूरत नहीं और वे अपना काम उसी प्रकार सचाई से जारी रख सकते हैं।

कुछ सदस्यों ने यह आलोचना की है कि संथानम् समिति की जो सिफारिशें अधिक कठोर हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। जैसे श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने यह आलोचना की कि अपराध में सहचर्य को मूल अपराध मानने और अपराध को गैर-जमानती बनाने की सिफारिश नहीं मानी गयी है। सामान्यतया वही अपराध गैरजमानती बनाने योग्य होता है जो बहुत बड़ा अपराध हो और जिसमें प्राणदंड या आजीवन कारावास की शिक्षा होती हो और अपराधी के लापता हो जाने या साक्ष्य में गड़बड़ करने की संभावना हो। घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों में ऐसी कोई संभावना नहीं होती। यदि उसे जेल में रखा जाय और जमानत पर रिहा न किया जाये तो उसे सचमुच ही बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए हमने संथानम् समिति की सिफारिशें मंजूर करने से पहले इन सभी बातों पर विचार किया है और इसी कारण इस विशिष्ट सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है।

आगे श्री बड़े ने कहा कि सरकार ने केवल 7 वें अध्याय पर ही कार्यवाही की है, और किसी पर नहीं। उनका कहना था कि केवल उसी अध्याय की सिफारिशें स्वीकार करने के बजाय यदि सरकार सभी सिफारिशें स्वीकार करके एक विधेयक प्रस्तुत करती तो यह अधिक अच्छा होता। आगे उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत करने में काफी अधिक देर लगा दी। मैं उनका भ्रम दूर करना चाहता हूं कि समिति 1962 में बनायी गयी, उसने अपनी रिपोर्ट मार्च, 1964 में पेश की और सितम्बर, 1964 में हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया। अतः इसमें देर का कोई प्रश्न नहीं है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट में केवल अनुभाग 7 ही ऐसा है जिसमें भ्रष्टाचार के संबंध में विधि और प्रक्रिया का विवेचन किया गया है। इसलिए अन्य अनुभागों के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं है। अनुभाग 4 और 5 के संबंध में, सरकारी कर्मचारियों पर लागू आचरण और अनुशासन नियमों में संशोधन संबंधी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं और संशोधित नियम तैयार किये जा रहे हैं। यह सिफारिश भी मान ली गयी है कि स्वविवेकात्मक शक्तियों की सूची बनाने के लिए विधियों, नियमों और प्रक्रियाओं का पूरा पूरा पुनर्विलोकन किया जाये और सरकारी कर्मचारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग के ढंग, उन पर नियंत्रण, ऐसे विषय जिनमें नागरिकों का मंत्रालयों और विभागों से सम्पर्क स्थापित होता है, भ्रष्टाचार के संभव ढंग और क्षेत्र, रोकथाम और सुधार के उपाय आदि से संबंधित सिफारिशों को भी स्वीकार किया गया है। अभी फिलहाल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, आयात निर्यात नियंत्रण संगठन, उद्योग तथा संभरण महानिदेशालय और तकनीकी विकास महानिदेशालय में अध्ययन दल कायम किये जा चुके हैं। एक एक संसद् सदस्य उनके प्रमुख के तौर पर काम कर रहा है और अनियमितताओं, विलंम्ब आदि की छानबीन कर रहा है।

[श्री हाथी]

यहां मैं यह भी बता दूं कि 137 सिफारिशों में से 51 सिफारिशें, परिवर्तन के साथ या उसके बगैर, स्वीकार की जा चुकी हैं और उन्हें कार्यान्वित भी किया जा चुका है। 37 सिफारिशों को कार्यान्वित करने की बात विचाराधीन है। इससे यह दिखायी पड़ेगा कि संथानम् समिति की सिफारिशें स्वीकार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में हम सुस्त नहीं हैं।

कुछ सिफारिशें न्यायपालिका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आदि के बारे में हैं और उन पर संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश केन्द्र में और राज्यों में सतर्कता आयोग की स्थापना के बारे में थी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्थापित किया जा चुका है और कई राज्यों में भी सतर्कता आयोग स्थापित किये जा चुके हैं और उन्होंने अपना काम आरम्भ कर दिया है।

कुछ सिफारिशों पर जैसे सरकारी कर्मचारी (जांच) अधिनियम, 1850 में संशोधन संबंधी धारा 311 के संबंध में, अलग से विचार किया गया है।

उपरोक्त चारों विभागों के अधिकारियों के साथ मैंने यह मालूम करने के लिए चर्चा की थी कि कार्य कुशलता बढ़ाने और विलंब दूर करने के लिए ये सिफारिशें कहां तक स्वीकार की जा सकती हैं और अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह अधिक अच्छा होता कि एक कार्यकारी दल इन मामलों का नमूना सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया जाता।

जहां तक सामाजिक वातावरण का संबंध है, मैं यह कहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों या राजनीतिज्ञों के बीच एक विवाद न खड़ा किया जाये। मंत्रियों के लिए आचरण संहिता बनायी जा चुकी है और उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जा चुकी है। इस प्रकार श्री बड़े की यह शिकायत कि हमने यह विधेयक प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलंब किया है और उसे अन्यमनस्कता से प्रस्तुत किया है, बिल्कुल निराधार है।

श्री बनर्जी ने लाइसेंस देने के तरीके के बारे में कहा था। हम उसकी प्रक्रिया और तरीके की छानबीन कर रहे हैं। तकनीकी विकास महानिदेशालय सबसे पहले आवेदनपत्रों की छानबीन करता है। जब अधिकारियों के साथ जनता का खुले तौर पर सम्पर्क होता है तब भ्रष्टाचार की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए उस सम्पर्क को कम करने के लिए उन विभागों में हमने स्वागत तथा पूछताछ कार्यालय स्थापित किये हैं और सार्वजनिक जनता पदाधिकारियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने के बजाय उस कार्यालय से ही अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सकती है। लेकिन कुछ मामलों में जहां चर्चा आवश्यक होती है, दर्शकों के नाम, तारीख आदि दर्ज करने के लिए रजिस्टर आदि भी रखे गये हैं। इस प्रकार अधिकारियों के साथ अबाध सम्पर्क कम करने के लिए हमने यह प्रणाली अपनायी है। लाइसेंस देने की प्रथा के संबंध में हमने श्री हरिश्चन्द्र माथुर की अध्यक्षता में एक दल नियुक्त किया है। हमने उससे प्रार्थना की है कि वह विलंब, प्रक्रिया के गतिरोध और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आदि के बारे में जांच करे।

संथानम् समिति की यह सिफारिश कि अफसरों को सेवानिवृत्ति के दो वर्ष बाद तक किसी वाणिज्यिक या व्यापारिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये, सिद्धांत-रूप में मान ली गयी है।

श्री द्विवेदी ने इस आधार पर विधेयक की आलोचना की है कि मंत्रियों को सरकारी कर्मचारी की परिभाषा में शामिल करने की विशिष्ट सिफारिश मंजूर नहीं की गयी है और उसे विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। मैं यह कह सकता हूं कि मंत्री केवल सरकारी कर्मचारी मात्र नहीं हैं क्योंकि जनता के प्रति उसका कहीं अधिक नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक उत्तरदायित्व है और इसलिए मंत्रियों का नाम साधारण लोगों अथवा सामान्य सरकारी कर्मचारियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिये ।

दूसरी ओर राव शिव बहादुर सिंह के मामले में ('1953, उच्चतम न्यायालय रिपोर्टर, संख्या 1188) उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि मंत्री भी सरकारी कर्मचारी है। उसे देखते हुए हमने यह राय दी कि उसे सरकारी कर्मचारी की परिभाषा में शामिल करने का उपबन्ध निरर्थक होगा। इसलिए मंत्री उस परिभाषा के अन्तर्गत अपने आप ही आ जाते हैं। अतः इस विषय में सदस्यों को कोई आशंका नहीं होनी चाहिये ।

श्री दांडेकर (गोन्डा) : मैं जानना चाहता हूं कि जिस विशिष्ट मामले में और जिन विशिष्ट परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय ने मंत्री को सरकारी कर्मचारी घोषित किया है, वह क्या है।

श्री हाथी : मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन भी मंत्री एक सरकारी कर्मचारी है ।

श्री नम्बियार : क्या हम यह मान लें कि इस परिभाषा में मंत्री भी शामिल हैं ? माननीय मंत्री स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री हाथी : वह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है और यही कानूनी राय सरकार को दी गई है और इसलिए ऐसा कोई संशोधन निरर्थक होगा ।

अध्यक्ष महोदय : उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मंत्री भी सरकारी कर्मचारी हैं और इसलिए सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रक्रिया मंत्रियों पर भी लागू होगी ।

श्री नम्बियार : विधेयक की भाषा को इसी भावना के अनुरूप कर दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री का कहना है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार 'सरकारी कर्मचारी' में मंत्री भी शामिल हैं, तो यह स्पष्ट है कि मंत्री भी इस परिभाषा में शामिल किये जायेंगे ।

श्री हाथी : मैंने यह बात अच्छी तरह स्पष्ट कर दी है और उच्चतम न्यायालय का निर्णय हमारे सामने है। इसके अतिरिक्त मैं क्या कह सकता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : क्या मंत्री महोदय एक आश्वासन देंगे कि यह विधेयक मंत्रियों पर लागू होगा ?

श्री स० मो० बनर्जी : यदि किसी न्यायालय में मुकदमा किया जाये तो केवल उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के आधार पर न्यायालय कैसे मान लेगा कि मंत्री भी सरकारी कर्मचारी है।

श्री हाथी : मैंने इसे पर्णतया स्पष्ट कर दिया है। जहां तक सरकार का संबंध है, उसका विचार और इरादा यह है कि मंत्री सरकारी कमचारी है, जैसा कि इस अधिनियम में कहा गया है। इसके

[श्री हाथी]

अतिरिक्त में क्या कह सकता हूं और इसके आगे कैसे जा सकता हूं। श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने कहा था कि सन्थानम समिति की इस सिफारिश को कि अपराध की प्रेरणा को बड़ा अपराध माना जाये, माना नहीं गई है। जब दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विचाराधीन था, तो इस पर विचार किया गया था। वर्तमान धारा 165 क के अन्तर्गत रिश्वत देना बड़ा अपराध माना गया है इसलिए कोई और व्यवस्था करना अतिरिक्त समझा गया था।

श्री ओजा ने पूछा था कि विशेष पुलिस संस्थान द्वारा कितने मामलों में सज़ा दी गई थी और उन में से कितने गज़टेड अफसर थे। आंकड़े इस प्रकार थे :—

साल	विशेष पुलिस संस्थान द्वारा किये गये मामले	उन मामलों की संख्या जिन में सज़ा दी गई
1961 . .	278	204
1962 . .	288	242
1963 . .	313	227
1964 . .	198	170

श्री ओझा : गज़ेटेड अफसर कितने हैं ?

श्री हाथी : 278 में से 13 थे। इन आंकड़ों से प्रकट होता है कि 80 से 85 प्रतिशत मामलों में सज़ा दी गई है। धारा 251 के बारे में विभिन्न संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। कहा गया है कि अभियुक्त को कुछ समय दिया जाये और उसे तुरन्त पत्र और गवाह देने के लिए बाध्य न किया जाये। इस से उसे कुछ कठिनाई होगी। इस तर्क में कुछ बल है। हम नहीं चाहते कि अभियुक्त को बिना कारण परेशान किया जाये। अतः मैं इस संशोधन पर विचार कर कर रहा हूं कि उसे कुछ समय दिया जाये। किन्तु यह न्यायालय के विवेक पर छोड़ देना चाहिये। दूसरी बात अभियुक्त की अनुपस्थिति में मुकदमे की कार्यवाही का था यदि अभियुक्त अनावश्यक विलम्ब करे तो न्यायालय कार्यवाही जारी रख सकता है।

यदि दोनों पक्ष यह चाहें कि कार्यवाही बन्द कमरे में हो या यदि न्यायालय यह निर्णय करे तो कार्यवाही बन्द कमरे में की जा सकती है, श्री डांडेकर ने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति के पास जरूरत से अधिक धन सम्पत्ति हो, तो इसे स्वयं अपराध मानना चाहिये। किन्तु ऐसी हालत में इससे पहले पूछना चाहिये कि उसे यह कहां से प्राप्त हुई। यदि वह संतोषजनक उत्तर न दे सके, तभी इसे अपराध माना जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898, दण्ड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1944, दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान अधिनियम, 1946,

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 और दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clasue 2 was added to the Bill

खंड ३—(1898 के अधिनियम 5 का संशोधन)

श्री यशपाल सिंह । मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री क० क० मोरे : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Yashpal Singh : Unless a comprehensive Bill is brought and unless it is decided what the extent of loss suffered by Government is, this Bill could not be worked out. Therefore my amendment that there should be provision both for fine and inprisonment should be accepted.

The fact that the bridge on Lakarhan river has not been put to use so far has resulted in loss of several lakhs of rupees.

Another submission of mine is that the definition of Government Servants should be made more comprehensive.

श्री हाथी : श्री यशपाल सिंह के संशोधन के बारे में मैं ने अपने कारण बतला दिये हैं। मैं उनका संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। संशोधन संख्या 7 का उद्देश्य पंक्ति 18 से 32 को हटाना है। मैं इसे भी स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन 1 और 7 सदन के सामने मतदान के लिए प्रस्तुत करता हुं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 7 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos 1 and 7 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 और 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

clauses 4 and 5 were added to the Bill

खंड 6—(1947 के अधिनियम 2 का संशोधन)

श्री हाथी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 4, पंक्ति 1 में "after clause (d) [खंड (घ) के स्थान पर"] के स्थान पर निम्न रख दिया जाये :—

"In clause (*d*) the word '*or*' Shall be inserted at the end and after clause (*d*) as so amended"

[खंड (घ) में अन्त में शब्द "या" रख दिया जाये और इस तरह संशोधित खण्ड (घ) के बाद] (6)

श्री ओझा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ 6, पंक्ति 41—

"at once give in writing ['तुरन्त लिखित रूप में दे'] के स्थान पर निम्न रख दिया जाय :

"to give in writing at once or within such time as the Magistrate may allow"

["तुरन्त या जब मेजिस्ट्रेट कहे लिखित रूप में दें"] (9)

श्री हाथी : मैं संशोधन 9 स्वीकार कर रहा हूं ।

श्री यशपाल सिंह : मैं अपने संशोधन संख्या 2, 3, 4 और 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री क० लाo मोरे : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हाथी : संशोधन संख्या 2 पंक्ति 21 से 23 तक को हटाना चाहता हूं । मुख्य उपबन्ध यह है कि इसमें एक वर्ष तक की सजा दी जा सकती है । किन्तु परन्तुक में एक विशेष शक्ति है कि यदि कोई छोटा अपराध हो, तो अनिवार्य दंड देना आवश्यक नहीं होगा । और धारा 5 (2) में भी इस प्रकार का एक उपबन्ध है । जहां तक संशोधन संख्या 4 का सम्बन्ध है उनको आपत्ति यह है कि जरूरत से अधिक सारे धन को जब्त कर लिया जाये । मेरे विचार में यह न्यायालय पर छोड़ देना चाहिये कि अपराधी पर कितना जुर्माना किया जाये । मैं संशोधन संख्या 5 और 8 स्वीकार नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 से 5 और 8 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments Nos. 2 to 5 and 8 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 6 और श्री ओझा का संशोधन संख्या 9 मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

पृष्ठ 4, पंक्ति 1 में —

"After clause (*d*)"

[खंड (घ) के स्थान पर] निम्न दिये जायें :

"In clause (*d*) the word 'or' shall be inserted at the end and after clause (*d*) as so amended.

["खंड (घ) में अन्त में शब्द "या" रख दिया जाय और इस तरह संशोधित खंड (घ) के बाद"] (6)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 6 पंक्ति 41 में :

"at once give in writing"

["तुरन्त लिखित रूप में दे"] शब्दों के स्थान पर निम्न रख दिया जाय :—

"To give in writing at once or within such time as the Magistrate may allow"

["तुरन्त या मेजिस्ट्रेट द्वारा दी गई अवधि के अन्दर लिख कर दें]" (9)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 as amended, was added to the Bill.

खंड 7, 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 7, 1 the Electing Formula and the title were added to the Bill.

श्री हाथी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री म० ना० स्वामी (ओंगाल): यह अच्छा होता यदि मंत्रियों के बारे में भी इस विधेयक में एक उपबन्ध होता । सन्थानम रिपोर्ट में विधान मंडलों के सदस्यों और राजनैतिक दलों के बारे में एक अध्याय था, किन्तु विधेयक में उन का उल्लेख नहीं है ।

[श्री म० ना० स्वामी]

मुझे हर्ष है कि मंत्री ने यह मान लिया है कि बड़े अधिकारी सेवा निवृत्ति के बाद बड़ी बड़ी फर्मों में नौकरी न करें किन्तु विधेयक में इस बारे में भी कोई उपबन्ध नहीं है, सन्थानम समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि मंत्रियों के लड़के और सम्बन्धी बड़े बड़े वेतनों पर नौकरियों पर न लगाये जायें। विधेयक में इस के बारे में भी व्यवस्था होनी चाहिये थी।

क्या हम ने कभी इस ओर ध्यान दिया है कि ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में बड़ा बलिदान दिया है, भ्रष्ट हो जाने का क्या कारण है? आजकल उत्पादन के साधन चन्द लोगों के हाथ में है। यही बात राष्ट्रीय आय सम्बन्धी प्रतिवेदन में भी कही गई है। धन का चन्द लोगों के हाथों में संचित होना कुछ विधायकों और मंत्रियों को भ्रष्ट करता है। जब तक इस चीज को समाप्त नहीं किया जाता, जब तक सरकार उत्पादन के साधनों को अपने हाथ में नहीं लेती तब तक हम भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते। इसलिये हमें इस विधेयक में इस प्रकार के उपाय शामिल करने चाहिये। आये दिन हम समाचारपत्रों में मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार की बातें पढ़ते हैं। कुछ राज्यों में विधि और व्यवस्था नहीं है। उड़ीसा राज्य में ऐसी हालत है परन्तु सरकार ऐसी परिस्थितियों के लिये जिम्मेवार व्यक्तियों को न पकड़ती है न दण्ड देती क्योंकि वे सब एक ही दल से सम्बन्ध रखते हैं। इस लिये यह विधेयक आज की परिस्थितियों के तुल्य नहीं है।

श्री हाथी : माननीय सदस्यों ने मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार तथा उड़ीसा में भ्रष्टाचार का जिक्र किया। उन्होंने मंत्रियों की ईमानदारी तथा सन्थानम समिति की सिफारिशों का भी जिक्र किया। जहां तक सामाजिक वातावरण का सम्बन्ध है हमने इसके लिए एक आचार संहिता बनाई है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। इस संहिता के अनुसार मंत्रियों को अपनी आस्तियों तथा दायित्व के बारे में बताना पड़ता है।

श्री म० ना० स्वामी (ओंगोल) : इस विधेयक में भी इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री हाथी : प्रत्येक चीज को विधेयक में शामिल नहीं किया जा सकता है। यह एक सामाजिक वातावरण और नैतिक स्तर का प्रश्न है। हर एक चीज को कानून द्वारा नहीं बांधा जा सकता है। हमें आचरण और आचार संहिता पर अधिक जोर देना चाहिये। न कि कानून पर।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप, में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खाद्य निगम विधेयक

Food Corporations Bill

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"अनाज तथा दूसरे खाद्य पदार्थों के व्यापार के लिये खाद्य निगमों की स्थापना करने तथा तत्संबंधी तथा आनुषंगिक विषयों के संबंध में व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सितम्बर में परिचालित किये गये श्वेतपत्र में मैंने इस बात पर जोर दिया था कि अल्पकालीन उपायों की क्रियान्विति में अनुभव की गई त्रुटियों को दूर करने के लिये एक दीर्घकालीन खाद्यान्न नीति बनाई जाये।

हाल की घटनाओं ने हमें बता दिया है कि खाद्यान्नों की उत्पादन तथा वितरण पद्धतियों का पुनर्गठन करना जरूरी है ।

उत्पादक, थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी के स्तर पर उचित मूल्य निधारित करने के संबंध में झा समिति की सिफारिशों पर हम ने पहले ही कार्यवाही की है । केन्द्र से अधिक वित्तीय सहायता देकर राज्यों में मूल्यों को लागू करने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिये कार्य-वाही की जा रही है । अन्य विनियामक उपाय किये जा रहे हैं। परन्तु सब से महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय खाद्यान्न निगम स्थापित किया जा रहा है ।

खाद्यान्न प्राप्ति के प्रश्न पर 1950 में एक समिति ने विचार किया था। उस समय भी समिति इस परिणाम पर पहुंची कि सरकार की नीति स्थायी तथा उचित मूल्यों को लागू करने की होनी चाहिये। समिति ने यह भी सिफारिश की कि प्राप्ति तथा वितरण की समान पद्धति न केवल व्यवहार्य ही है अपितु बांधनीय और आवश्यक भी है ।

सात वर्ष के पश्चात् खाद्यान्न जांच समिति ने सिफारिश की कि खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन होना चाहिये। खाद्यान्नों की मांग तथा संभरण को नियंत्रित करके ही खाद्यान्नों के मूल्यों को सफलता पूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है । इसके लिये अनाज को समय पर खरीदना बेचना तथा उसका भंडार बनाने की आवश्यकता है । इस संगठन को एक व्यापारी के रूप में काम करना चाहिये और विशेषत: फालतू मात्रा वाले क्षेत्रों में।

इस विधेयक द्वारा ऐसा ही निगम स्थापित करने का विचार है। यह आशा है कि यह निगम उत्पादकों के लिये प्रोत्साहक मूल्य बनाये रखेगा । इस निगम द्वारा उपभोक्ताओं के लिये मूल्यों को बढ़ने से रोकने में भी सहायता मिलेगी ।

हमें यह देखना है कि यह निगम सुचारू रूप से और वाणिज्यिक तरीकों पर काम करती है और इस पर रखी गई भारी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क रहती है । इस निगम का गठन इन बातों को ध्यान में रख कर किया गया है ।

(श्री सोनावने पीठासीन हुए
Shri Sonavane in the chair)

100 करोड़ रु० की प्रस्तावित प्रारम्भिक पूंजी तथा उधार सुविधाओं से, जो इस निगम को उपलब्ध होंगी, यह निगम दक्षिण खण्ड में अपना कार्य कर सकेगी । यथा समय यह निगम अन्य क्षेत्रों में भी अपने कार्य का विस्तार करेगा। धीरे धीरे इसको विदेशों से आयात करने की भी शक्तियां दे दी जायेगी ।

इस निगम की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य है, उनकी तब तक पूर्ति नहीं हो सकती है जब तक राज्य सरकारें इस कार्य में अपना सहयोग न दें । इस महत्वपूर्ण पहलू पर प्रशानिक विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया गया था । इन विशेषज्ञों की यह राय थी कि राज्य सरकारों का सहयोग प्रबन्धकों के प्रादेशिक बोर्ड अथवा निगमें

स्थापित कर के प्राप्त किया जा सकता है । हमने विधेयक में इनकी स्थापना का उपबन्ध किया है। खण्ड 27 में यह उपबन्ध किया गया है कि निगम स्टॉक के विरूद्ध सरकार की गारन्टी पर बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से रुपया उधार ले सकता है । खण्ड 28--30 के द्वारा निगम बिलकुल उसी तरह कार्य कर सकता है जैसे कि एक व्यापारी उत्पादकों द्वारा अतिरिक्त विनियोजन को भी प्रोत्साहन दे सकता है ।

ऋण के द्वारा निगम किसानों के साथ गहरा संपर्क स्थापित करेगी। कुछ समय के बाद यह निगम किसानों को अच्छे बीच तथा उर्वरक देने का भी प्रबन्ध करेगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि सरकार द्वारा स्थापित की गई पहली यह संस्था है जो प्रत्यक्ष रूप से किसानों के साथ संपर्क स्थापित करेगी ।

हमारे सामने भांडागार की समस्या भी बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है । जब तक हमारी भांडागार पद्धति दोषपूर्ण रहेगी हम काफी मात्रा में अनाज बर्बाद करते रहेंगे । प्रति वर्ष लगभग 15 प्रतिशत अनाज भांडागार की उचित सुविधा न होने के कारण खराब हो जाता है । निगम से आशा है कि वह केन्द्रीय भांडागार निगम और राज्य भांडागार निगमों की भांडागार सुविधाओं से पूरा लाभ उठायेगा ।

भांडागार ऐसे स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे जहां कि कमी वाले क्षेत्रों को अनाज शीघ्रता से पहुंचाया जा सके। हिसाब किताब-वाणिज्यिक प्रणाली पर रखा जायेगा । आशा है कि निगम वार्षिक प्रतिवेदन दिया करेगी जो कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ संसद् के सामने रखी जायेगी ।

सरकार की यह राय है कि निगम अपने उद्देश्य में केवल तब ही पूर्णतया सफल हो सकती है जब कि वह भारी भंडार बना सके।

यद्यपि निगम से तुरन्त आशा यह है कि या दत्तचित्त हो कर खाद्यान्न के व्यापार संबंधी अपना मल कार्य करेगा, यह भी विचार है कि यथा समय निगम को कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि में सहायता करने के दीर्घ कालीन उद्देश्य की प्राप्ति के मामले में अपने को लगाना होगा और एक विस्तृत कार्य करना होगा ।

खरीदारी में तत्काल कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है । निगम सरकारी तौर पर अपना कार्य जनवरी में आरम्भ करेगा और यह अत्यावश्यक है कि व्यवस्था संबंधी आवश्यक कार्य अविलम्ब किया जाये। इस अन्तवर्ती अवधि में यह प्रस्ताव है कि घोषित मूल्यों पर खुले बाजार में अनाज खरीदने के लिये राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के समाहार संगठनों का लाभ उठाया जाये। इस में कोई संदेह नहीं कि निगम की सफलता अधिकांश इस के क्रय विभाग की कुशलता और लक्ष्य प्राप्ति पर निर्भर है ।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

एक प्रस्ताव परिचालन के लिये है और एक प्रस्ताव प्रवर समिति को सौंपने के लिये है। क्या उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है ?

श्री यशपाल सिंह (कैराना): जी हां ; मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा): यदि मंत्री महोदय प्रवर समिति के निर्देश के लिये प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं अपने परिचालन के लिये प्रस्ताव के बारे में इतना इच्छुक नहीं हूं ।

सभापति महोदय : इसकी शर्त नहीं होनी चाहिये ।

श्री नारायण दांडेकर : ऐसी बात है तो श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को, उस पर जनमत जानने के लिये 20 फरवरी, 1965 तक परिचालित किया जाये" ।

श्री यशपाल सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को एक प्रवर समिति को सोंपा जाये, इन हिदायतों के साथ कि वह 30 सितम्बर, 1964 तक इस पर अपना प्रतिवेदन दे ।

सभापति महोदय : दोनों स्थापन प्रस्तावों पर भी मूल प्रस्ताव के साथ ही विचार किया जायेगा ।

श्री नारायण दांडेकर : माननीय मंत्री ने कहा कि यह निगम वाणिज्यिक प्रणाली पर काम करेगा । परन्तु इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रारम्भ में विभिन्न राज्य व्यापार निगम किन उद्देश्यों को ले कर आरम्भ किये गये थे और बाद में उनमें किस तरीके से विकास हुआ, अर्थात्, धीरे धीरे आम व्यापारियों को, उन सैकड़ों लोगों को जो एक विशेष व्यापार कर रहे थे, व्यापार से वंचित कर दिया गया और उसके बदले में बड़ा एकाधिकारवादी व्यापार स्थापित कर दिया गया है । अतः अब वर्तमान विधेयक को बड़ी सन्देहपूर्ण दृष्टि से देखा जा रहा है ।

हमें डर है कि यह निगम मुनाफाखोरी करेगा और अन्ततोगत्वा उपभोक्ताओं के हितों को चोट पहुंचायेगा । इसके साथ साथ इस बात का भी डर है सारे देश में अनिवार्य रूप से अनाज इक्ट्ठा कर के किसान विरोधी कार्यवाहियां की जायेंगी । दूसरे शब्दों में देश भर में अनाज के वितरण पर एकाधिकार स्थापित हो जायेगा । केवल इस देश को 'साम्यावदी राज्य' का नाम देना ही शेष रह जायेगा ।

सभा इससे अवगत है कि हमारी राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत भाग कृषि से आता है । सरकार के अधीन यह निगम कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करेगा और फिर प्रत्येक राज्य में ऐसे निगम स्थापित किये जायेंगे जिनके व्यय का भार भी सरकार को वहन करना पड़ेगा । अनाज की वसूली, वितरण, इसके परिवहन, बिक्री एवं व्यापार के मामलों में इस निगम को एकाधिकार प्राप्त होगा । इन सब बातों के कारण निश्चय ही इस निगम को सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है ।

हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा आश्वासन दे कि इस विधान द्वारा सरकार कृषि के क्षेत्र में देश भर में एकाधिकार स्थापित नहीं करेगी ।

यह स्पष्ट ह कि इस निगम में 6 निदेशक सरकारी होंगे, अर्थात्, वे विभिन्न मंत्रालयों से लिये जायेंगे परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि अन्य 6 निदेशक कहां से लिये जायेंगे । इससे सन्देह पैदा होता है ।

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह दिया गया है कि यह निगम सरकारी नीति के अनुसार काम करेगा । दूसरी ओर यह कहा जाता है कि यह निगम व्यापारिक सिद्धान्तों पर काम करने के लिये बनाया गया है । इससे सन्देह पैदा होता है ।

[श्री नारायण दांडेकर]

सिद्धांत रूप में राज्य खाद्यान्न निगम बनाये जाने के विरुद्ध नहीं है । यदि सरकार इसका वित्तपोषण करती है अथवा इसके वित्त पोषण की गारंटी देती है तो मुझे इस निगम बनाये जाने पर आपत्ति नहीं है । परन्तु सन्देह किया जा रहा है कि प्रस्तावित निगम स्थापित हो जाने पर एक जिले से दूसरे जिले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में या देश के एक भाग से दूसरे भाग में अनाज का लाना ले जाना संभव नहीं होगा ।

मेरी यह आशंका है कि यह निगम प्रत्यक्षतः तो उपभोक्ताओं की मदद करेगा, उत्पादक की मदद करेगा तथा व्यापारियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करेगा परन्तु अप्रत्यक्षतः इससे किसी को भी लाभ नहीं होगा क्योंकि कोई भी व्यापारी अथवा व्यक्ति एक राज्य से गेहूं खरीद कर दूसरे राज्य में नहीं ले जा सकेगा । ऐसा करने का अधिकार केवल निगम को ही होगा । इसके अतिरिक्त निगम को ही यह अधिकार होगा कि वह रेल के द्वारा अनाज का यातायात कर सकेगा । इसको ही यह अधिकार होगा कि अनाज इकट्ठा करें । मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार के सभी अधिकार यदि इस निगम को दे दिए जायेंगे तो देश के सभी व्यापारी इस निगम की दया पर निर्भर रहेंगे । मंत्री महोदय ने ऐसा भी बताया था कि यह निगम 'बफर स्टाक' बनायेगा । इसका तात्पर्य यह हुआ कि उत्पादकों को ज़बरदस्ती अपना अनाज निगम को बेचना पड़ेगा ।

मेरे इस कथन से यह नहीं समझना चाहिये कि मैं यह बातें निराधार ही कह रहा हूं । कृपया आप सितम्बर में परिचालित अनाज निगम के बारे में श्वेत पत्र देखें । उसके पैराग्राफ 36 में कहा गया है कि सरकार ने अनाज के व्यापार निगम बनाने का निर्णय किया है जो अनाज की बिक्री तथा खरीद वाणिज्यिक आधार पर करेगी । इसको पर्याप्त अधिकार दे दिए जायेंगे ।

सभापति महोदय : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अभी और समझ लेंगे ।

श्री नारायण दांडेकर : जी हां ।

सभापति महोदय : कृपया अगले दिन वह अपना भाषण जारी रखें । अब सभा में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार होगा ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL AND RESOLUTIONS

पचासवां प्रतिवेदन

श्री हेम राज (कांगड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पचासवें प्रतिवेदन से, जो 18 नवम्बर, 1964 को सभा में पेश की गई थी, सहमत है ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पचासवें प्रतिवेदन से, जो 18 नवम्बर, 1964 को सभा में पेश की गई थी, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक

(सातवीं अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
AMENDMENT OF THE SEVENTH SCHEDULE

श्री बालकृष्ण वासनिक (गोंडिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री बालकृष्ण वासनिक : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

किराया खरीद विधेयक

HIRE-PURCHASE BILL

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सामान के किराया-खरीद से सम्बंधी विधि में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सामान के किराया-खरीद सम्बंधी विधि में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री यशपाल सिंह: मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

दिल्ली आंख की पुतली लगाना विधेयक—जारी

DELHI CORNEAL GRAFTING BILL

सभापति महोदय : सभा में अब 25 सितम्बर, 1964 को श्री नवल प्रभाकर द्वारा पेश किए गए दिल्ली आंख की पुतली लगाना विधेयक पर विचार होगा । परन्तु श्री नवल प्रभाकर सभा में उपस्थित नहीं हैं । प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत है अतः माननीय मंत्री उत्तर दें ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): यह सच है कि आजकल आंख की पुतली लगाने की तकनीक में इतना सुधार हो गया है कि अब एक मनुष्य की आंख की पुतली दूसरे मनुष्य के लगाई

[डा० सुशीला नायर]

जा सकती है। यदि किसी मृत व्यक्ति की आंख स्वस्थ है तो यह अच्छा ही है कि वह आंख किसी नेत्रहीन व्यक्ति के लगा दी जाये ।

दिल्ली के मुख्य आयुक्त दिल्ली में बम्बई आंख की पुतली लगाना अधिनियम को पहले ही लागू कर चुके हैं जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में पांच संस्थाओं को अर्थात् अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली, डा० श्रौफ चक्षु अस्पताल, दरयागंज, इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली तथा हिन्दूराव अस्पताल, दिल्ली इस अधिनियम के अधीन स्वीकार कर ली गई हैं।

मैं समझती हूं कि उपरोक्त कारणों से विधेयक को पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मृत व्यक्तियों की आंखों का चिकित्सीय प्रयोग करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद ३७० का हटाया जाना)

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

Omission of Article 370

Shri Prakashvir Shastri (Bijnor) : I beg to move that the adjourned debate on 11th Sep. 1964 on the bill further to amend the constitution of India be taken into consideration be resumed.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 11 सितम्बर, 1964 को श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर स्थगित विवाद पुनः आरंभ किया जाये :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए 4 घंटे का समय आवंटित किया गया था जिसमें से 11 सितम्बर, 1964 को 2 घंटा तथा 25 मिनट ले लिये गये थे । अब 1 घंटा 35 मिनट शेष हैं।

श्री अब्दुल गनी गोनी (नामनिर्देशित—जम्मू तथा काश्मीर) : मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया। सच यह है कि काश्मीर के विलय के पत्र को 1947 में गवर्नर जनरल लार्ड माउन्टबेटन ने स्वीकार कर लिया था। परन्तु तत्कालीन महाराजा ने इस विलय-पत्र में कुछ शर्तें रख दी थीं कि इसका अनुसमर्थन काश्मीर की जनता से कराया जाना चाहिये। मैं बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी काश्मीर की

विधान सभा ने 1954 में निर्णय कर लिया था। यह निर्णय शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में किया गया था। बाद में इसी निर्णय को बख्शी गुलाम मुहम्मद ने और आगे क्रियान्वित किया। उदाहरणतः वित्तीय एकीकरण, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार, तथा भारतीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति आदि की व्यवस्था उन्होंने की। उन्होंने संविधान के अनच्छेद 370 को हटाने के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा परन्तु खेद है कि केन्द्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने किन कारणों से ऐसा नहीं किया यह तो वही जानें।

इसके बाद कामराज योजना का आविर्भाव हुआ और काश्मीर का शासन बदला। इस शासन ने बख्शी साहब को प्रतिरक्षा नियमों के अधीन कारावास में डाल दिया। इतना बड़ा अन्याय किया गया और मेरे विचार से हमारे लिए यह बड़ी ही शर्मनाक बात हुई। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये। परन्तु दूसरी ओर पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री कैरों के भ्रष्ट साबित हो जाने पर भी उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं तथा बताना चाहता हूं कि हम काश्मीर के लोग हमेशा ही भारत के हैं तथा भारतीय ही रहेंगे और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि आज जो काश्मीर की राज्य सरकार है वह हम जैसे भारत समर्थक लोगों को ही तंग कर रही है। हमारी आकाशवाणी भी काश्मीर की जनता के प्रति उदासीन है। वहां की ख़बरों को देश में उतनी तत्परता से प्रसारित नहीं करती है जितनी तत्परता से उसे करना चाहिये।

काश्मीर में आज समाचार-पत्रों को भी स्वतन्त्रता नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि काश्मीर में 'काश्मीर पोस्ट' तथा 'मार्तण्ड' नामक दो समाचार पत्र हैं। इन दोनों समाचार पत्रों ने कुछ बातें काश्मीर सरकार के विरुद्ध अपने अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित की जिसके परिणामस्वरूप इनके सम्पादकों को जेल की हवा खानी पड़ी। दूसरी ओर 'महान्' नामक एक समाचारपत्र 'प्लैबिसाइ फ्रन्ट' का है इस समाचार पत्र में 24 अक्तूबर को अय्यूब खां के जन्म दिन पर उनका तथा लियाकत अली खां का फोटो छापा गया परन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मैं बताना चाहता हूं कि हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री सादिक जब प्रधान मंत्री नहीं थे उस समय उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस की कार्यकारणी समिति में कहा था कि वह अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में हैं और वह इस बारे में एक संकल्प पेश करेंगे। बाद में मैंने तथा श्री समनानी ने एक संकल्प पेश किया तथा उसको पारित कराया। परन्तु श्री सादिक ने प्रधान मंत्री बनने के बाद अब कहा कि ऐसा करने में कुछ सांविधानिक कठिनाइयां हैं। आदमी कुछ बन जाने के बाद इस प्रकार अपने वचनों से फिर जाता है आप इस से इसका अन्दाजा लगा सकते हैं।

अन्त में मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लोकतंत्र के नाम पर इस विधेयक को स्वीकार कर लें और संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का निर्णय ले लें। जिससे हमारे विरोधियों की राजनीतिक पराजय हो और काश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग पूर्णरूपेण बन जाये।

श्री मानसिंह पु० पटेल (मेहसाना) : मैंने सभा में व्यक्त विचारों को सुना और मेरी तथा जनता की यही भावना है कि हमारी सरकार अनुच्छेद 370 को हटाने के पक्ष में नहीं है। मैं माननीय मंत्री से सीधा उत्तर चाहता हूं कि क्या काश्मीर के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री बख्शी

[श्री मानसिंह पृ० पटेल[

गुलाम मुहम्मद ने ऐसा सुझाव भेजा था कि इस अनुच्छेद को हटा दिया जाये। और सरकार ने किन विशेष कारणों से उनके इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया था।

कुछ सदस्यों ने कहा कि अभी अनुच्छेद 370 को इसलिये नहीं हटाया जा सकता है कि काश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में लम्बित है। और जिस प्रकार धीरे धीरे प्रशासनिक, न्यायिक आदि को काश्मीर में लागू किया जा रहा है वह रास्ता ठीक ही है। हाल में ही श्री सादिक ने भी इस बारे में एक वक्तव्य दिया था कि इस अनुच्छेद के बारे में हम भारत सरकार के हाथ में हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न नेताओं के आपसी मत वैभिन्नय होते हुए भी इस बारे में उनका सभी का एक ही मत है कि अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाये। सरकार को इस का ध्यान रहना चाहिये।

हम विश्व को बता चुके हैं कि काश्मीर का भारत में विलय अन्तिम है और अब उसको भारत से अलग बनाये रखने में हमारे सामने कठिनाइयां अती हैं और आती रहेंगी।

मैं समझता हूं कि यह बात विवाद रहित है कि काश्मीर का भारत में पूर्णरूप से विलय हो चुका है। जम्मू और काश्मीर के नेता भी यह मानते हैं कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जब वित्तीय, चुनाव आयोग, उच्चत्तम आदि मामलों में काश्मीर राज्य को भारत के अन्य राज्यों के समान ही समझा जाता है तो वहां अब तक संविधान का अनुच्छेद 370 लागू रख कर वहां की जनता को द्वितीय श्रेणी की नागरिक समझने का कोई औचित्य नहीं है।

पिछले इतिहास को देखने से पता चलता है कि वर्ष 1947 में न केवल काश्मीर के महाराजा ही अपितु स्वयं शेख अब्दुल्ला तथा अन्य काश्मीरी नेताओं ने यह बात स्पष्ट तथा पूर्ण स्वीकार की है कि काश्मीर का भारत में पूर्णतः तथा अपरिवर्तनीय विलय हो चुका है। किन्तु बाद में शेख अब्दुल्ला ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया और वह विपरीत बात करने लगे। काश्मीर के भूतपूर्व प्रधान मंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद भी यह पूर्णतः स्वीकार करते हैं कि जम्मू तथा काश्मीर का भारत में पूर्णतः विलय हो चुका है, अतः यह कहना ही गलत है काश्मीर भारत अथवा पाकिस्तान के बीच कोई विवाद का विषय है। किन्तु बख्शी साहब आज छः महीने से जेल में हैं जिससे लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है। इस समय नेशनल कान्फ्रेंस के नेता भी इस बात पर अर्थात् संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के बारे में एक मत हैं। हो सकता है भविष्य में कुछ कारणवश परिस्थितियां बदल जायें। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए यह अनुच्छेद 370 के निराकरण के लिये कार्यवाही करने का एक सर्वोत्तम अवसर है।

इस समय काश्मीर की सरकार में स्थायित्व है। सभी दलों के सदस्य अनुच्छेद 370 के निराकरण के पक्ष में हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को या तो इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये या यह निश्चित आश्वासन देना चाहिये कि वह अतिशीघ्र अनुच्छेद 370 के निराकरण के बारे में कार्यवाही करेगी।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) प्रस्तुत विधेयक का सभी दल के सदस्यों द्वारा एक मत हो कर समर्थन किया गया है। मैं समझता हूं कि यह न तो साम्प्रदायिक मांग और नही किसी एक दल की मांग। यह एक राष्ट्रीय मांग है। अतः सरकार को राष्ट्र के हित में इस विधेयक को स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

29 नवम्बर, 1963 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नेशनल कान्फ्रेंस के नेता श्री सादिक ने विचार व्यक्त किये हैं कि काश्मीर में अराजकता और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वहां पर सामान्य स्थिति कायम करने के लिए अनुच्छेद 370 का निराकरण करना अत्यन्त आवश्यक है। आज मैं भी इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि काश्मीर में सामान्य स्थिति बनाये रखने, राज्य में लोकतंत्रीय जीवन की स्थापना करने तथा काश्मीर की जनता और भारत की जनता के एक दूसरे से निकट के सम्पर्क स्थापित करने के लिए इस समय अनुच्छेद 370 का निराकरण करना पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। अतः इस बारे में और अधिक बिलम्ब नहीं किया जाना चाहिये।

काश्मीर के प्रधान मंत्री श्री सादिक स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि राज्य की जनता का निर्णय है कि काश्मीर भारत का अभिन्न तथा अपरिवर्तनीय अंग है। मैं समझता हूं कि जब वहां की जनता तथा वहां के नेता यह मान चुके हैं कि काश्मीर भारत के राज्यों में से एक राज्य है तो वहां पर अनुच्छेद 370 को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 370 हमारे संविधान का स्थायी अंग नहीं है, यह केवल संक्रमणकालीन उपबन्ध है। एक अस्थायी उपबन्ध को किसी राज्य में चिरकाल तक बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। संविधान के बनाने वालों ने इस अनच्छेद के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह स्थायी उपबन्ध नहीं है और राष्ट्रपति जी सार्वजनिक रूप से अधिसूचना जारी करके यह घोषणा कर सकते हैं कि अब यह अनुच्छेद लागू नहीं रहेगा।

मुझे आशंका है कि प्रधान मंत्री महोदय अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं। आज सभा में जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है वह सभा में उपस्थित नहीं हैं। मैं समझता हूं कि वह इन चर्चाओं से भागना चाहते हैं। यह कायरता की निशानी है। तथा कथित गुटों से अलग रहने वाली नीति भारत के लिये घातक साबित हुई है। हमने उन लोगों को बनाया है जिन्होंने भारत के साथ दगा की है। उदाहरणार्थ, माइकेल स्काट जो देश भक्ति का नाटक रच रहे थे आज देश के लिए शत्रु साबित हुए हैं। माइकेल स्काट ने जब कहा था कि नागालैंड भारत से भिन्न राज्य बनना चाहिये, उन्हें तुरन्त देश से निष्काषित कर देना चाहिये था किन्तु वास्तविकता कुछ और ही है।

यद्यपि प्रधान मंत्री जी ने काहिरा सम्मेलन में जो कुछ कार्य किया है वह सराहनीय है किन्तु यह बात स्पष्ट हो गई है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री नेहरू के हाथ में अफ्रीकी-एशियाई देशों का जो नेतृत्व था वह श्री नासिर के हाथों में जा रहा है। अतः हमें भारत विरोधी तत्वों के प्रति सावधानी बरतनी चाहिये और उन्हें किसी प्रकार की छट नहीं देनी चाहिये अन्यथा यह हमारे लिये घातक सिद्ध होगा।

काश्मीर राज्य के प्रधान मंत्री का पद संभालने के बाद श्री सादिक ने घोषणा की थी कि काश्मीर राज्य का भारत में पूर्णरूप से विलय हो चुका है। किन्तु अब समझ में नहीं आता कि वह अनुच्छेद 370 का निराकरण करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं। हजरतबल कांड के बाद प्रधान मंत्री श्री शास्त्री जी ने भी सभा में कहा था कि वह काश्मीर की स्थिति से संतुष्ट हैं किन्तु फिर भी वह अनुच्छेद 370 के निराकरण के पक्ष में नहीं हैं।

[श्री नि० चं० चटर्जी]

यदि सरकार अनुच्छेद 370 के निराकरण के बारे में सभा के सभी पक्षों की इस मांग को स्वीकार नहीं करती तो इसका आशय यह है कि वास्तव में वह देश के हित का कार्य नहीं कर रही है और जो लोग देश के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उनके कुकृत्यों के सामने घुटने टेक रही है।

प्रधान मंत्री महोदय को सर्वप्रथम यह घोषणा करनी चाहिए कि अनुच्छेद 370 अस्थायी तथा संक्रमणकालीन है अतः इसे हटाया जाना चाहिए। सरकार ने स्वयं संशोधन करने वाले आदेश जारी किये। इस प्रकार भारत का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया। अब महत्वपूर्ण बात केवल यह रह गई है कि काश्मीर उच्च न्यायालय को वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन देश के अन्य उच्च न्यायालयों को प्राप्त हैं। यह विषमता बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है जिससे उस राज्य के नागरिक भी उसी तरह न्याय प्राप्त कर सकें जैसा कि देश के अन्य राज्यों के नागरिक।

अन्त में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह काश्मीर और भारत के बीच इस अनुच्छेद 370 की जो दीवार है उसे तोड़ डालें।

Shri Samnani (Jammu & Kashmir) : Mr. Speaker, Sir, without going into the merits of the Article 370 I want to know why on the one hand it is claimed that Kashmir is a part of India and on the other hand whenever any law is enacted by this Supreme body Kashmir is made an exception. It amounts to our not being recognised as citizens of the country. Then, even at the party level we are not considered full-fledged members of the Congress party. The list in the Party Office does not contain any Party in the name of Jammu and Kashmir. I want to know the reasons for the discriminatory treatment being meted out to us.

I want to know whether it is the centre or the State Government which can abolish the Article 370? Kashmiris should not be deprived of their honour, prestige and rights in this way. Either the Centre or the State Government must make a move to end this Article. Are we being punished for following the path of Bapu or did we commit a crime by taking a decision in 1939 to form National Congress in Jammu and Kashmir.

Now we want political integration of our State. The laws being promulgated in other States do not apply to Jammu and Kashmir, as if we are prisoners or war prisoners. Why should our fate be determined at Karachi, Rawalpindi or New York, when we ourselves have taken a decision, when the whole country has taken a decision? We took this decision long ago when late Mr. Jinnah came to Kashmir, he pleaded for two nation-theory but we rejected his view. We took this decision when Pakistan forces raised the slogans of Allah-Akbar and marched over Kashmir and we faced them and pushed them back. We took this decision in favour of secularism. We took a decision to follow the path of Bapu. In spite of all that the Article 370 is there. I plead and urge upon the Government to end this discriminatory treatment forthwith. We want individual security and personal security, which is possible only by abolishing the Article 370. If Government deprives us of that security we may have to reconsider our policy. If prompt action is not taken in regard to Kashmir, the day is not far when Kashmir would become another hot-bed of conflict.

If the Central Government has any international considerations in view or if it has made any international compromises which it wants to keep at the cost of my children, then I am not one with it. I want the Government to tell me the reasons why Article 370 has been allowed to remain in the constitution?

Our late Prime Minister had rightly said that this Article is in the process of erosion. But let this process of erosion not take undue time. This process should not move at a snail's pace, because that would endanger our honour, respect and safety. I want to see an end of this Article in the interest of our children and prosterity. I want my children to have the feeling that they are part of this Nation, that they enjoy equal rights and opportunities in this Nation. The hon. Minister must tell me why the Article 370 should be allowed to remain.

श्री श० शं० मोरे (पूना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक के लिए नियत समय को अग्रेतर एक घंटे तक बढ़ाया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक के लिए नियत समय को अग्रेतर एक घंढे तक बढ़ाया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri D. C. Sharma : This is a very important debate and all the parties are united on this issue. Therefore, I request that hon. Home Minister may be called so that he could himself reply to the Debate.

श्री नरेन्द्र सिंह महोडा (आनन्द) : श्री शास्त्री इस विधेयक के लिए बधाई के पात्र हैं । इसे एक मत से पारित किया जाना चाहिए । मैंने काश्मीर के प्रतिनिधियों के विचारों को सुना है और यह आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार इस विषय में दुर्बल नीति पर चलती रही है । अब काश्मीर की स्थिति के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं रहनी चाहिए । अनुच्छेद 370 का निराकरण किया जाना चाहिए । काश्मीर के सदरे-रियासत तथा प्रधान मंत्री पद-नामों को भी बदल दिया जाना चाहिए । काश्मीर के दो भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों को गिरफ्तार किया जाना भी एक ऐसी बात है जिस का अन्यत्र उदाहरण नहीं मिलता । काश्मीर भारत से अलग नहीं रह सकता । काश्मीर की जनता भी यही चाहती है कि काश्मीर भारत का अंग बना रहे । इसलिए अनुच्छेद 370 का निराकरण करके इस प्रश्न को समाप्त करना चाहिए और काश्मीर की जनता में जो असुरक्षा की भावना बनी हुई है उसे दूर किया जाना चाहिए । काश्मीर में एक अजीब सी बात यह है कि उस राज्य से बाहर का कोई व्यक्ति वहां भूमि नहीं खरीद सकता । इसके अतिरिक्त वहां प्रति दिन विस्फोट होते रहते हैं पाकिस्तान के समर्थकों के कारण वहां की विधि तथा व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा पैदा हो गया है । कुछ विदेशी तत्व काश्मीर के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं । काश्मीर में जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भी बहुत कमी हो गई है । इसका कारण यही है कि काश्मीर के बारे में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है । हमें इस विषय में उदारता नहीं दिखानी चाहिए । ऐसे मामलों में उदारता सदैव घातक सिद्ध होती है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि या तो वह इस सत्र में ही इस आशय का विधेयक लाने के बारे में आश्वासन दें या इसी विधेयक को पारित करें ।

श्री शं० शा० मोरे : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । एक ओर तो यह कहा जाता है कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है परन्तु दूसरी ओर काश्मीर और शेष भारत के बीच एक दीवार खड़ी की हुई है । काश्मीर और शेष भारत में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए और इस उद्देश्य से अनुच्छेद 370 का निराकरण किया जाना चाहिए ।

सभा को चाहिए कि वह सरकार को इस पर बाध्य कर दे ताकि काश्मीर के साथ भिन्न प्रकार का अथवा विशेष प्रकार का व्यवहार न किया जाये । हमें एकमत से इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए और अनुच्छेद 370 का निराकरण कर देना चाहिए ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I rise to support the proposed measure. Government's policy with regard to Kashmir has been faulty. Every day we read about explosions and other incidents which are indicative of the fact that law and order situation there is not normal. First Sheikh Abdullah and then Bakshi Gulam Mohammad was arrested. This is all due to Article 370 which has been allowed to remain.

The problem of Kashmir is a national problem and it must be considered in that context. Government must formulate a clear cut policy in regard to Kashmir. Why should step motherly treatment be given to the people of Kashmir when they want that Kashmir ought to be fully integrated with the rest of India. Vicious activities in Kashmir are no more tolerable. Even Shri Prem Nath Dogra, President of Jan Sangh, was given bad treatment.

Nobody has been permitted, under the law of the land, to propagate for severance of relations with the nation. In spite of that Sheikh Abdullah is making such speeches and he is not being arrested. Government must form a clear outlook on this issue. Why should Government evade the wishes of the whole House ? All the Members want that Article 370 should be abrogated, then why should it remain ? I earnestly request the hon. Minister to accept this Bill. If this Bill is passed, the problem would resolve automatically.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I support this measure. I have seen that all the representatives of Kashmir have supported it with one voice.

No solid argument has been put forward for not abrogating the article 370. Our late popular Prime Minister always said that Kashmir is a part of India, but when the question of 370 came, no convincing argument was advanced as to why it was still necessary to retain the article 370. If Kashmir's accession to India is complete then there is no reason why it should not be integrated fully with it. I am of the opinion that due to the seriousness of international situation Kashmir should be integrated with the Indian Union in almost all matters. We should not forget the sacrifices rendered by our great generals like Brigadier Hoshiar Singh. If our government cannot solve this simple question of Kashmir, how will it be possible for them to solve the problem of Goa. We have also become incapable to face the situation at Nagaland.

I am of the opinion that Government of India declared in unequivocal terms that Kashmir has been and will be the part and parcel of India. The Government should learn from mistakes which it has committed in the past over the question of Kashmir. Government should be aware of the machinations of Pakisthan and China. It should

also see that it is not led away by any move on the part of U.S.A or any other country about the joint defence and Confederation plans. I also like to urge that if there are some charges against Bakhshi Gulam Mohammad then they should be inquired into.

We should not hesitate to claim that Kashmir is ours. We should end the indecision and accept this Bill without any hesitation.

श्री खाडिलकर (खेडा) : हम आज जिस विषय पर विचार कर रहे हैं उसके सम्बंध में मेरा निवेदन यह है कि अनुच्छेद 370 को हटाने से पूर्व हमें सारे मामलों पर बड़ी गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए । मैं इस बात से सहमत हूं कि काश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से शामिल कर लिया जाना चाहिए । इस बीच किसी भी प्रकार की बाधा को नहीं रहने देना चाहिए । चाहे यह बाधा संवैधानिक हो अथवा और किसी तरह की । मेरा सन्देह यह है कि सदन ऐसा कर सकने में समर्थ नहीं है । यह ठीक है कि काश्मीर को और वहां की जनता को अपने राष्ट्रीय जीवन में लाया जाना चाहिए । देश और काश्मीर के बीच किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए । परन्तु इन सब परिस्थितियों के बावजूद इस समय आवश्यकता इस बात की है कि काश्मीर समस्या के विविध पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय ।

मेरा निवेदन यह है कि यदि काश्मीर को भारत में पूर्ण विलय करने और इस दिशा की सभी बाधाओं को दूर करना है तो सब से अच्छी बात यह है कि इस दिशा में काश्मीर की जनता पहल करे । मैं इस विधेयक की भावना और उद्देश्य से पूर्णतः सहमत हूं परन्तु मेरा आग्रह यह है कि भावावेष में आकर कुछ न किया जाय । इस प्रश्न पर बड़ी सावधानी पूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है ।

हम यह देख सकते हैं कि काश्मीर को भारत में शनैः शनैः विलीन करने के लिए बहुत से कार्य किये जा रहे हैं । अनुच्छेद 370 का उद्देश्य भी लगभग वही है । यदि हम इसी तरह चलते रहे तो यह अनुच्छेद 370 अपने आप ही बेकार हो जायेगा । उसका निराकरण करने के लिए सभा की औपचारिक सहमति लेनी होगी । मैं तो इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस दिशा में जो उपाय किये जा रहे हैं उनमें गति लाई जाय ।

हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि काश्मीर से ले कर नागालैंड तक का समूचा हिमालय का क्षेत्र एक चेतनशील क्षेत्र है, वहां के लोगों की अपनी पृष्ठभमि है और अपना स्तर है । मेरा मत यह है कि उन्हें संयम से जीतना होगा । अतः इस दिशा में हमें भरसक और निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिए । जनता यह न समझे कि हम स्वयं कोई निर्णय कर रहे हैं । यदि कोई लोग अल्प संख्या में ही है तो उन पर हमें किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए । हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे काश्मीर का पहले भावात्मक, राजनीतिक और संगठनात्मक विलय हो । ऐसा करने के बाद तुरन्त ही सरकारी स्तर भी उसका भारत में विलय किया जा सकता है । इसमें फिर बहुत अधिक समय नहीं लगेगा ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : The Bill put forward by Shri Parksah Vir Shastri is of historic importance. This will prove whether we are pouwerful ar not. I am of the opinion that Article 370 of the constitution should be abrogated without any further delay. We must know that people and the ruler of Kashmir has unequivocally acceded to India and there is absolutely no reason why Kashmir should be treated as a separate territory.

[Shri Jagdev Singh Siddhanti]

It was a great mistake on the part of the late Prime Minister to go to U.N.O. and to take of Plebiscite. This Bill provides an opportunity to the Government where by the Government can declare without any fear that Kashmir is an integral part of India. The weak-kneed policy of the Government had already cost us dearly and the continuance of that policy any longer will spell disaster.

I would like to urge the Government that they should show courage and give up the weak policy that has been pursued so far in this connection. I am very anxious to hear from the Minister that article 370 has been abrogated.

Shri Tulshidas Jadhav (Nanded) : I support the Bill put forward by shri Prakash Vir Shastri the article 370 says :—

इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगा कि यह अनुच्छेद ऐसी तारीख से प्रवर्त्तन हीन, अथवा ऐसे अपवादों और रूपभदों के सहित ही प्रवर्त्तन में होगा जैसे कि वह उल्लिखित करें।

परन्तु ऐसी अधिसूचना को राष्ट्रपति द्वारा निकाले जाने से पहिले खंड (2) में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान-सभा की सिफारिश आवश्यक होगी ।

Now, in this connection, one thing should be made clear. We say daily that Kashmir is the integral part of the country. Kashmir people also say this, and they are against this provision, tnen what hurdle has been there so far that this provision has not been removed.

Shri Prakash Vir Shastri : The provision in the Indian coustitution is for Jammu and Kashmir Government, there is no mention of the assembly. The Constituent Assembly of Jammu and Kashmir had passed a resolution that the State of Jammu and Kashmir is an integral part of India. The Jammu and Kashmir assembly is not competent to effect any change in it.

Shri Tulshidas Jadhav : That is true but why the Government of Jammu and Kashmiror the Constituent Assembly so far recommended that this article 370 should be abrogated. It seems the policy of the Central Government has been weak enough in this connection. This weakness of the government is of the same type as it has been demonstrating in Nagaland and in dealing with other important matters. The disputes in different states are going. The question has been raised in the U.N.O. and there is a great suspicion among the people.

So far as abrogation of article 370 in regard to Kashmir is concerned, a decision should immediately be taken in this matter and it should not be allowed to hang on in suspense indefinitely. The pepole of Kashmir and their representatives are not clear in their minds as to their fate unless a definite decision is taken in this matter. Perhaps Government themselves entertain some suspicion in regard to this question because some part of Kashmir is still under Pak occupation. If a decision is delayed in this matter, suspicion is bound to arise in the minds of the people that Kashmir is not a part of India.

All the major political parties except the congress are functioning in Kashmir State. It is very strange that Congress party has not been allowed to function in that State. Perhaps Government have some misgivings on this score. The position should be made clear by the Government without delay that all political parties functioning in the rest of India will be allowed to function in Kashmir also. The problems of Nagaland and Goa are also the offshoot of the uncertain policy of the Government of India. The majority of the peple in Goa are in favour of merger with Maharashtra but government does not seem to care for the majority opinion. Similarly Border problems between states and similar other question have been pending solution for the last 17 years for want of a clear cut policy on the part of the Central Government.

I heard that Governmer t have spent crores of rupees on Kashmir to win over the people there. But Democracy does not mean that any action should have cent per cent backing of the people behind it. It is true that the Constituent Assembly of Kashmir has not passed the resolution, but the National Conference under the Chairmanship of the Prime Minister of the state has passed this resolution. It therefore becomes incumbent on the central government to accept this Bill to remove the uncertainty lurking in the minds of the people.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज): जब काश्मीर राज्य के प्रधान मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में काश्मीर को भारत का भाग घोषित कर दिया है तब अनुच्छेद 370 को हटाने के बारे में सरकार को कोई संकोच नहीं करना चाहिए । काश्मीर प्राचीन युग से हमारे साहित्यिक तथा सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग बना हुआ है । भारतीय साहित्य काश्मीर के उल्लेख से परिपूर्ण है । काश्मीर के बिना भारत की संस्कृति का इतिहास नहीं लिखा जा सकता । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि काश्मीर के बिना भारत अथवा भारत के बिना काश्मीर की कल्पना तक भी नहीं की जा सकती ।

हमारे भतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था कि अनुच्छेद 370 धीरे धीरे समाप्त कर दिया जायेगा. । प्रश्न केवल समय का ही है । यदि सरकार इस संकल्प को स्वीकार कर लेती है अथवा इस विधेयक में सुझाये गये रास्ते पर चलती है तो वह उस दिशा में एक कदम होगा । हम चाहते हैं कि इस अनच्छेद को अविलम्ब समाप्त कर दिया जाये ।

प्रधान मंत्री का पद छोड़ते समय बख्शी गुलाम मुहम्मद ने नेशनल कांफ्रेंस को स्पष्ट निदेश दिया था कि वह अनुच्छेद 370 की समाप्ति की सिफारिश करे । श्री सादिक ने प्रधान मंत्री का पद ग्रहण करने के पश्चात् इस से भी जोर दार शब्दों में यह कहा था कि वे काश्मीर विधान सभा में इस अनुच्छेद की समाप्ति संबंधी विधेयक लाने वाले हैं । परन्तु किसी कारणवश अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । इस अनुच्छेद को सुविधा तथा शीघ्र कार्यवाही करने की दृष्टि से ही युक्ति-संगत ठहराया जा सकता है परन्तु 17 वर्ष बीतने के पश्चात् यह युक्ति भी बेमानी हो जाती है । सरकार अभी जल्दी ही कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ती । उसे इस मामले में सदस्यों के सुझाओं और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए ।

काश्मीर भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग की विचारधारा का स्रोत रहा है । हम उसकी वही स्थिति बनाए रखना चाहते हैं ताकि वहां के महान् विचारक भारत को सही रास्ते पर चलने की

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

प्रेरणा देते रहें। संसद् में काश्मीर के प्रतिनिधि बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। क्योंकि संसद् में जो भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उसके आरम्भ में लिखा होता है कि यह काश्मीर को छोड़कर समुचे भारत पर लागु होगा । इसका मूल कारण अनुच्छेद 370 है । इसलिये इसे तुरन्त हटा दिया जाना चाहिये। जिस से काश्मीर पूर्ण रूप से भारत का अंग बन जाये ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर): कुछ एक सदस्यों को छोड़कर सभी ने श्री प्रकाशबीर शास्त्री के संकल्प का समर्थन किया है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् समुचे भारत को एक सूत्र में बांधना हमारी सब से बडी सफलता थी। परन्तु काश्मीर को उस समय भारत में नहीं मिलाया जा सका क्योंकि कुछ राष्ट्र ऐसा नहीं होने देना चाहते थे । फिर भी भाग्य ने हमारा साथ दिया और काश्मीर के लोगों ने स्वयं भारत के साथ काश्मीर के विलय की मांग की। भारत ने उस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और इस प्रकार काश्मीर का भारत में विलय हुआ ।

संसद् द्वारा पास किये गये कानुन के आधार पर काश्मीर भारत में मिल चुका है । अतः संविधान में इसका उल्लेख होने अथवा न होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता । यह एक संविधानिक तथ्य है कि काश्मीर भारत का एक अंग है और इस तथ्य को कोई नहीं बदल सकता। केवल सुविधा की दृष्टि से संविधान में अनुच्छेद 370 का उपबन्ध किया गया है जो कि एक अस्थायी व्यवस्था है । 17 वर्ष व्यतीत हो चके हैं इसलिये इस अस्थायी उपबन्ध को हटाने के बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए । जो भी विधेयक पास किया जाता है उसमें यह उल्लेख होता है कि यह जम्म तथा काश्मीर को छोड़ कर समुचे भारत पर लागु होगा । इस तरह की व्यवस्था से हम काश्मीर के लोगों की सहानुभूति प्राप्त नहीं कर सकते । अपनी सीमा पर हमें खतरा बना हुआ है और हमारे शत्रु काश्मीर को हथियाने की कोशिश में हैं। विशेष कर ऐसी स्थिति में सरकार को काश्मीर के साथ अपने संबंध बढ़ाने चाहियें और उन्हें स्थायी रूप देना चाहिये । इसलिये सरकार को इस संकल्प को स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि सबको यह मालुम हो जाये कि भारत और काश्मीर एक राष्ट्र है और उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता ।

श्री खाडिलकर ने कहा है कि मैं संभवतया ऐसा संकल्प इस सभा द्वारा नहीं किया जा सकता। परन्तु उन्होंने साथ साथ यह भी कहा है कि हम ने बहूत से कदम उठाए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हम लगे हाथों एक कदम और उठा लें और यह घोषणा कर दें कि भारत और काश्मीर एक राज्य है और अनुच्छेद 370 अब संविधान से निकाल दिया गया है । हम भारत की जनता की ओर से सरकार से केवल ऐसा करने की सिफारिश कर रहे हैं। इस बारे में कोई कानून नहीं बना हुआ है । यह केवल एक प्रक्रिया संबंधी मामला है । इसलिये सरकार को तुरन्त यह कदम उठाना चाहिए और भारत और काश्मीर के लोगों के बीच दीवार समाप्त कर के उनके साथ एक ही देश के नागरिक जैसा बर्ताव करना चाहिए । । मेरी राय में अब वह दिन दूर नहीं है ।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड़—उत्तर) : यह बहुत ही दुखद बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 17 वर्ष पश्चात् हम यह जताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि काश्मीर भारत का एक अंग है । भारत के सांस्कृतिक तथा साहित्यिक जीवन में काश्मीर का पुरातन काल से बहूत बड़ा योगदान रहा है । काश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक ही रहा है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा । इसलिये इस समय जो यह प्रयत्न किया जा रहा है उसकी कतई आवश्यकता नहीं है ।

आजादी मिलने के बाद प्रत्येक देशी राज्य को भारत में शामिल होने के लिये कहा गया था और यह उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया था । काश्मीर भी उनमें से एक था । कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हुई और काश्मीर ने भी भारत को साथ विलय की इच्छा व्यक्त की और भारत सरकार ने काश्मीर को हर संभव मदद उपलब्ध की। यह विलय अन्तिम रूप से हो चुका है और काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया जा चुका है । इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि काश्मीर विधान सभा ने भी इस निर्णय पर अपनी छाप लगा दी है । इसलिये, मेरी राय में हम ने सुरक्षा परिषद् में काश्मीर का प्रश्न उठा कर बड़ी भूल की क्योंकि वहां पर उलटा हमें ही दोषी ठहराया गया ।

श्री खाडिलकर ने कहा है कि काश्मीर के लोगों को इस बारे में निर्णय करने के लिये कुछ समय और दिया जाना चाहिए । परन्तु अब और अधिक समय दिये जाने की गुंजाइश नहीं है । विश्व यह मानता है कि भारत एक लोकतंत्र देश है। इसलिए इस कदम के उठाने से भारतीय लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कम नहीं हो सकता ।

यदि काश्मीर के बारे में जनमत संग्रह के निर्देशन को मान लिया जाये तो भी इतना अधिक समय गुंजरने के पश्चात् उसे वैध नहीं ठहराया जा सकता । अब काश्मीर के मामले में किसी देश को हस्तक्षेप करने का हक नहीं है और यह भारत का घरेलू मामला है । इस संबंध में कोई भ्रम उत्पन्न होने की अब कतई गुंजायश नहीं रही है । अतः काश्मीर के मामले में और अधिक बिलम्ब करना हमारे हित में नहीं होगा । विशेषकर इस दृष्टि से भी कि काश्मीर से नेफा तक के सीमान्त क्षेत्रों को हर समय बाहरी खतरा बना हूआ है ।

यदि शेख अब्दुल्ला या अन्य कोई व्यक्ति काश्मीर के भारत में अन्तिम रूप से विलय के बारे में आपत्ति करता है तो लोकतंत्र में ऐसा होना स्वाभाविक है । इससे स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता । बख्शी गुलाम मुहम्मद ने, जब कि वे काश्मीर के प्रधान मंत्री के पद पर थे, अनुच्छेद 370 के हटाने के लिये नेशनल कांफ्रेंस से सिफारिश की थी । और जब श्री सादिक ने प्रधान मंत्री पद संभाला तो उन्होंने भी जोर दार शब्दों में इस अनुच्छेद को हटाने का समर्थन किया था । परन्तु अब उन्होंने दूसरी ही बात कहनी शुरू कर दी । ऐसी स्थिति में समस्या को और अधिक जटिल नहीं होने देना चाहिये । और सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । हमारे पास सोचने तक का भी समय नहीं है । इसलिये मेरा सरकार से अनरोध है कि वह इस गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक को सभा के माध्यम से व्यक्त की गई जनता की आवाज समझ कर स्वीकार कर ले ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अधिक समय तक बैठना चाहते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार 21 नवम्बर, 1964/30 कार्तिक, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, November 21, 1964/Kartika 30, 1886 (Saka).